Digital India
Power To Empower

G20
भारत 2023 INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2022-23

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इनकॉरपोरेटेड (निकसी)

रा.सू.वि.के. के अन्तर्गत भारत सरकार का एक उद्यम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED (NICSI)

A Government of India Enterprise under NIC Ministry of Electronics and Information Technology

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक, नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कंपनी धारा–8 के रूप में (भूतपूर्व धारा 25 कंपनी) की गई, जो मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के संगठनों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करती है ।

दूरदृष्टिः

"भारत की प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व स्थिति को प्राप्त करना तथा अन्य विकासशील देशों को प्रभावी रुप से योगदान देकर सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाना।"

मिशनः

सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ – साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की प्राप्ति तथा व्यापार के समाधान को शामिल करते हुए पारदर्शी मूल्य आधारित सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को एंड टू एंड सोल्यूशन की सुविधा प्रदान करना तथा उसे संवर्धित करना।

उद्देश्यों:

सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, सूचना विज्ञान आदि का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र, भारत सरकार द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता तथा कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, निकनेट व संबंध अवसरंचना व सेवाओं को लाभदायक बनाते हुए भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोन्नत करना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र की राजस्व अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए एनआईसी ने जो कुछ भी विकसित किया है, उसे पूरक करने के लिए सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता के आगे विकास को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र तथा निकनेट द्वारा विकसित मूल अवसरंचना व सेवाओं पर मूल्य संवर्धित कंप्यूटर और कंप्यूटर–संचार सेवाओं को विकसित एवं संवर्धित करना ।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिस इंक. अपने उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालय, विभागों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में निम्नलिखित उत्पाद व सेवाएँ प्रदान कर रही हैः–

- डेटा एनालिटिक्स
- वेबसाइट विकास
- रोलआउट सर्विसिस
- जनशक्ति सेवाएँ
- डाटा सेंटर सेवाएं
- उत्पादकता
- वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग
- आई.टी. कंसल्टेंसी
- कॉल सेंटर सेवाएं
- प्रशिक्षण सेवाएँ

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में सलंग्न है।

निकसी:

पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है ।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक: ई–शासन में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु सहक्रिया का विनिर्माण।

भारत के दूरस्थ भागों में प्रौद्योगिकी लाभों के समावेशन हेतु निकसी सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत में लोगों के नेटवर्क स्थापित करती है।

जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को कार्यगत किया जा सके।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC., NEW DELHI

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) was set up in 1995 as a section 8 Company (erstwhile Section 25 Company) under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide total ICT solutions to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us.

Vision

"Achieve leadership position in the technology enablement of India and other developing countries thereby contributing effectively to accelerate socio-economic growth".

Mission

"To promote and provide transparent value added Information and Communication Technology on end to end solutions including procurement services and business solutions to customers at competitive prices with a focus on socio-economic development".

Objectives

To provide the economic, scientific, technological, social and cultural development of India by promoting the utilization of Information Technology, Computer-Communication Networks, Informatics etc. by a spinoff of the services, technologies, infrastructure and expertise developed by the National Informatics centre of the Government of India including its computer-communication network, NICNET and associated infrastructure and services.

To promote further development of services, technologies, infrastructure and expertise to supplement what NIC has developed, in order to increase NIC's revenue earning capacity.

To develop and promote value added computer and computer-communications services over the basic infrastructure and services developed by NIC including NICNET.

In furtherance of these objectives, NICSI has been providing following Products & services to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, state governments, UTs and PSUs etc.:

- Data Analytics
- Website Development
- Rollout Services
- Manpower Services
- Data Centre Services
- Productization
- Video-conferencing
- I.T. Consultancy
- Call Centre Services
- Training Services

NICSI is truly a Total ICT solutions Company in the Service of the Nation.

NICSI:

Is truly a total ICT Solutions Company in the Service of the Nation.

Creating Synergy for Technology Diffusion in e-governance.

Networks people in Government, Industry & academia to permeate the technology benefits to the remotest part of India.

Harnessing Information & Communication Technologies.

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2022-23

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेटंर सर्विसिज़ इनकॉरपोरेटेड (निकसी)
नई दिल्ली

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED (NICSI)
New Delhi

विषय सूची

निदेशक मंडल 07

28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 09

निदेशकों की रिपोर्ट 12

31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र 33

आय व व्यय लेखा 35

नकदी प्रवाह विवरण 38

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ तथा टिप्पणियॉ 40

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 91

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 100

CONTENTS

Board of Directors 109

Notice for 28th Annual General Meeting 111

Directors' Report 114

Balance Sheet as at 31st March, 2023 136

Income and Expenditure Account 138

Cash Flow Statement 141

Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2023 143

Auditor's Report 193

Comments of the Comptroller and Auditor General of India 202

निदेशक मण्डल
(31.03.2023 तक)

अध्यक्ष	:	श्री अमित अग्रवाल, आईएएस, अपर सचिव, एमईआईटीवाई
निदेशक	:	श्री राजेश सिंह, आईएएस, जेएसएंडएफए, एमईआईटीवाई
		श्री सुशील पाल, आईएएस, जेएस, एमईआईटीवाई
		श्री एस. के. मारवाह, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई
		श्रीमति सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जीऔरसमूह समन्वयक, एमईआईटीवाई
		श्री वी.टी.वी. रमण, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री राजीव राठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		सुश्री अलका मिश्रा, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		डॉ. सुश्री सुचित्रा प्यारेलाल, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (असम), एनआईसी
		डॉ. शुभागचंद, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री प्रमोद कुमार सिंह, वैज्ञानिक जी और एसआईओ (गुजरात), एनआईसी
		डॉ. विनय ठाकुर, एमडी, एनआईसीएसआई
कंपनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखा परीक्षक	:	मेसर्स जे. एन. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जे–85, दूसरा तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं. 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामाप्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक लिमि., सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, केनरा बैंक, जनपथ शाखा।
एनआईसीएसआई का पैन नंबर	:	AAACN2185J
एनआईसीएसआई का जीएसटी पैन नंबर	:	07AAACN2185J1ZE
एनआईसीएसआई का वेबसाइट	:	www.nicsi.com

निदेशक मण्डल

(30.09.2023 तक)

अध्यक्ष	:	श्री भुवनेश कुमार, आईएएस, अपर सचिव, एमईआईटीवाई
निदेशक	:	श्री राजेश सिंह, आईएएस, जेएस और एफए, एमईआईटीवाई
		श्री संकेत एस. भांडवे, आईएएस, जेएस, एमईआईटीवाई
		श्री एस. के. मारवाह, वैज्ञानिक–जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई
		श्रीमति सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक–जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई
		श्री वी.टी.वी. रमण, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री राजीव राठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		सुश्री अलका मिश्रा, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		डॉ. सुश्री सुचित्रा प्यारेलाल, वैज्ञानिक–जी, और एसआईओ (असम), एनआईसी
		डॉ. शुभाग चंद, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री प्रमोद कुमार सिंह, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (गुजरात), एनआईसी
		डॉ. विनय ठाकुर, एमडी, एनआईसीएसआई
कंपनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखा परीक्षक	:	मेसर्स जे. एन. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जे–85, दूसरा तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं. 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामाप्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक लिमि., सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, केनरा बैंक, जनपथ शाखा।
एनआईसीएसआई का पैन नंबर	:	AAACN2185J
एनआईसीएसआई का जीएसटी पैन नंबर	:	07AAACN2185J1ZE
एनआईसीएसआई का वेबसाइट	:	www.nicsi.com

सूचना
28वीं वार्षिक आम बैठक

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंकॉर्पोरेटेड (निकसी) के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्कॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि इसकी 28वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 28 दिसंबर 2023 को, दोपहर 01:00 बजे सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, में, निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगाः

सामान्य कार्यव्यापारः

1. 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता, निदेशक की रिपोर्ट के साथ–साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और उन्हें अपनाने के लिए, एवं
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वित्त वर्ष 2023–24 के सांविधिक लेखा परीक्षकों का वेतन निर्धारित करने के लिए।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकॉपोरेटेड

ह0/–
(सन्नी जैन)
कंपनी सचिव
(एम.सं. ए 31700)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 13.12.2023

सेवा में,

1. महानिदेशक, एनआईसी – सदस्य
2. सुश्री रचना श्रीवास्तव – सदस्य
3. श्री आर. एस. मणि – सदस्य
4. सुश्री अलका मिश्रा – सदस्य
5. श्री राजीव राठी – सदस्य
6. श्री सुनील कुमार – सदस्य

साथ में:

1. अध्यक्ष, एनआईसीएसआई
2. एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल

और:

1. मेसर्स जे एन मित्तल एंड कंपनी सांविधिक लेखापरीक्षक, एनआईसीएसआई

फार्म नं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी फार्म

[*कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और नियम 19(3) के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014*]

सीआईएनः	यू 74899 डीएल1995 एनपीएल 072045
कंपनी का नामः	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकॉपोरेटेड
पंजीकृत कार्यालयः	हॉल नं. 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

सदस्य(यों) का नामः

पंजीकृत पताः

ई–मेल आईडीः dg@nic.in

फोलियो सं./क्लाइंट आईडीः

डीपी आईः

मैं/हम, उपरोक्त नामित कंपनी के 199995 शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं।

1. नामः .....

   पताः .....

   ई–मेल आईडीः .....

   हस्ताक्षरः , या उनके न होने पर

2. नामः .....

   पताः .....

   ई–मेल आईडीः .....

   हस्ताक्षरः

गुरुवार, 28 दिसंबर 2023 को दोपहर 01:00 बजे सम्मेलन कक्ष 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, में होने वाली कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे और मेरी/हमारी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए और नीचे दर्शाए गए किसी भी संकल्प के स्थगन के संबंध में मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने की अनुमति देता हूँ/देते हैं

संकल्प सं.	
1.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता एवं नकद प्रवाह विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए, और
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का वेतन निर्धारित करना।

हस्ताक्षरित.....

शेयरधारक का हस्ताक्षर

1 रु. का राजस्व स्टाम्प लगाएं

प्रॉक्सी धारक(कों) का हस्ताक्षर

ध्यान दें: प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह प्रपत्र विधिवत पूरा किया जाना चाहिए और बैठक आरंभ होने के कम–से–कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों के लेखापरीक्षित विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्कॉर्पोरेटेड ("कंपनी") के व्यवसाय और संचालन पर अट्ठाइसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक खुशी हो रही हो।

पिछले वर्ष 2022–23 की तलुना में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सारांशित वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:

वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
(क)	**आय:**		
1	संचालन राजस्व	1604.18	1402.13
2	अन्य आय	97.69	75.51
	कुल (क)	**1701.87**	**1477.64**
(ख)	**व्यय:**		
1	बिक्री माल की खरीद	190.30	179.56
2	सेवा समर्थन व्यय	1147.70	1082.83
3	कर्मचारी लाभ व्यय	12.95	9.64
4	वित्त लागत	8.21	8.99
5	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	72.92	65.97
6	अन्य व्यय	69.41	68.83
	कुल (ख)	**1501.51**	**1415.84**
	आय / (हानि) कर पूर्व (क) – (ख)	**200.36**	**61.79**
6	कर व्यय	50.58	15.62
7	वर्ष के लिए आय / (हानि)	**149.77**	**46.17**

(1) प्रचालन लाभ

निदेश मंडल ने क्रमशः 26.03.2022 और 03.06.2022 को आयोजित अपनी 121वीं और 122वीं बैठक में सभी प्रकार की परियोजनाओं सेवाओं के लिए एनआईसीएसआई के संचालन लाभ की संशोधित दरों को इस प्रकार अनुमोदित किया था:

परियोजना मूल्य (राशि रु. में)	संचालन लाभ की दर
50 करोड़ तक	9%
50 करोड़ से अधिक और 100 करोड़ तक	7%
100 करोड़ से अधिक	5%

(2) लाभांश

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत कंपनी पंजीकृत है और धारा के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(3) आरक्षित निधि में स्थानांतरण

कंपनी ने किसी भी राशि को आरक्षित निधि यानी सामान्य आरक्षित निधि, पूंजी आरक्षित निधि, पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि आदि में स्थानांतरित नहीं किया है।

(4) डीपीई द्वारा एनआईसीएसआई की ग्रेडिंग

वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षित आकंड़ों के आधार पर एमओयू समग्र स्कोर के अनुसार डीपीई द्वारा ग्रेडिंग
2021-22	अच्छा
2020-21	छूट प्राप्त
2019-20	अच्छा
2018-19	खराब
2017-18	उचित
2016-17	उत्कृष्ट

(5) वित्त वर्ष 2022–23 में जारी परियोजनाएं/गतिविधियां

5.1 राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन परियोजना)

मार्च, 2010 में शुरू की गई एनकेएन परियोजना को लगभग 5990 करोड़ रु. की लागत से 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अनुमोदित किया गया है। एनआईसी इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि एनआईसीएसआई खरीद में सहायता और आईटी सपोर्ट प्रदान कर रही है। परियोजना उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए है जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को आपस में जोड़ेगी ताकि उनके बीच ज्ञान संसाधनों के निर्माण, अधिग्रहण और स्थापना को सक्षम किया जा सके। यह संस्थानों को एनआईसी जिला केंद्रों से जोड़ने, राज्योंध्केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र स्थापित करने के माध्यम से सहयोगात्मक अनुसंधान, देशव्यापी कक्षाओं आदि की सुविधा भी प्रदान करेगा। एमईआईटीवाई ने परियोजना को दो वर्षों यानी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, एनआईसीएसआई को एमईआईटीवाई से इस परियोजना के लिए 485 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं जिसमें 31.03.2023 तक प्राप्त कुल धनराशि 5,669 करोड़ रु. है। हालाँकि 169.52 करोड़ रु. की राशि एमईआईटीवाई को वापस कर दी गई है। एनकेएन परियोजना को एमईआईटीवाई द्वारा एक और वर्ष यानी मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

5.2 एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी/iRAD)

आज, "सड़क सुरक्षा" पूरे देश में स्वास्थ्य के सबसे बड़े सार्वजनिक मुद्दों में से एक है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। किसी व्यक्ति के साथ–साथ खुशहाल और स्वस्थ राष्ट्र के लिए भी सड़क सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज सड़क पर लगने वाली चोटें दुनिया भर में गंभीर सामाजिक आर्थिक खर्च के साथ मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक है। हितधारकों (पुलिस, परिवहन, सड़कदृस्वामित्व वाली एजेंसियों, स्वास्थ्य) के साथ–साथ विभिन्न संबंधित संगठनों समेत एमओआरटीएच ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सड़क सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति लागू की हैः

- मोबाइल आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन–साइट दुर्घटना डेटा संग्रह (दुर्घटना स्थल से जीपीएस स्थान कैप्चर कर)
- ब्लैक–स्पॉट (दुर्घटना–संभावित क्षेत्र) की पहचान
- ब्लैक–स्पॉट (दुर्घटना–संभावित क्षेत्र) में सुधार

इस दिशा में, एनआईसीएसआई ने देश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन, दावा प्रसंस्करण और विश्लेषण हेतु एक केंद्रीय भंडार, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरडीए) परियोजना को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया है। आईआरडीए वर्तमान में सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

(6) वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, एनआईसीएसआई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कार्यान्वयन हेतु 2009 नई परियोजनाएँ प्राप्त हुईं थीं।

(7) एनआईसीएसआई में व्यापार विभाग

उत्पाद व्यवसाय विभाग (पीबीडी)

पीबीडी का उद्देश्य दक्षिण आसियान, अफ्रीका, लातिन अमेरिका आदि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एनआईसी/एनआईसीएसआई सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के उत्पादीकरण, मानकीकरण और संवर्धन की सुविधा प्रदान करना है। प्रत्येक विदेशी परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जाएगी। लागत लचीली होनी चाहिए क्योंकि इसका विकास एनआईसी बजट से पूरा किया जाता है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डाटा एनालिटिक्स (सीईडीए)

डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता और उत्कृष्टता का केंद्र बनाकर उन्नत विश्लेषणात्मकध मशीन लर्निंग क्षमताओं को अपनाना शुरू करना और तेजी से ट्रैक करना। यह उचित उपकरणों, प्रौद्योगिकियों की पहचान करके, सही विशेषज्ञता वाले लोगों को तैनात कर और जटिल नीतिगत मुद्दों को हल करने में मदद कर सभी स्तरों पर सरकारी विभागों की गुणवत्तापूर्ण डेटा विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करेगा।

क्लाउड सर्विसेस और डाटा सेंटर व्यापार विभाग

एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क, पुणे और भुवनेश्वर में एनडीसी से क्लाउड सर्विसेज का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्तमान क्लाउड सर्विसेज और भविष्य के लिए अधिक कुशल और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु नया विभाग बनाया गया है।

(8) वित्त वर्ष 2021–22 की गतिविधियों की तुलना में वित्त वर्ष 2022–23 की मुख्य बातें

8.1 प्रोफॉर्मा चालान (पीआई) विवरण

(करोड़ रु. में)

सेवा प्रकार	वित्त वर्ष 2022–23		वित्त वर्ष 2021–22	
	जारी किए गए पीआई की संख्या	पीआई की कुल राशि	जारी किए गए पीआई की संख्या	पीआई की कुल राशि
जनबल	5142	1404.55	4064	785.06
विविध	2696	308.37	3130	562.75
नेटवर्क	13	3.61	114	24.98
रोल आउट	0	0	29	3.29
सुरक्षा लेखापरीक्षा	190	3.65	106	1.52
वेबसाइट डेवलपमेंट	158	105.58	189	70.19
ई–ऑफिस	282	81.12	254	75.81
ई–ग्रंथालय	374	3.24	240	0.84
समग्र मद	810	1300.74	919	1153.58
कुल योग	9665	3210.86	9045	2678.03

8.2. कार्य आदेश (डब्ल्यूओ) विवरण

(करोड़ रु. में)

सेवा प्रकार	वित्त वर्ष 2022–23		वित्त वर्ष 2021–22	
	जारी किए गए पीआई की संख्या	पीआई की कुल राशि	जारी किए गए पीआई की संख्या	पीआई की कुल राशि
जनबल	7560	1160.75	6679	851.76
विविध	708	196.64	69	14.78
नेटवर्क	77	17.83	185	27.05
रोल आउट	0	0	76	107.12
सुरक्षा लेखापरीक्षा	114	1.09	38	3.46
वेबसाइट डेवलपमेंट	135	81.71	108	1.40
ई–ऑफिस	59	29.94	1505	94.75
ई–ग्रंथालय	19	79.72	241	177.65
समग्र मद	669	1082.10	230	145.49
कुल योग	9341	2649.78	9131	1423.46

8.3. प्राप्त हुई नई परियोजनाओं का खंड–वार विवरण

	मद	01.04.2022 से 31.03.2023	01.04.2021 से 31.03.2022
(i)	हार्डवेयर की वस्तुएं	9	1
(ii)	जनबल	666	666
(iii)	वेबसाइट/सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	112	122
(iv)	नेटवर्क	4	8
(v)	सामान्य परियोजनाएं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनबल आदि का संयोजन)	302	786
(vi)	अन्य परियोजनाएं (एसएमएस/बीएएस/ई–मेल आदि)	915	375
	कुल	2008	1958

8.4. निविदाएं

	जारी की गईं निविदाएं		
(i)	खुली निविदाओं की संख्या	62	20
(ii)	सीमित निविदाओं की संख्या	-	-
	कुल	62	20

8.5. एमओयू/समझौते

एनआईसीएसआई द्वारा अलग–अलग विभागोंध्संगठनों के साथ किया गया अनुबंध।	83	73

(9) जनबल

दिनांक 03.03.1998 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित जनबल प्रोफाइल के अनुसार, एनआईसीएसआई में जनबल एनआईसी से उनके पदों के साथ अस्थायी घूर्णी प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी।

31 मार्च 2023 को एनआईसीएसआई में एनआईसी से कर्मचारियों की कुल संख्या 38 थी।

(10) कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

(11) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एनआईसीएसआई का उद्देश्य आईसीटी समाधान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना देना और अपने लाभ, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने प्रयोजनों में बढ़ावा देने में लागू करना है और अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने से रोकना है।

बोर्ड ने 26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ सीएसआर समिति का गठन किया था:

- एक सीएसआर नीति बनाना और बोर्ड को उसकी अनुशंसा करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एनआईसीएसआई द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताएगी;
- कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की समीक्षा करना और उसकी अनुशंसा करना;
- समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना;
- कोई अन्य मामला जिसे सीएसआर समिति निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद उचित समझे या निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाए।

एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

सीएसआर समिति की बैठक के लिए कोरम उसकी कुल संख्या का एक तिहाई (उस एक तिहाई में शामिल किसी भी अंश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा।

बोर्ड ने 13 दिसंबर 2022 को आयोजित अपनी 125वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्र.सं.	नाम और पद	पद नाम
1.	श्री सुशील पाल, जेएस, एमईआईटीवाई*	अध्यक्ष
2.	सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी**	सदस्य
3.	श्री शुभाग चंद, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य
4.	श्री वी.टी.वी. रमण, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य

**श्री सुशील पाल, संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई, 23.08.2023 तक कंपनी से जुड़े रहें।*
***सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी 30.09.2023 तक कंपनी से जुड़ी रहीं।*

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर व्यय हेतु खातों में 2.50 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। 29.03.2023 को आयोजित अपनी 126वीं बैठक में, निदेशक मंडल के निर्देश के अनुसार, एनआईसीएसआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित 2.50 करोड़ रु. की राशि अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बैंक खाते में डाल दी थी, जिसके बाद इस धनराशि को (i) ग्राम विकास ट्रस्ट, गुजरात (ii) संत रविदास एजुकेशनल सोसायटी, नई दिल्ली (iii) रूरल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, नई दिल्ली (iv) आई–हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स, आईआईटी दिल्ली (v) फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रीसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (फर्स्ट), आईआईटी कानपुर और (vi) पीएम केयर्स फंड, दिया/ में योगदान किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार, एनआईसीएसआई द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि 2.50 करोड़ रु. है।

(12) कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रक्रिया है जो किसी संगठन के ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। यह नैतिक व्यावसायिक निर्णय लेने और मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय संचालित करने

से सुनिश्चित होता है। एनआईसीएसआई में, यह आवश्यक है कि हमारी कंपनी के मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित किया जाए। यह हमारे हितधारकों का विश्वास हासिल करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2022–23 में बुलाई गई बोर्ड की बैठकों और सामान्य बैठकों की संख्याः

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2021–22	दिनांक	स्थान
1.	बोर्ड की 122वीं बैठक	03-06-2022	सम्मेलन कक्ष सं. 1007, प्रथम तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
2.	बोर्ड की 123वीं बैठक	28-07-2022	सम्मेलन कक्ष सं. 1007, प्रथम तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
3.	बोर्ड की 124वीं बैठक	29-11-2022	सम्मेलन कक्ष सं. 1007, प्रथम तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
4.	बोर्ड की 125वीं बैठक	13-12-2022	सम्मेलन कक्ष सं. 1007, प्रथम तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
5.	बोर्ड की 126वीं बैठक	29-03-2023	सम्मेलन कक्ष सं. 1007, प्रथम तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
6.	27वीं वार्षिक आम बैठक	26-12-2022	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
7.	असाधारण आम बैठक	19-01-2023	सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

(13) लेखापरीक्षा समिति

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते कंपनी को कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उनके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी। निदेशक मंडल ने 26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में सुशासन प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने वित्तीय और लेखापरीक्षा मामलों की समीक्षा करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए एनआईसीएसआई में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था कि एनआईसीएसआई निर्धारित वित्तीय नियमों और विनयमों का पालन करती है। एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे।

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैंः

क्र.सं.	नाम व पदनाम	पद नाम
1	श्री राजेश सिंह, जेएस एंड एफए, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2	श्री एस.के. मारवाह, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई	सदस्य
3	सुश्री सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक, एमईआईटीवाई	सदस्य
4	सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी*	सदस्य

**सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी 30.09.2023 तक कंपनी से जुड़ी रहीं।*

लेखापरीक्षा समिति की 12वीं बैठक 21.08.2023 को आयोजित की गई जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक बहीखाते पर विचार किया गया और उसे निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों के सामने प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई। निदेशक मंडल ने 15.09.2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय कथन को मंजूरी दे दी है।

(14) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 की धारा 149(4) और नियम 4 के तहत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई घोषणा नहीं की गई है।

(15) निदेशकों की नियुक्ति और वेतन पर कंपनी की नीति जिसमें योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण और अन्य मामलों का उल्लेख है, धारा 178 की उपधारा (3) में दी गई है।

कंपनी को, पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं उसके अधिकार) नियम, 2014 के निमय 6 के तहत नामांकन एवं वेतन समिति और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के तहत हितधारक संबंध समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(16) प्रपत्र एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, वार्षिक विवरणी का उद्धरण अनुबंध–I में दिया गया है।

(17) वित्त वर्ष के समाप्त होने और बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, जो कंपनी के वित्त वर्ष के अंत, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तिथि के बीच हुई हैं।

(18) कारोबार की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(19) भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 का वार्षिक बहीखाता

वित्त वर्ष 2022–23 का वार्षिक बहीखाता भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किया गया है।

(20) ऊर्जा संरक्षण, तकनीक का समावेशन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण और तकनीक के समावेशन पर कोई जानकारी नहीं है। विदेशी मुद्रा से आय शून्य रही है और कंपनी से विदेशी मुद्रा का व्यय भी शून्य था।

(21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया/गारंटी नहीं दी/निवेश नहीं किया।

(22) संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के फॉर्म एओसी–2 में धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण

वित्त वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ बेसिस के आधार पर ते और व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में थे।

अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसारः

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरणस, जो आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं है : शून्य
2. महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण जो आर्म्स लेंथ बेसिस पर हैं : शून्य

(23) नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश, जो भविष्य में चल रही कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

(24) सहायक कंपनी

31 मार्च 2023 तक कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं थी।

(25) लेखापरीक्षक

मेसर्स जे एन मित्तल एंड कंपनी (कंपनी पंजीकरण सं. 003587 एन), चार्टर्ड अकाउंटेंट, जे–85, दूसरा तल, गुलाटी कॉम्प्लेक्स, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत कंपनी को 1 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के बहीखातों की लेखापरीक्षा करनी है।

(26) निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल का कहना है कि:

क) वार्षिक बहीखाते की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था एवं निर्णय लिए और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का उचित एवं निष्पक्ष खाका प्रस्तुत किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियममितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

घ) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक बहीखाते तैयार किए थे; और

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

(27) अभारोक्ति

बोर्ड एनआईसी और एमईआईटीवाई सहित केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और पीएसयू आदि द्वारा कंपनी को दिए गए सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करना है। निदेशक भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों के भी, सहयोग के आभारी हैं। बोर्ड सदस्यों, बैंकरों और ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता है।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सारांश

31.03.2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i)	सीआईएन	यू74899डीएल1995एनपीएल072045
ii)	पंजीकरण तिथि	29.08.1995
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोर्पोरेटिड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 (अब धारा 8 कंपनी) कंपनी।
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	कक्ष सं. 2 और 3, 6वां तल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 फोन : 91–11–26105054, 26105193
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है: हाँ/नहीं	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो	कोई नहीं है

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री	–	12.09
2	सेवा और अन्य आय	–	87.91

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	शून्य				

IV. **शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)**

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर का %	
क. प्रचारक									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
(ख) केंद्र सरकार	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
(ग) राज्य सरकार (सरकारें)									
(घ) निगम निकाय									
(ड़) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च) कोई अन्य									
उप–योग (क) (1)									
(2) विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति									
(ग) निकाय निगम									
(घ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ड़) कोई अन्य									
कुल–योग (क) (2)									
प्रोमोटर्स (क) कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1)+(क)(2)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
ख. सरकारी शेयरहोल्डिंग	लागू नहीं								
1. संस्थान	लागू नहीं								
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ग) केंद्र सरकार									
घ) राज्य सरकार(रें)									
ड) उपक्रम पूंजी कोष									
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफआईआई									
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी कोष									
झ) अन्य (बताएं)									
कुल योग (ख)(1)									

2. गैर–संस्थागत क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्ति i) 1 लाख रु तक का सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रु. से अधिक के सांकेतिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक ग) अन्य (बताएं) **कुल योग(ख)(2)**	लागू नहीं								
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	लागू नहीं								
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं								
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य

(ii) प्रचारकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारित % परिवर्तन
1	एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य
	कुल	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रचारकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
1		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
2	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
3	वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)				
4	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रचारकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा)

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
1	**शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
2	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
3	वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)				
4	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हो गए हों)				

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल ऋण**
वित्त वर्ष एएसक्यू के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित किन्तु देय नहीं **कुल (i+ii+iii)**	लागू नहीं			
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन .. वृद्धि .. कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित किन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)				

(v) निदेशकों और प्रमुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिताः

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
1	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
2	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
3	वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)				
4	वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया/उपार्जित ब्याज भी शामिल है लेकिन भुगतान देय नहीं है।

VI. निदेशकों और प्रमुख्य प्रबंधन कर्मियों का वेतन

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण–कालिक निदेशकों और/या प्रबंधकों का वेतनः

एनआईसीएसआई को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से एक प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 कंपनी (अब धारा 8 कंपनी) के रूप में प्रचारित किया गया है। कंपनी ने संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 59(i) के अनुसार, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से महानिदेशक, एनआईसीएसआई द्वारा एनआईसी के उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त कर की जाएगी।

क्र.सं.	वेतन का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल धनराशि (रु. में)
		श्री प्रशांत कुमार मित्तल*	**श्री विनय ठाकुर***	
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन, (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	15 लाख रु.	25.48 लाख रु.	40.48 लाख रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं		
3	स्वेट इक्विटी			
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं..			
5	अन्य, कृपया बताएं कुल (क) अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

**श्री प्रशांत कुमार मित्तल 03.06.2022 तक कंपनी से जुड़े रहे और डॉ. विनय ठाकुर को 13.08.2022 को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।*

ख. अन्य निदेशकों को वेतन

क्र.सं.	वेतन का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल धन राशि	
		-------	-------	-------	-------
1	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शुल्क • आयोग • अन्य, कृपया बताएं	लागू नहीं			
	कुल (1)				
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शुल्क • आयोग • अन्य, कृपया बताएं				
	योग (2)				
	योग (ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय वेतन				
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा				

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन

क्र.सं.	वेतन का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी कंपनी सचिव	
		श्री सन्नी जैन	कुल
1	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	12.79 लाख रु.	12.79 लाख रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं	
3	स्वेट इक्विटी		
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं..		
5	अन्य, कृपया बताएं		

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/दंड/अपराधों के शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय]	अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)
जुर्माना	शून्य				
दंड					
अपराधों का शमन					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
अपराधों का शमन					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.

ह0/–
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्न

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त सारांशः **कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना, जिसमें इसके तहत बनाए गए नियम भी शामिल हैं।**

2. 31 मार्च 2023 तक सीएसआर समिति बनानाः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित होने वाली बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में शामिल होने की संख्या
1	श्री सुशील पाल, जेएस, एनईआईटीवाई	अध्यक्ष	1	1*
2	सुश्री अलका मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य	1	1
3	श्री शुभाग चंद, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य	1	1*
4	श्री वी.टी.वी. रमण, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य	1	1*

**श्री सुशील पाल, श्री शुभाग चंद और श्री वी.टी.वी. रमण को, 13 दिसंबर 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की 125वीं बैठक में मंजूरी के साथ सीएसआर समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया है।*

3. वह वेब–लिंक (लिंक्स) प्रदान करें जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट न किया गया है। www.nicsi.com

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन के वेब–लिंक (लिंक्स) के साथ कार्यकारी सारांश, यदि लागू हो, प्रदान करें। लागू नहीं है।

5. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 108.77 रु. (करोड़ रु. में) है।
   (ख) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत 2.50 रु. (करोड़ रु. में) है।
   (ग) पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से मिला अधिशेष। शून्य
   (घ) वित्त वर्ष के लिए समंजन की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो। शून्य
   (ड) वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)(ग)–(घ)]. 2.50 रु. (करोड़ रु. में)

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (जारी परियोजना और जारी परियोजनाओं के अलावा, दोनों)। शून्य
   (ख) प्रशासनिक उपरि व्यय पर खर्च की गई राशि। शून्य
   (ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो। शून्य
   (घ) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि [(क)(ख)(ग)]। शून्य
   (ड) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर राशिः

वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	खर्च नहीं की गईराशि (रु. में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में स्थानांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	कोष का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

 # वर्ष 2022–23 की समाप्ति के बाद सीएसआर खर्च की राश और जिसके कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार उक्त राशि को एक अनुसूचित बैंक में स्थानांतरित किया गया है, इसमें इसके तहत बनाए गए नियम भी शामिल हैं।

(च) समंजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	

(ii)	वित्त वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	
(iii)	वित्त वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	
(iv)	पिछले वित्त वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से मिलने वाला अधिशेष, यदि हो	
(v)	आगामी वित्त वर्षों में समंजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	

7. पिछले तीन वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरणः शून्य

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	**पूर्ववर्ती वित्त वर्ष**	**धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि (रु. में)**	**धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)**	**वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)**	**धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में स्थानांतरित राशि, यदि हो**		**अनुवर्ती वित्त वर्षों में खर्च की जानेवाली शेष राशि (रु. में)**	**कमी, यदि कोई हो**
					राशि (रु. में)	**हस्तांतरण की तिथि**		
1	वित्त वर्ष–1							
2	वित्त वर्ष–2							
3	वित्त वर्ष–3							

8. वित्त वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई हैः नहीं

हाँ नहीं

यदि हाँ, तोखरी दी/अर्जित की गई पूंजीगत संपत्तियों की संख्या बताएं।

वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि से खरीदी या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण दें:

क्र. सं.	**संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति के पूरे पते और स्थान समेत]**	**संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिनकोड**	**खरीद तिथी**	**खर्च की गई सीएसआर राशि की मात्रा**	**पंजीकृत मालिक की इकाई/ प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर	नाम	पंजीकृत
					पंजीकरण		पता
					संख्या, यदि लागू हो		

(सभी स्थान को राजस्व रिकॉर्ड के जैसा होना चाहिए, फ्लैट संख्या, घर संख्या, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ–साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए।)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण बताएं: कंपनी ने मार्च के महीने में सीएसआर गतिविधियों के लिए आवेदन मंगाने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया है और 29.03.2023 को आयोजित 126वीं बैठक में निदेशक मंडल के निर्देश के अनुसार, एनआईसीएसआई ने 250.00 लाख रु. की राशि, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अव्ययित राशि, सीएसआर बैंक खाते में हस्तांतरित की थी, उसके बाद इस राशि को (i) ग्राम विकास ट्रस्ट, गुजरात (ii) संत रविदास एजुकेशनल सोसायटी, नईदिल्ली (iii) रूरल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, नईदिल्ली (iv) आई–हब फाउंडेशन फॉरसीओबीओटीआईसीएस, आई आई टी दिल्ली (v) फाउंडेशन फॉरइनोवेशन एंड रीसर्च इनसाइंसएंड टेक्नोलॉजी (एफआईआरएसटी), आईआईटी, कानपुर और (vi) पीएम केयर्स फंड, में दिया गया।

ह0/–
(प्रबंध निदेशक)

ह0/–
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

प्रपत्र सं. एमजीटी–8

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(2) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम,
2014 के नियम 11(2) के अनुसार]

कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र

मैंने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड के रजिस्टरों, अभिलेखों और बहीखातों एवं कागजातों की जांच, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत है, इसका सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045 है और पंजीकृत कार्यालय हॉल सं. 2 और 3, छठा तल, एनबीसीसी टावर, 15 भीकाजी कामाप्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत ("कंपनी") है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तवर्ष के लिए इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन बनाए रखा जाना आवश्यक है, की है। मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं मेरे द्वारा की गई जांच और कंपनी, उसके अधिकारियों एवं एजेंट्स के द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं प्रमाणित करता हूँ किः

क. वार्षिक विवरणी में उपरोक्त वित्त वर्ष की समाप्ति पर तथ्यों को उचित और पर्याप्त रूप से बताता है।

ख. उपरोक्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के संबंध में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया हैः

1. अधिनियम के तहत इसकी स्थिति;
2. रजिस्टरों/अभिलेखों का रखरखाव और उनमें निर्धारित समय के भीतर प्रविष्टियां करना;
3. निर्धारित समय के भीतर/उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्र सरकार, न्यायाधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकारियों के पास वार्षिक रिटर्न में बताएगए फॉर्म और रिटर्न दाखिल करना;
4. 03–06–2022, 28–07–2022, 29–11–2022, 13–12–2022 और 29–03–2023 को निदेशक मंडल की बैठकें बुलानाध आयोजित करना और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के लिए 24–03–2023 को इसकी समितियों की बैठकें, लेखापरीक्षा समिति के लिए 22–07–2022, 21–12–2023 और 28–03–2023 एवं 22–03–2023 और 28–03–2023 बोर्ड की प्रबंधन समिति और कंपनी के सदस्यों की बैठकें 26–12–2022 (वार्षिक आम बैठक) और 19–01–2023 (असाधारण आम बैठक) को वार्षिक रिटर्न में बताई गई नियत तिथियों पर, जिसके संबंध में बैठकों के संबंध में उचित नोटिस दिए गए थे और परिपत्र प्रस्तावों और डाकमत पत्र द्वारा पारित प्रस्तावों, यदि कोई हो, सहित कार्यवाही को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए मिनट बुक/रजिस्टरों में उचित रूप से दर्ज किया गया है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
5. समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को अपने सदस्यों के रजिस्टर को बंद करने की आवश्यकता नहीं थी।
6. अधिनियम की धारा 185 में निर्दिष्ट निदेशकों और/या व्यक्तियों या फर्म या कंपनियों को कोई अग्रिम/ऋण नहीं दिया गया था,
7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई थीय
8. 31 मार्च 2023 समाप्त हुए वित्तवर्ष के दौरान सभी मामलों में प्रतिभूतियों को जारी करने या आवंटन या पारेषण या वापस खरीदने/व रीयता शेयरों या डिबेंचरों को भुनाने/शेयरपूंजी में परिवर्तन या कटौती/शेयरों/प्रतिभूतियों के रूपांतरण और सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने की कोई घटना नहीं हुई।
9. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण को लंबित रखते हुए लाभांश, अधिकार शेयरों और बोनस शेयरों के अधिकारों को स्थगित रखना। वित्तवर्ष 2022–23 के दौरान ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी;
10. लाभांश की घोषणा/भुगतान; अधिनियम की धारा 125 के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि पर लागू अवैतनिक/लावारिस लाभांश/अन्य राशियों का हस्तांतरण। लागू नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 8 (1) (C) के तहत लाभांश की घोषणा/भुगतान निषिद्ध है।

11. अधिनियम की धारा 134 के प्रावधानों और निदेशकों की रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण का अर्थ उसकी उपधारा (3), (4) और (5) के अनुसार है;

12. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और समाप्ति तथा निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

- श्री प्रशांत कुमार मित्तल 03.06.2022 को प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
- श्री आई.पी.एस. सेठी को 04.06.2022 से 12.08.2022 तक प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रबार) के रूप में नियुक्त किया गया और डॉ. विनय ठाकुर को 13.08.2022 को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री अनिल कुमार नायक 16.06.2022 को निदेशक पद से सेवा निवृत्त हुए हैं और श्री राजेश सिंह और श्रीमती सुनीता वर्मा को 16.06.2022 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- डॉ. राजेन्द्र कुमार और डॉ. जयदीप मिश्रा 25.11.2022 को निदेशक पद से सेवा निवृत्त हो गए हैं।
- श्री सुनील कुमार, श्री इंद्रपाल सेठी और श्री अजय सिंह चहल 30.09.2022 को निदेशक पद से सेवा निवृत्त हो गए हैं।
- श्री वी.टी.वी. रमण, डॉ. शुभाग चंद और श्री प्रमोद कुमार को 01.10.2022 को निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री अमित अग्रवाल और श्री सुशील पाल को 25.11.2022 को निदेशक नियुक्त किया गया है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षक नियुक्ति। मेसर्स जे.एन. मित्तल एंड कंपनी, (डीई1010), को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

14. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार, न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार, न्यायालयया ऐसे अन्य अधिकारियों से कोई अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी।

15. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तवर्ष 2022–23 के दौरान जमा राशियों को स्वीकारध नवीकरणध पुन भुगतान नहीं किया था।

16. कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान अपने निदेशकों, सदस्यों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य से उधार नहीं लिया है।

17. कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों के तहत आने वाले अन्य कॉर्पोरेट निकायों या व्यक्तियों को कोई ऋण और निवेश या गारंटी नहीं दी है या प्रतिभूति यां प्रदान नहीं की है।

18. कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान 19 जनवरी, 2023 के विशेष संकल्प को पारित करके निदेशक मंडल की संरचना और बोर्ड की प्रबंधन समिति के गठन में बदलाव के लिए एसोसिएशन के अनुच्छेद में बदलाव किया है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.01.2024

अग्रवाल मनीष कुमार एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

ह0/–
मनीष कुमार अग्रवाल
(स्वत्वधारी)
सी.पी. सं. 7057
सदस्यता सं.ः एफ-9528
यूआईडीएनः एफ009528ई003323069

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विर्सिज इंकोरपोरेटिड (निकसी)

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एनआईसीएसआई के खातों पर मेसर्स जे.एन. मित्तल एंड कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ड्राफ्ट वैधानिक लेखा परीक्षक टिप्पणी के उत्तर

लेखा परीक्षा टिप्पणी	एनआईसीएसआई का उत्तर
1. योग्य राय के आधार	
1.1 व्यापार देय (नोट 19), व्यापार प्राप्य (नोट 10), ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं समेत) (नोट 21), देय सुरक्षा जमा (नोट 18), और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 9 और 15) वर्तमान कर संपत्ति और प्रावधान (नोट 14), अग्रिम बिक्री कर/डीवैट पर जीएसटी और कार्य अनुबंध पर टीडीएस के साथ–साथ उपरोक्त प्रावधान (नोट 15) से संबंधित शेष, वर्ष के अंत में पुष्टि और/या समाधान के विषयाधीन हैं। प्रबंधन इसके समाधान की प्रक्रिया में है और उसकी राय है कि प्रभाव, यदि कोई होगा, वह महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऐसी प्राप्त की जा रहीध प्राप्त पुष्टियों औरध्या तैयार किए जा रहे परिणामी समाधान के परिणामस्वरूप आयध व्यय और/या संपत्तियों/देनदारियों पर प्रभाव वर्तमान में वर्ष के अंत में सुनिश्चित नहीं की जा सकती हैं।	31.03.2023 तक शेष राशि के लिए शेष पुष्टिकरण पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह नियमित कार्य है कि ऐसे पत्र विभागों/संगठनों आदि को जारी किए जाते हैं लेकिन उन पर बहुत ही नगण्य प्रतिक्रिया प्राप्त होती है क्योंकि हमारे अधिकांश उपयोगकर्ता सरकारी या अर्धसरकारी हैं। एनआईसीएसआई ने इसके लिए अपने ईआरपी प्रणाली को स्वचालित बना दिया है।
1.2 ग्राहकों से प्राप्त हुए 191704.27 लाख रुपए की अग्रिम राशि के संबंध में वित्तीय विवरण के नोट सं. 21 का संदर्भ दिया जाता है। व्यक्तिगत खातों की समीक्षा से ऐसे कई ग्राहकों का पता चलचा है जिनके पास वर्ष के अंत तक 3 वर्षों से अधिक समय से शेष राशि बकाया है। ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और भारत सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त इन अग्रिमों को कंपनी द्वारा अलग–अलग बैंकों में विभिन्न ब्याज दरों एवं परिपक्वता समय पर सामवधि जमा में निवेश किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहकों से प्राप्त ऐसे अग्रिम के संबंध में ऐसी निष्किए धनराशि अप्रयुक्त रह गई और सावधि जमा में निवेश कर दी गई है, प्रबंधन को ऐसे प्रत्येक अग्रिम राशि की समीक्षा करने और अनुबंध के संबंधित नियमों एवं शर्तों के आधार पर ग्राहक को वापस करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक अग्रिम के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों, अनुबंधों एवं विवरणों के अभाव में, उपलब्ध कराए गए ऐसे विवरणों के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर पिछले अनुच्छेद में उल्लिकित समग्र मामले वर्तमान में सुनिश्चित नहीं किए जा सकते हैं।	एनआईसीएसआई को विभिन्न सरकारी विभागोंध संगठनोंध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से परफॉर्मा चालान के लिए अग्रिम प्राप्त होता है। उन परफॉर्मा चालानों में उल्लिखित गतिविधियों के पूरा होने के बाद, एनआईसीएसआई खातों का आंशिकध्अंतिम निपटान, विवरण तैयार करता है और उसे संबंधित उपयोगकर्ता को भेजता है, ताकि शेष व्यय के खिलाफ राशि की प्रतिपूर्ति की जा सके, यदि कोई हो और धन वापसी के लिए बैंक विवरण सूचित किया जा सके। हालाँकि कुछ उपयोगकर्ता बैंक विवरण प्रदान करते हैं, लेकिन कई मामलों में ये प्राप्त नहीं हो पाता और इस प्रकार, खर्च नहीं की गई राशि एनआईसीएसआई के पास ही रहती है। इसका निपटान हेतु एनआईसीएसआई ने देनदारों और लेनदारों से वसूली के लिए परियोजना प्रबंधक की मदद हेतु एक विभाग बनाया है, विभाग विशेष रूप से बकाया देनदारों और लेनदारों एवं ऐसे अन्य संबंधित मामलों को देखता है। एनआईसीएसआई ने मासिक आधार पर काता विवरण साझा करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। हालाँकि, नई परियोजनाओं के लिए, एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 26.03.2022 को आयोजित अपनी 121वीं बैठक में, संचालन मार्जिन के दरों को संशोधित करते हुए, सभी परियोजनाओं (यानि जीआईए या गैर–जीआईए) में, समय–समय पर, खर्च न की गई राशि पर उपयोगकर्ताओं को एनआईसीएसआई द्वारा अर्जित ब्याज वापस करने की भी मंजूरी दे दी थी। इसे 01.07.2022 से प्रभावी कर दिया गया है और तदनुसार एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अपने वित्तीय विवरण में गैर–जीआईए परियोजना पर ब्याज दिया है (नोट सं. 24 देखें)।

1.3 कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 द्वारा निर्धारित 'ग्राहकों के साथ अनुबंध पर राजस्व' पर भारतीय लेखा मानक 115 का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि सेवाओं की बिक्री पर राजस्व के मामले को गलती से चालान बनाते समय, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (नोट 2 (vii) और नोट 2(xii) देखें) दर्ज किया गया है जबकि इसे 'नियंत्रण' यानि वादा की गई सेवा के हस्तांतरण के समय दर्ज किया जाना चाहिए था। कंपनी की रिपोर्ट की गई आय/व्यय और संपत्ति/देनदारियों पर सेवा पूरी होने के 30 दिनों के भीतर चालान न बनाने के कारण सीजीएसटी अधिनियम के नियम 47 के तहत चूक के साथ–साथ इसके प्रभाव का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है।	एनआईसीएसआई की नीति/कार्यप्रणाली के अनुसार, यह वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री के लिए चालान बनाकर राजस्व जुटाता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते समय और राजस्व पहचान पर मिलान की अवधारणा के अनुसार लागू भारतीय लेखा मानक के सभी प्रावदानों एवं आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है।
1.4 कंपनी ने सूचिक किया है कि उनके पास लगभग 1900 विक्रेता हैं, जिनमें से केवल 45 विक्रेताओं की पहचान एमएसएमई विक्रेताओं के रूप में की जा सकती है। इसके कारण एमएसएमई पर ब्याज की गणना केवल पहचान किए गए एमएसएमई विक्रेतों पर की जाती है। इसके अलावा इसे 687.25 लाख रु. की आकस्मिक देनदारियों के रूप में दिखाया गया है, (अस्वीकृत व्यय और देयता निर्धारित करने की बजाए), क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि यदि परियोजना में विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए फंड उपलब्ध है तो उपयोगकर्ता विभाग से इसकी वसूली की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप व्यय के साथ–साथ देनदारियों को 687.25 लाख रु. कम बताया गया है।	वित्त वर्ष के दौरान एनआईसीएसआई ने एमएसएमई प्रमाणपत्र जमा करने के लिए अपने विक्रेताओं को सख्ती से कहा ताकि एमएसएमई वर्गीकरण एवं ब्याज की गणना की जा सके। हालाँकि केवल 45 विक्रेताओं ने ही अभी तक एमएसएमई प्रमाणपत्र जमा किए हैं। इन 45 विक्रेताओं के लिए एमएसएमई के तहत ब्याज की गणना की गई है और आकस्मिक देनदारी में इसका उल्लेख किया गया है, चूंकि परियोजनाओं में धनराशि उपलब्ध नहीं है इसलिए इसे उपयोगकर्ता विभाग से वसूला जा सकता है। एमएसएमई के तहत ब्याज का भुगतान तब किया जाएगा जब विक्रेताओं द्वारा कोई मांग की जाएगी, हालाँकि एमएसएमई अधिनियम के तहत कोई मांग लंबित नहीं है।
2. मुख्य मामला	
2.1 हम नोट सं. 3, 4 और 45 की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जिसके तहत भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली (931.50 लाख रु.) और इकाई सं. ए 300 नौरोजी नगर (7812.05 लाख रु.) के भवन के संबंध में समर्पण/स्वत्व विलेख, का पंजीकरण, वर्ष के अंत तक लंबित था।	भीकाजी कामा प्लेस के भवन के लिए समर्पणध स्वत्व विलेख को 18 जुलाई 2023 को एनबीसीसी द्वारा एनआईसीएसआई के नाम पर पंजीकृत कराया गया था। और इकाई सं. ए–300 टावर ए, तीसरा तल, विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नगर, भवन के निर्माणाधीन होने के कारण एनआईसीएसआई के नाम पर स्वत्व विलेख निष्पादन लंबित है।
3. अन्य मामले	
3.1 कंपनी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उसके भौतिक सत्यापन, स्थान, ह्रासित मूल्य और उसके निपाटन से जुड़े रिकॉर्ड रखने संबंधि वर्तमान नियंत्रण प्रक्रिया, यदि कोई हो, को मजबूत करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत वस्तु की मैपिंग, नियंत्रण लगा कर जबकि भौतिक रूप से सत्यापित व्यक्तिगत वस्तुओं की मैपिंग संबंधित पीपीई रिकॉर्ड के साथ उनके विशेष पहचान संख्या के माध्यम से की जा सकती है।	संपत्ति का विवरण उनके जारी किए जाने/निपटान आदि के उचित विवरण के साथ निर्धारित पंजी में रखा जा रहा है। इसके अलावा, एनआईसीएसआई मुख्यालय (एसपी और एलएनडीसी समेत) और उसकी राज्य इकाईयों के लिए तीन सदस्यों की समिति द्वारा सभी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। (एसपी और एलएनडीसी समेत)। तदनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के लिए भी ऐसा किया गया है।

3.2 हालाँकि कंपनी ने 01 जुलाई 2017 से ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, व्यक्तिगत पार्टी शेष की मैपिंग और रोकड़ शेष को आगे बढ़ाने, एजिंग शेड्यूल, ईआरपी से सीधे खाते का विवरण प्राप्त करने, खातों के विवरण में किए गए बदलाव पर नजर रखना, से संबंधित कुछ नियंत्रण कमियां पाई गईं। बिक्री रजिस्टर को उचित तरीके से तैयार नहीं किया गया था क्योंकि वस्तु और सेवाओं का विभाजन उचित नहीं है क्योंकि संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के वित्तीय आंकड़े बिक्री रजिस्टर के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे हैं (बिक्री रजिस्टर सकल आधार पर वित्तीय आंकड़ों से मेल खा रहे हैं, यानि बिना विभाजन के)। प्री–जीएसटी व्यवस्था के कारण तुलन पत्र में माल पर अग्रिम जीएसटी यथावत है, जिसे अब तक समायोजित नहीं किया गया है। किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए सिस्टम लेखापरीक्षा द्वारा मान्य किए जा रहे वर्तमान नियंत्रणों के आधार पर ईआरपी को मजबूत करने और उसके पहचान किए जाने की आवश्यकता है।	एनआईसीएसआई ने 01.07.2017 से खातों और अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपना लिया था। एनआईसीएसआई ने अपने ईआरपी प्रणाली को मेसर्स डॉ. सीबीएस साइबर सिक्योरिटी सर्विसेस एलएलपी से सत्यापित करवाया है। ऑनसाइट लेखापरीक्षा करने के बाद 06.07.2022 को दी गई अपनी रिपोर्ट में, कंपनी ने पाया है कि "यह एप्लिकेशन व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार अलग–अलग कार्यात्मक त्रुटियों से मुक्त है। इसके अलावा, ओरैकल ईबीएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और संबंधित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की लेखापरीक्षा वर्ष में कम–से–कम एक बार या प्रक्रिया/कंप्यूटर संसाधन के किसी भी महत्वपूर्ण उन्नयन पर किया जाएगा। साथ ही, उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु मजबूत एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण का प्रयोग कर एप्लिकेशन को नवीनतम संस्करण में अपडेट किया जाना चाहिए"। एनआईसीएसआई ईआरपी के लिए वर्तमान सपोर्ट को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है और इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। हालाँकि, जैसा कि लेखापरीक्षक ने सुझाव दिया है, शेष और बिक्री पंजी के लिए रिपोर्ट में परिवर्तन चालू वित्त वर्ष में कर दिया जाएगा।
3.3 कंपनी ईएमडी/सुरक्षा जमा आदि की समीक्षा नहीं कर रही है जिसके कारण तीन साल से अधिक की ईएमडी तक बकाया है।	कंपनी नियमित रूप से ईएमडी/सुरक्षा जमा की समीक्षा कर रही है और बैंक जैसे विक्रेताओं से उचित विवरण मिलने एवं पैसे वापस करने संबंधी अनुरोध पत्र प्राप्त करने के बाद धनराशि वापस कर रही है। हालांकि विक्रेताओं को पुरानी ईएमडी/सुरक्षा जमा राशि की वापसी हेतु चालू वर्ष में और अधिक प्रयास किए जाएंगे।
3.4 कंपनी को अपनी लेखांकन नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि बीमा दावों से संबंधित लेखांकन, स्क्रैप का लेखांकन, पट्टा नीतियों का लेखांकन आदि को शामिल/संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।	कंपनी द्वारा हर साल लेखांकन नीतियों की समीक्षा की जाती है और उसमें होने वाले बदलावों को वित्तीय विवरण में शामिल किया जाएगा। स्क्रैप, पट्टा या बीमा दावों के लिए नीतियां चालू वर्ष में बनाई/अपडेट की जाएंगी।
3.5 हमने पाया है कि कार और कंप्यूटर की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। पिछले वित्त वर्षों से संबंधित जीएसटी टीडीएस प्राप्य शेष लंबित हैं। वसूली योग्य कर शेष इस प्रकार लंबित है (बिक्री कर, टीडीएस और आयकर के विभिन्न मदों के तहत)।	प्रबंधन नियमित रूप से बिक्री कर/वैट के साथ पुराने शेष की समीक्षा कर रहा है और सीएजी लेखापरीक्षकों के सुझाव के अनुसार पुराने बकाया वसूली के लिए प्रावधान किए गए हैं। हालाँकि कार/कंप्यूटर की बिक्री पर जीएसटी के संबंध में इसे चालू वर्ष में जमा किया जाएगा।

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2023 तक का तुलन पत्र

₹ लाखो में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
परिसंपत्तियां			
गैर–तात्कालिक परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	3,878.61	2,336.88
पूंजी चालू कार्य	4	8,297.21	-
संपत्ति के प्रयोग का अधिकार	5	15,442.55	16,035.80
अन्य अमूर्त संपत्तियां	6	5,329.49	6,275.10
वित्तीय परिसंपत्तियांः			
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	108.09	1,077.32
आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	8	4,060.91	3,578.62
अन्य गैर–तात्कालिक संपत्तियां	9	1,597.34	8,644.57
कुल गैर–तात्कालिक संपत्तियां		38,714.20	37,948.29
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) व्यापार प्राप्य	10	46,561.48	34,429.17
(ख) नकद और नकद समकक्ष	11	76,321.22	93,139.05
(ग) उपरोक्त '(ख)' के अलावा बैंक बैलेंस	12	1,35,651.57	1,14,759.60
(घ) अन्य वित्त परिसंपत्तियां	13	4,623.05	2,832.51
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	14	19,539.09	17,165.29
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	15	34,304.50	32,441.67
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		3,17,000.91	2,94,767.29
कुल परिसंपत्तियां		**3,55,715.11**	**3,32,715.58**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	200.00	200.00
अन्य इक्विटी	17	89,023.88	73,986.10
कुल इक्विटी		**89,223.88**	**74,186.10**

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
देयताएं			
गैर–तात्कालिक देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
(क) पट्टा देयता	36	14,664.87	14,623.62
(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	18	64.76	59.46
कुल गैर–तात्कालिक देयताएं		**14,729.63**	**14,683.08**
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं:			
(क) पट्टा देयताएं	36	2,843.11	3,219.74
(ख) व्यापार देय	19		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		6,847.30	8,491.68
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य कुल बकाया राशि		41,289.99	35,590.04
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,426.72	1,261.16
अन्य तात्कालिक देयताएं	21	1,99,326.51	1,95,209.26
प्रावधान	22	27.97	74.52
कुल तात्कालिक देयताएं		**2,51,761.60**	**2,43,846.40**
कुल इक्विटी और देयताएं		**3,55,715.11**	**3,32,715.58**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		

संलग्न टिप्पणियाँ (1–63) वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
जे एन मित्तल और कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 003587एन

ह0/–
सीए राजेन्द्र मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. 084470
यूआईडीएनः 23084470बीजीऐक्सटीयूए4623

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
डॉ. विनय ठाकुर
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09710675

ह0/–
भुवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02780311

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
महेन्द्र पाल
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2023

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
	आय			
I	संचालन से राजस्व	23	1,60,418.09	1,40,213.47
II	अन्य आय	24	9,769.37	7,551.07
III	कुल आय (I+II)		**1,70,187.46**	**1,47,764.54**
IV	व्यय			
	स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	25	19,030.09	17,956.39
	सेवा सहायता व्यय		1,14,770.31	1,08,283.71
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,295.16	964.22
	वित्त लागत	27	821.71	899.26
	मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	28	7,292.90	6,597.29
	अन्य व्यय	29	6,941.25	6,883.76
	कुल व्यय (IV)		**1,50,151.42**	**1,41,584.63**
V	कर पूर्व (III–IV) आय/ (हानि)		20,036.04	6,179.91
VI	कर व्ययः		**5,058.64**	**1,562.48**
	(1) वर्तमान कर		5,525.80	1,966.91
	(2) आस्थगित कर		(482.28)	(411.51)
	(3) पिछले वर्षों के लिए कर समायोजन/(बट्टा खाता में डालना)		15.12	7.07
VII	निरंतर संचालन से वर्ष में हुई आय/(हानि) (V–VI)		**14,977.40**	**4,617.43**

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
VIII	अन्य व्यापक आय		-	-
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (आय/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित)		**14,977.40**	**4,617.43**
X	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर सांकेतिक मूल 100 रु.):			
	(1) बेसिक	30	7,488.70	2,308.72
	(2) डाइलूटेड	30	7,488.70	2,308.72

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2

संलग्न टिप्पणियाँ (1–63) वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
जे एन मित्तल और कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 003587एन

ह0/–
सीए राजेन्द्र मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. 084470
यूआईडीएनः 23084470बीजीऐक्सटीयूए4623

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
डॉ. विनय ठाकुर
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09710675

ह0/–
भुवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02780311

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
महेन्द्र पाल
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.09.2023

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. जारी, अभिदान और चुकता इक्विटी शेयर की इक्विटी शेयर पूंजी 100/– रु. प्रत्येक

₹ लाखो में

विवरण	टिप्पणी	धन राशि
31 मार्च 2021 तक	16	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2022 तक	16	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2023 तक	16	200.00

ख. अन्य ईक्विटी (टिप्पणी 17 देखें)

₹ लाखो में

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष प्रतधारित आय	अन्य कुल इक्विटी
31 मार्च 2021 तक	69,368.67	69,368.67
पूर्व अवधि आय (कर्मचारी)		
वर्ष के लिए अधिशेष (कमी)	4,617.43	4,617.43
31 मार्च 2022 तक	73,986.10	73,986.10
पट्टा परिसंपत्तियों के लिए पूर्व अवधि समायोजन (नोट सं. 36 देखें)	505.23	505.23
पट्टा देयताओं के लिए पूर्व अवधि समायोजन (नोट सं. 36 देखें)	(444.85)	(444.85)
वर्ष के लिए अधिशेष/(कमी)	14,977.40	14,977.40
वर्ष के लिए कुल अधिशेष	15,037.78	15,037.78
31 मार्च 2023 तक	89,023.88	89,023.88

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जे एन मित्तल और कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

कंपनी पंजीकरण संख्या 003587एन

ह0/–

सीए राजेन्द्र मित्तल

भागीदार

सदस्यता सं. 084470

यूआईडीएनः 23084470बीजीऐक्सटीयूए4623

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–

डॉ. विनय ठाकुर

प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 09710675

ह0/–

भुवनेश कुमार

अध्यक्ष

डीआईएनः 02780311

ह0/–

सन्नी जैन

कंपनी सचिव

एसीएसः 31700

ह0/– ह0/–

महेन्द्र पाल

एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 15.09.2023

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर और असाधारण वस्तुओं से पूर्व अधिशेष/(घाटा)	**20,036.04**	**6,179.91**
के लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और ऋणपरिशोधन व्यय	7,292.90	6,597.30
डूबंत ऋणों के लिए प्रावधान	1,233.75	741.00
स्टांप ड्यूटी प्रावधान को बदलना	(46.55)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(1.05)	(0.18)
वित्त लागत	821.71	899.26
ब्याज आय	(8,317.90)	(5,747.59)
अग्रिमों के खिलाफ प्रावधान/ (वसूली योग्य)	37.66	(82.90)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन अधिशेष/(घाटा) (I)	**21,056.56**	**8,586.80**
के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(13,367.85)	(8,809.60)
ऋणों और अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(5,761.61)	(14,264.12)
व्यापार प्राप्यों और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	8,784.62	42,279.30
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से उत्पन्न नकद (II)	**(10,344.84)**	**19,205.58**
आयकर से उत्पन्न नकदी		
आयकर का भुगतान	(5,043.52)	(1,966.91)
पिछले वर्षों के लिए आयकर	(15.12)	(7.07)
आयकर से उत्पन्न नकदी (III)	**(5,058.64)**	**(1,973.98)**
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह) (क) (I+II+III)	**5,653.08**	**25,818.40**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की खरीद	(5,262.74)	(1,876.35)
एफडीआर में निवेश	(20,891.96)	(10,403.72)
अचल संपत्तियों की बिक्री	1.27	0.24
प्राप्त ब्याज	6,812.48	6,551.33

निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(बहिर्वाह) (बी)	**(19,340.95)**	**(5,728.50)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
भुगतान किया गया ब्याज	(821.71)	(899.26)
पट्टा देयता के मूल अंश का भुगतान	(2,308.25)	(1,299.54)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह) (ग)	**(3,129.96)**	**(2,198.80)**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(16,817.83)	17,891.10
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	93,139.05	75,247.95
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**76,321.22**	**93,139.05**

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2023 तक**	**31 मार्च 2022 तक**
नकद और नकद समकक्ष		
बैंकों में शेष	75,003.57	54,642.59
अग्रदाय खाता	0.14	0.50
अन्य बैंक शेष		
सावधि जमा	1,317.51	38,495.96
	76,321.22	**93,139.05**

सूचना

1) नकदी प्रवाह के उपरोक्त विवरण को अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय लेखांकन मानक –7, ''नकद प्रवाह विवरण'' के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
2) वर्ष के अंत में नकद और बैंक शेष में बैंकों के पास बची नकद और शेष राशि शामिल होती है। इनका विवरण इस प्रकार हैः
3) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (एफडीआर में निवेश) में 2167.33/– लाख रु. की गारंटी के खिलाफ मार्जिन मनी जमा के रूप में रखी गई सावधि जमा शामिल है (पिछले वर्ष 291.60/– लाख रु., नोट सं. 7 देखें और 2171.16/– लाख रु., नोट सं. 12 देखें)
4) नकद प्रवाह के उपरोक्त विवरण में सीएसआर गतिविधियों के लिए 250.00 लाख रु. (पिछले वर्ष 112.00 लाख रु.) शामिल हैं। नोट सं. 55 देखें।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

जे एन मित्तल और कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 003587एन

ह0/–
सीए राजेन्द्र मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. 084470
यूआईडीएनः 23084470बीजीऐक्सटीयूए4623

ह0/–
डॉ. विनय ठाकुर
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09710675

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
भुवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02780311

ह0/–
महेन्द्र पाल
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2023

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

कॉरपोरेट सूचना

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटड ('निगम') को, 29 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा– 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ('एनआईसी'), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन निगमित किया गया था। निगम सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को संपूर्ण आईटी समाधान प्रदान करने का कार्य करता है।

15 सितंबर 2023 के निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (अब से भारतीय लेखा मानक के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के तहत जारी नियमों और भारत में स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाएगा।

उचित मूल्य पर आंकी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को छोड़कर वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं (वित्तीय उपकरणों के संबंध में लेखांकन नीति देखें)।

वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लाभकारी संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु.) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। वित्तीय विवरणों और नोट्स में बताई गई सभी राशियों को अनुसूची ।।। की आवश्यकता के अनुसार निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित किया गया है, जबतक अन्यथा न उल्लिखित हो। त्रुटियों के पूर्णांकन को नजरअंदाज कर दिया गया है।

ii. परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण:

किसी संपत्ति को तब वर्तमान संपत्ति माना जाता है जब:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की उम्मीद हो या बेचे जाने या उपभोग की मंशा हो;
- मुख्य रूप से कारोबार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर बेचे जाने की उम्मीद हो;
- नकद या नकद समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम–से–कम बारह माह के लिए किसी देनदारी का निपाटन करने हेतु इसका आदान–प्रदान या उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देनदारी को तब वर्तमान (चालू) संपत्ति माना जाता है जब:

- सामान्य परिचालन चक्र में इसके निपटान की उम्मीद होय
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई होय
- इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर किया जाना है, या

- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कमदृसेदृकम 12 माह के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां एवं देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संचालन चक्र वह समय है जिसमें प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता है और नकद एवं नकद समकक्षों में उसकी बिक्री की जाती है। निगम ने अपना संचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया है।

iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

(क) मान्यता और प्रारंभिक माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनकी अधिग्रहण लागत पर बताया गया है। भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर, कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण क पिछले जीएएपी वहन मूल्य (मानित लागत) पर मापना निर्धारित किया था।

लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे होते हैं और इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व लागत शामिल है। खरीद मूल्य पर पहुंचने पर किसी भी व्यापार छूट और छूट में कटौती की जाती है। बाद की लागत को परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ दिया जाता है या अलग परिसंपत्तियों के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसा उचित हो, केवल तभी जब यह संभव हो कि वस्तुओं से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। जब संयंत्र और मशीनरी के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर बदलने की जरूरत होती है तो कंपनी उनके उपयोगी जीवन के आधार पर अलग से उनका मूल्यह्रास करती है। इसी प्रकार, जब कोई बड़ी जांच की जाती है, तो इसकी लागत को संयंत्र की वहन राशि में पहचाना जाता है और मान्यता मानदंड पूरा होने पर उपकरण बदल दिए जाते हैं। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ या हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ख) परवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगी जीवन)

पीपीई की वस्तुओं पर ह्रासित मूल्य पद्धति और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित दरों पर प्रदान किया गया है। निगम ने पीपीई की सभी वस्तुओं का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के अनुरूप निर्धारित किया है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है।

(ग) मान्यता रद्द करना

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और आरंभ में स्वीकृत कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा निपटान पर या जिससे भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिगणित) को, संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर आय के विवरण में शामिल किया जाता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो, संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

(IV) अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को शुरूआत में लागत पर मापा गया है। अमूर्त संपत्तियों को बाद में संचित परिशोधन और संचित अपसामान्य हानि को घटाकर लागत पर मापा गया है। अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन सीमित या अनंत हो सकता है। ह्रासित मूल्य पद्धति के अनुसार सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया गया है। एक सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कमदृ सेदृ कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों

के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है और लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को आय और व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य संपत्ति के मूल्य का हिस्सा न हो।

कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर से संबंधित लागतों को उनके अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन क्रमशः एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या छह वर्ष के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत और परिशोधित किया जाता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर से संबंधित लागतों को दस वर्षों के अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत एवं परिशोधित किया जाता है।

(V) वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन ऐसा अनुबंध होता है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक स्वीकृति और माप

सबी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरूआत में उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है, साथ ही, अगर लाभ या हानि के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों को दर्ज नहीं किया गया हो तो ऐसे मामले में, लेनदृ देन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) को व्यापार तिथि पर स्वीकृति दी जाती है यानि वह तिथि जब कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

परवर्ती माप

परवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

परिशोधन लागत पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्न दोनों शर्तों पूरी होती हों तो:

क) परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के पास हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने हेतु परिसंपत्तियों को रखना हो, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल बकाया मूल्य राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक मान्यता पर सभी वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर स्वीकृति दी जाती है। लेनदृदेन की लागत जो वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, जो आय या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं। प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का प्रयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में जोड़ा गया है। अपसमानता के कारण होने वाली हानि को लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई)

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे हो रहे हों तो एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई माना जाता है:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने, दोनों से प्राप्त किया जाता है और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकद प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता हो।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में रखा गया ऋण साधन को शुरूआत में, साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचालन को स्वीकार किया जाता है। हालाँकि, कंपनी ब्याज से होने वाली आय, अपसामान्य हानि और रिवर्सल एवं विदेशी मुद्रा से लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज करती है। परिसंपत्तियों को बेचे जाने पर, ओसीआई में पहले हुए लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन को रखते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग कर ब्याज आय के रूप में दिखाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता, उसे एफवीटीपीएल श्रेणी में रखा जाता है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल की तरह परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता हो। हालांकि, ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या स्वीकृति असंगतता कम हो रही हो या समाप्त हो रही हो (जिसे श्लेखा बेमेलश कहा जाता है)। कंपनी ने एफवीटीपीएल के अनुसार कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि खाते में दर्ज सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। इक्विटी साधन जो व्यापार और आकस्मिक विचार के लिए रखे जाते हैं, एक अधिग्रहणकर्ता द्वारा व्यापार संयोजन में स्वीकृत होते हैं, जिस पर भारतीय लेखा मानक 103 (व्यापार संयोजन) लागू होता है, उन्हें एफवीटीपीएल में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी किसी इक्विटी उपकरण को एफवीटीओसीआई के अनुसार वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, उपकरण पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन ओसीआई में पहचाने जाते हैं। निवेश की बिक्री पर भी लाभ और हानि तक की रकम का कोई पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पीएंडएल में मान्यताप्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य कर दिया जाता है जबरू

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, या

संबंधित कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या श्पासदृथ्रूश व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व मान लिया है और

या तो कंपनीः

(क) ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या

(ख) परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही पर्याप्त रूप से अपने पास रखा है लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पासदृथ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस सीमा तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार

रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, तो कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उसी स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी पहचानती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देनदारी को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बरकरार रखे गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। .

हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले भाग और कंपनी को चुकाने हेतु आवश्यक प्रतिफल की अधिकतम राशि पर मापा जाता है।

वित्तीय संपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम हानि जोखिम पर अपसामान्य हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती हैरू

क) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।

कंपनी अपनी प्रारंभिक मान्यता से ही, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल अपसामान्य हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण (पीएंडएल) में आयध्व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(VI) उचित मूल्य माप

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों को मापती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति बेचने या देनदारी हस्तांतरित करने का लेनदेन होता है–

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए मुख्य बाजार में, या
- प्रमुख बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देनदारी के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार तक कंपनी की पहुँच होनी चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देनदारी का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। एक गैरदृवित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप बाजार भागीदार की संपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में प्रयोग कर या इसे किसी अन्य बाजार भागीदार को बेचकर आर्थिक लाभ पैदा करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो परिसंपत्ति को उसके उच्चतम एवं सर्वोत्तम उपयोग में प्रयोग करेगा।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के प्रयोग को अधिकतम करने एवं अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए।

सभी संपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है, उन्हें निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैंः

- स्तर 1 – समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिए बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने संपत्ति या देनदारी की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों एवं उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर संपत्तियों एवं देनदारियों की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी का प्रबंधन परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का विश्लेषण करता है जिन्हें कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनः मापने या पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के लिए, कंपनी वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन कर यह निर्धारित करती है कि पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप हेतु महत्वपूर्ण है) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में।

यह नोट उचित मूल्य के निर्धारण के लिए लेखांकन नीति का सारांश प्रस्तुत करता है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटन प्रासंगिक नोट्स में निम्नानुसार दिए गए हैंरू

- महत्वपूर्ण अनुमानों और धारणाओं के लिए प्रकटन
- उचित मूल्य माप पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटन
- वित्तीय उपकरण (परिशोधन लागत पर लिए गए उपकरणों समेत)

(VII) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

राजस्व को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, भले ही भुगतान कभी भी किया जा रहा हो। राजस्व को स्वीकार करने पहले निम्नलिखित विशिष्ट मान्यता मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिएरू –

वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री के संबंध में राजस्व

राजस्व को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि आर्थिक लाभ निगम को प्राप्त होंगे और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। राजस्व को अनुबंध द्वारा परिभाषित भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या चुंगी को छोड़कर, प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वस्तुओं/स्टॉक और बिक्री वाली वस्तुओं की बिक्री के संबंध में राजस्व चालान के निर्माण के समय या उस समय स्वीकार किया जाता है जब वस्तु का नियंत्रण खरीददारों के पास चला जाता है, आमतौर पर वस्तु की डिलीवरी और डिलीवरी के प्रमाण देने पर। वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाला राजस्व या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के शुद्ध मूल्य पर मापा जाता है।

सेवाओं की बिक्री के संबंध में राजस्व चालान बनाए जाने के समय या उस सम स्वीकार किया जाता है जब खरीददारों को पूरी सेवा दे दी जाती है, आमतौर पर सेवा के प्रमाण दिए जाने पर। सेवा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

निगम परियोजना लागत के आधार पर समयदृ समय पर निर्धारित स्लैब दरों पर संचालन मार्जिन को मान्यता प्रदान करता है। आमतौर पर संचालन मार्जिन दरें परियोजना लागत के विपरीत आनुपातिक होती हैं यानी परियोजना लागत जितनी अधिक होगी, संचालन मार्जिन दर उतनी ही कम होगी। परियोजना लागत में वृद्धि के कारण संचालन मार्जिन दर में बाद में की जाने वाली कोई भी कमी का हिसाब वर्ष के अंत में या परियोजना समापन के समय संबंधित क्रेडिट नोट जारी कर किया जाता है। इस प्रकार जारी किए गए क्रेडिट नोट्स आय के संबंधित मदों से घटाए जाते हैं।

अतिबिलन में राजस्व को बिना बिल वाले राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि राजस्व से अधिक बिलिंग को अनुबंध देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ब्याज आय

सभी ऋण साधनों के लिए या तो परिशोधन लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, ब्याज आय प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करके दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या छोटी अवधि में अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को, जहाँ उपयुक्त हो, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय देनदारी की परिशोधित लागत से बिल्कुल छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी अनुबंध शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी प्रकार के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकद प्रवाह का अनुमान लगाती है लेकिन क्रेडिट हानि पर विचार नहीं करती है। लाभ और हानि के विवरण में ब्याज आय को वित्त आय में शामिल किया जाता है।

(VIII) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से परियोजना अनुदान हेतु अग्रिम।

एनआईसीएसआई को सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वस्तुओं और सेवाओँ की बिक्री हेतु अग्रिम प्राप्त हुआ है। ये लेनदृदेन इकाई के सामान्य व्यापारिक लेन–देन हैं। वित्तीय विवरणों में मंत्रालयों के प्रकटीकरण हेतु प्राप्त अग्रिम को 'अन्य वर्तमान देनदारियों' के मद के तहत श्ग्राहकों से प्राप्त सहायता अनुदानश के रूप में अलग से बनाया गया है क्योंकि ये सामान्य व्यापारिक लेनदेन हैं। इन अग्रिमों का उपयोग संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और यदि संबंधित परियोजना के अंत में एनआईसीएसआई के पास शेष राशि उपलब्ध है, तो उसे ब्याज (यदि कोई हो) के साथ अनुदानकर्ता संस्थान को वापस कर दिया जाता है। सभी अनुदान सहायता राशियाँ केवल परियोजनाओं के लिए प्राप्त की जाती हैं।

एनआईसीएसआई हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद और जनशक्ति प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों/संगठनों से विभिन्न आदेशों का क्रियान्वयन करता है। यह समय–समय पर अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार, प्रत्येक ऑर्डर की कुल लागत पर ऑपरेटिंग मार्जिन लेता है। एनआईसीएसआई को उन आदेशों के विरुद्ध विभागों/संगठनों से अग्रिम के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। एनआईसीएसआई को किसी अन्य प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती, जिससे उसे सीधे तौर पर लाभ मिलता हो। एनआईसीएसआई को रियायती दर पर या मुफ्त में कोई मौद्रिक या गैर–मैद्रिक संपत्ति का अनुदान नहीं दिया जाता है।

एनआईसीएसआई मंत्रालयों/विभागों द्वारा सहायता अनुदान जारी किए जाने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन/स्वीकृतियों से संबंधित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करता है।

(IX) मालसूची (इन्वेंटरी)

इन्वेंटरी की लागत में खरीद की सभी लागत, रूपांतरण की लागत और इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगने वाली अन्य लागत शामिल है। इन्वेंटरी (सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री समेत) का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर, फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट (एफआईएफओ) पद्धित, पर किया गया है। उपभोग्य भंडारों से खरीद के वर्ष में राजस्व लिया गया है जो नगण्य है।

(X) सेवानिवृत्ति लाभ

एनआईसी के साथ हुए समझौते के अनुसार, छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान की राशि की गणना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन और ग्रेड पे पर की जाती है और एनआईसी को दे दी जाती है। कंपनी कर्मचारियों को किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसे भविष्य में पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जाएगा।

(XI) पूर्व अवधि की वस्तुएं

पूर्व अवधि की वस्तुएं किसी इकाई की पिछली अवधि के वित्तीय विवरणों में चूकध गलत विवरण हैं, जिसमें तुलन पत्र का गलत वर्गीकरण भी शामिल है। भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार, पूर्व अवधि की गलतियों को उनका पता लगाने के बाद अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में पूर्वव्यापी गलतियों के सुधार की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रस्तुत पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल किया जाता है जिसमें गलती हुई थी। हालाँकि, यदि ऐसा पुनर्कथन अव्यावहारिक है यानी जब कोई इकाई ऐसा करने के लिए हर उचित प्रयास करने के बाद भी इसे लागू नहीं कर सकती है तो भारतीय लेखा मानक को पूर्व की अवधि की तुलना में ऐसी पूर्व अवधि की वस्तुओं के पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है।

(XII) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

निगम के पास हर साल प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एक अंतिम तिथि होती है, जिसमें 31 मार्च तक प्रदान की गई सेवाओं के लिए विक्रेताओं के चालान जमा किए जाते हैं और पिछले वर्ष के व्यय के अनुसार हिसाब किताब किया जाता है। 31 मार्च तक की अवधि के लिए उस तिथि तक प्राप्त आय का हिसाब भी उसी वित्त वर्ष में किया जाता है। तदनुसार, खातों में मिलान अवधारणा सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार, 31 मार्च के बाद विक्रेताओं द्वारा बनाए गए चालान या उस तिथि के बाद एनआईसीएसआई में वास्तव में देर से प्राप्त होने वाले व्यय को अगले वर्ष में बुक किया जाता है और संबंधित आय भी अगले वर्ष में बुक किए जाते हैं क्योंकि ये सभी चालान मार्च के लिए जीएसटी जमा करने/जीएसटी रिटर्न भरने की निर्धारित/अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए हैं।

व्यय और आय, जीएसटी प्रावधानों एवं आयकर प्रावधानों की उपर उल्लिखित लेखांकन मिलान अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए, निगम प्रबंधन द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार और चालान तिथि/वास्तविक रसीद तिथि को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं से, कंपनी

द्वारा निष्पादित किए जा रहे व्यवसाय के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, चालान बुक करेगा।

उपरोक्त बुकिंग संबंधित वित्त वर्ष में उत्पन्न कुल राजस्व के 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(XIII) पट्टे

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का प्रयोग कर भारतीय लेखा मानक 116 को लागू किया है और इसलिए तुलनात्मक जानकारी को दोबारा नहीं बताया गया है और भारतीय लेखा मानक 17 के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी पट्टे की आरंभ की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टे की देनदारी को पहचानती है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान हेतु समायोजित पट्टा देनदारी की आरंभिक राशि, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और विघटित करने एवं हटाने की लागत का अनुमान शामिल होता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए जिस पर वह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन राशि को घटा दिया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को बाद में प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत तक सीधी रेखा विधि का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति और उपकरणों के समान आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति को समयदृ समय पर अपसामान्य हानि, यदि कोई हो, से घटा लिया जाता है और पट्टे की देनदारी के कुछ पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टा देनदारी को आरंभ में लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिसका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, ब्याज दर (यानि सरकारी बांड की औसत ब्याज दर –7.75%) का प्रयोग करके छूट दी जाती है।

पट्टा दायित्व की माप में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैंरू

- निश्चित भुगतान, जिसमें इनदृ सब्सटांस फिक्स्ड पेमेंट्स भी शामिल है।
- परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, प्रारंभ में आरंभिक तिथि के अनुसार सूचकांक या दर का प्रयोग करके मापा जाता हैय
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय होने वाली अपेक्षित राशियाँय और
- एक खरीद विकल्प के तहत उचित मूल्य के तहत जिसे कंपनी प्रयोग करने के लिए उचित रूप से निर्धारित करती है, एक वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में पट्टे का भुगतान, यदि कंपनी एक विस्तार विकल्प को अपनाने के लिए उचित रूप से निर्धारित करती है और एक पट्टे की जल्दी समाप्ति के लिए जुर्माना जब तक कि कंपनी उसे जल्द समाप्त करने के लिए उचित रूप से निश्चित न हो।

पट्टा देनदारी को प्रभावी ब्याज पद्धित का प्रयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इसे तब फिर से मापा जाता है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव के कारण भविष्य के पट्टे भुगतान में परिवर्तन होता है, अगर कंपनी के अवशिष्य मूल्य गारंटी के तहत देय राशि के अनुमान में कोई बदलाव होता है या अगर कंपनी अपना मूल्यांकन बदलती है कि वह खरीददारी, विस्तार या समाप्ति में से कौन से विकल्प का प्रयोग करेगी।

जब पट्टे की देनदारी को इस प्रकार से फिर से मापा जाता है तो उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की वहन राशि के अनुरूप समायोजन किया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि कम कर दी गई है तो इसे लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है, शून्य करने के लिए।

कंपनी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां प्रस्तुत करती हैं जो तुलन पत्र में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' में निवेश संपत्ति की परिभाषा और 'अन्य वित्तीय देनदारियों' में पट्टा देनदारियों को पूरा नहीं करती हैं।

अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने 12 माह की लीज अवधि वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों और लीज देनदारियों को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी दूरेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

किसी पट्टे को आरंभ तिथि पर वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टा जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है, उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्त पट्टों को पट्टे की शुरूआत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य पर या, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त शुल्क और पट्टा देनदारी में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देनदारी की शेष राशि पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके। वित्त शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में लिखा जाता है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रूप से योग्य संपत्तियों के उत्तरदायी न हों, जिस स्थिति में उन्हें उधार लेने की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

एक पट्टे पर दी गई संपत्ति का मूल्य उसके उपयोगी जीवन काल के दौरान कम हो जाता है। हालाँकि, यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी, तो संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि के कम होने पर संपत्ति का मूल्यह्रास हो जाता है।

परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

कोई अनुबंध (या समझौता) एक पट्टा है या नहीं, इसका निर्धारण पट्टे के आरंभ में अनुबंध के सार पर आधारित है। यदि अनुबंध या समझौता, एक पट्टा तभी होगा जब अनुबंध की पूर्ति किसी विशिष्ट संपत्ति या संपत्ति के उपयोग पर निर्भर हो और अनुबंध संपत्ति या संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार देती हो, भले ही वह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो।

पट्टे वाले अनुबंधों का मूल्यांकन संक्रमण तिथि यानी 1 अप्रैल 2016 को भारतीय लेखा मानक 101 के अनुसार वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण के लिए पहली बार अपनाने वाले भारतीय लेखा मानकों के अनुसार किया गया है, जो भारतीय लेखामानक के आध ाार पर संक्रमण की तिथि के अनुसार, उस तिथि पर वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप हैं।

(XIV) आय कर

वर्तमान आय कर

वर्तमान आयकर संपत्तियों और देयताओं को उस राशि पर मापा जाता है जिसकी वसूली या कराधान अधिकारियों को भुगतान किए जाने की उम्मीद है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ या हानि के बाहर स्वीकृत प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि (या अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर स्वीकार किया जाता है। प्रबंधन समयदृसमय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन कर उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान बनाते हैं।

वर्तमान आयकर संपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट किया जाता है यदि इन्हें सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद हैं।

आस्थगित कर

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग कर आस्थगित कर की गणना की जाती है।

आस्थगित कर देयताएं सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

आस्थगित कर संपत्तियां सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए मान्यताप्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध

होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर संपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है आस्थगित कर संपत्ति के सभी या उसके हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैरदृ मान्यताप्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता प्राप्त होती है कि यह संभावित हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

ऐसा स्थितियों में जहां कपनी भारत में अधिनियमित आयकर अधिनियम, 1961, के तहत कर अवकाश की हकदार है, अस्थायी अंतर के संबंध में कोई आस्थगित कर (संपत्ति या देयता) मान्य नहीं है जो कर अवकाश अवधि के दौरान उलट जाता है।

अस्थायी अंतरों के संबंध में आस्थगित कर, जो कर अवकाश अवधि के बाद उलट जाते हैं, उस वर्ष में पहचाने जाते हैं जिसमें, अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं।

हालांकि, कंपनी आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता को इस सीमा तक प्रतिबंधित करती है कि वह यथोचित रूप से निश्चित हो गया हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है जिनके उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब संपत्ति साधि ात होती है या देयता का निपटान कर दरें (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

लाभ या हानि के बाहर मान्यताप्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या ओसीआई या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर मदों को ओसीआई में या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर संपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं ऑफसेट हैं यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान कर देयताओं के खिलाफ वर्तमान कर संपत्ति को सेट करने के लिए वर्तमान हैं और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई एवं एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

न्यूनतम वैकल्पिक कर

न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान कर कानूनों के अनुसार किया जाता है, जो भविष्य की आय कर देयताओं के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ प्रदान करता है, यदि कंपनी द्वारा सामान्य आयकर का भुगतान करने का ठोस प्रमाण उपलब्ध हो तो इसे संप्तति माना जाता है। तदनुसार, मैट को बैलेंस शीट में परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जब इस बात की संभावना होती है कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

(XV) गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक संपत्ति बर्बाद हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक संपत्ति या नकददृ उत्पादक इकाईयों (सीजीयू/CGU) में से उचित मूल्य के निपटान लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होती है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य संपत्तियों या संपत्ति के समूह से बहुत हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी संपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और वसूली योग्य राशि को बट्टा खाता में डाल दिया जाता है।

उपयोग में मूल्यांकन का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्वदृकर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेनदृदेन की पहचान नहीं की जा सकती है तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर की कीमतों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

साख (गुडविल) को छोड़कर संपत्तियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए एक मूल्यांकन किया जात है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यताप्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद हो तो कंपनी संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि काअनुमान लगाती है। पहले से मान्यताप्राप्त हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली हानि की पहचान होने के बाद से संपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं में कोई परिवर्तन हुआ हो। रिवर्सल (उलट) सीमित है ताकि संपत्ति का वहन इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो और न ही वहन राशि से अधिक हो जो निर्धारित की गई हो, मूल्यह्रास के शुद्ध, पिछले वर्षों में संपत्ति के कोई हानि की पहचान नहीं की गई थी। इस तरह के उत्क्रमण को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकन राशि पर नहीं ले जाता जाता है, इस मामले में उत्क्रमण को पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि के रूप में माना जाता है।

(XVI) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि/डूबंत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

तुलन पत्र तिथि के अनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 100%, 5–10 वर्षों के लिए 50% और 3–5 वर्षों के बीच 25% पर विचार करके मान्यता दी जाती है।

(XVII) आपूर्तिकर्ताओं को बकाया अग्रिम हेतु प्रावधान

आपूर्तिकर्ताओं को बकाया अग्रिमों के लिए एक प्रावधान को मान्यता दी गई है जो तुलन पत्र की तिथि के अनुसार तीन साल से अधिक समय से बकाया है।

(XVIII) प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायलूटेड आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित कर इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय प्राप्त करने के लिए माना जाता है और साथ ही जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डायलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर। यदि इक्विटी शेयर वास्तव में उचित मूल्य (अर्थात बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किए गए थे तो प्राप्त होने वाली आय के लिए डाइलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। डाइलूटेड संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत के रूप में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि बाद की तिथि में आंकड़े जारी नहीं किया जाता है। प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए डायलूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाता है।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले किए गए परिवर्तनों सहित किसी भी शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के मुद्दों के लिए प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों की संख्या पूर्वव्यापी रूप से समायोजित की जाती है।'

(XIX) प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है जब किसी उद्यम की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। उचित जोखिम समायोजित रियायती दर पर दीर्घकालिक प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्यों पर छूट दी जा सकती है। अल्पकालिक प्रावधानों को छूट देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। रचनात्मक दायित्वों के संबंध में प्रावधान भी बनाए जाने की आवश्यकता है। तथापि, रिपोर्टिंग अवधि में निगम का कोई रचनात्मक दायित्व नहीं था।

आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया जाता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक संपत्तियों का प्रकटन वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

(XX) नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और अल्पकालिक जमा में बैंकों की नकदी और हाथ में नकदी एवं तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल होते हैं जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

नकद और नकद समकक्षों में बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल है जो कंपनी के नकद प्रबंधन का अभिन्न अंग है।'

2.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और धारणाएं

कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर राजस्व, व्यय, संपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा और संबंधित प्रकटीकरण एवं आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। अनुमान और धारणाओं का लगातार मूल्यांकन किया जाता है एवं प्रबंधन के अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होता है जिसमें भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल हैं जिन्हें परिस्थितियों में उचित माना जाता है। इन धारणाओं एवं अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित संपत्तियां या देयता की वहन राशि के लिए वास्तविक समायोजन की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है जहां महत्वपूर्ण निर्णयों, अनुमानों और धारणाओं की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में अधिक जानकारी और वे विभिन्न लेखांकन नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, नीचे वर्णित हैं और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों में भी हैं। अनुमानों में परिवर्तन को संभावित रूप से ध्यान में रखा जाता है।

निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हैरू

आकस्मिक व्यय

कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुंच और अन्य दावों सहित कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली की आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं का समाधान तभी होगा जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं घटित होंगी या घटित होने में विफल होंगी। आकस्मिकताओं के अस्तित्व और संभावित मात्रा के आकलन में स्वाभावित रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रयोग और भविष्य की घटनाओं के परिणाम के बारे में अनुमानों का उपयोग शामिल है।

अनुमान और धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं जिनमें अगले वित्त वर्ष के भीतर संपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों के लिए वस्तु समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से बाहर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

(क) गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि संपत्ति बर्बाद हो सकती है। यदि कोई संकेत हो या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। संपत्ति की वसूली योग्य राशि एक संपत्ति या सीजीयू के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम होता है। यह एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य संपत्ति या सीजीयू की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशइ से अधिक हो जाती है, वहां संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्वदृकर छूट दर का उपयोग कर उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार का आकलन को बताता है। निपटान लागत को घटाकर उचित मूल्य निकालने में हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन

की पहचान नहीं की जा सकती है तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत शेयरकों के मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि की जाती है।

(ख) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय संपत्तियां और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिए बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापा जा सकता तो उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ सीमा तक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

(ग) वित्तीय संपत्तियों की हानि

वित्तीय संपत्तियों की हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथदृ साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता दृ जिस सीमा तक आस्थगित कर संपत्तियों को स्वीकार किया जा सकता है वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर संपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

2.2 हाल में की गईं लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानत) नियमों के तहत वर्तमान मानकों में नए मानकों या संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च 2023 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023, में निम्नानुसार संशोधन कियाः

भारतीय लेखा मानक 1, वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी आवश्यक लेखांकन नीतियों के प्रकटन की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

भारतीय लेखा मानक 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और गलतियां

इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा प्रस्तुत की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में बदलावों से लेखांकन नीतियों में बदलाव को अलग करने में मदद करने के लिए भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय लेखा मानक 12, आय कर

इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

नोट सं.– 3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

₹ लाखो में

विवरण	भवन	फर्नीचर और फिक्सर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर्स	कुल
लागत						
1 अप्रैल 2021 के अनुसार	1,985.85	1,603.49	17.63	4,381.07	7,283.36	15,271.40
संवर्धन	-	4.12	-	418.47	305.96	728.55
निपटान	-	-	-	-	0.06	0.06
31 मार्च 2022 तक	1,985.85	1,607.61	17.63	4,799.54	7,589.26	15,999.89
संवर्धन	-	4.84	-	269.20	2,434.92	2,708.96
अन्य समायोजन (नीचे 2 देखें)	-	358.49	-	-	-	358.49
निपटान	-	-	0.17	-	0.05	0.22
31 मार्च 2023 तक	1,985.85	1,970.94	17.46	5,068.74	10,024.13	19,067.12
मूल्यह्रास						
1 अप्रैल 2021 तक	1,148.61	1,384.75	8.43	3,790.93	6,561.11	12,893.83
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	40.96	53.96	2.34	361.53	310.39	769.18
31 मार्च 2022 तक	1,189.57	1,438.71	10.77	4,152.46	6,871.50	13,663.01
वर्ष के मूल्यह्रास शुल्क	38.96	67.56	2.58	253.15	906.78	1,269.03
अन्य समायोजन (नीचे 2 देखें)	**-**	**256.47**	**-**	**-**	**-**	**256.47**
निपटान	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	**1,228.53**	**1,762.74**	**13.35**	**4,405.61**	**7,778.28**	**15,188.51**
शुद्ध अंकित मूल्यः						
31 मार्च 2023 तक	**757.32**	**208.20**	**4.11**	**663.13**	**2,245.85**	**3,878.61**
31 मार्च 2022 तक	**796.28**	**168.90**	**6.86**	**647.08**	**717.76**	**2,336.88**

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण हेतु पूंजी प्रतिबद्धता पर प्रकटन हेतु नोट सं. 38 देखें।
2. वित्त वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान 358.49 लाख रु. (31.03.2022 तक 256.47 लाख रु. के साथ संचित मूल्यह्रास) के "फर्नीचर और फिक्स्चर" को गलती से "अन्य अमूर्त संपत्ति" के मद में डाल दिया गया था। चूंकि फर्नीचर और फिक्स्चर पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के तहत निर्धारित दरों के अनुसार उचित तरीके से की गई थी, इसलिए उक्त पुनर्समूहन/पुनर्कथन के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। इसे चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान "अन्य समायोजन" के माध्यम से पुनर्समूहित/पुनर्कथन किया गया है।

कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संप्ततियों के स्वामित्व विलेखों का विवरण

लाख रु. में

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रचारक, निदेशक या प्रचारकध् निदेशक का रिश्तेदार या प्रचारक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
इमारतें	हॉल सं. 2 और 3, छठा तल, 15 एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली– 110066	931.50	एनबीसीसी	नहीं	वर्ष 2001 और वर्ष 2003 से	दिनांक 18 जुलाई 2023 को एनआईसीएसआई के नाम पर स्वत्व विलेख निष्पादित किया गया है। **"नोट सं. – 45 देखें"**

नोट सं.– 4. कार्यशील पूंजी

₹ लाखो में

विवरण	नौरोजी नगर में इमारतें	शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनाना*	4 सिविल शौचालयों का नवीनीकरण और	कुल
31 मार्च 2021	-	-		-
संवर्धन				-
अचल संपत्तियों में स्थानांतरण				-
31 मार्च 2022 तक	**.**	**.**		**.**
संवर्धन	7,812.05	451.01	34.15	8,297.21
अचल संपत्तियों में स्थानांतरण				
31 मार्च 2023 तक	**7,812.05**	**451.01**	**34.15**	**8,297.21**

** The Development of work station at Shastri Park is being carried out in rental property of DMRC (Not owned by NICSI) .*

कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) काल गणना

₹ लाखो में

विवरण	.....की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2023					
नौरोजी नगर में इमारत	7,812.05		-	-	7,812.05
शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनाना	451.01				451.01
शास्त्री पार्क में 4 शौचालयों के नवीकरण में सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य	34.15				34.15
31 मार्च 2023 तक	**8,297.21**	**-**	**-**	**-**	**8,297.21**
31 मार्च 2022					
नौरोजी नगर में इमारत		-	-	-	-
शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनाना					
31 मार्च 2022	-	-	-	-	

कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) समापन कार्यक्रम

₹ लाखो में

विवरण	.....की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2023					
नौरोजी नगर में इमारत	-		7,812.05	-	7,812.05
शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनाना	451.01				451.01
शास्त्री पार्क में 4 शौचालयों के नवीकरण में सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य	34.15				34.15
31 मार्च 2023 तक	**485.16**	**-**	**7,812.05**	**-**	**8,297.21**
31 मार्च 2022					
नौरोजी नगर में इमारत	-	-	-	-	-
शास्त्री पार्क में वर्क स्टेशन बनाना					
31 मार्च 2022	-	-	-	-	-

***नौरोजी नगर में इमारतों पर नोट**

₹ in Lakhs

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वत्व विलेख	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रचारक, निदेशक या प्रचारकध निदेशक का रिश्तेदार या प्रचारक/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
इमारतें*	इकाई सं. ए–300, टावर ए, तीसरा तल, विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नगर, नई दिल्ली	7,812.05	एनबीसीसी	नहीं	17 जून 2022 से, (17 जून 2022 को बिक्री अनुबंध निष्पादित किया गया)	दिनांक 18 जुलाई 2023 को एनआईसीएसआई के नाम पर स्वत्व विलेख निष्पादित किया गया है। **"नोट सं. – 45 देखें"**

** Execution of Title Deed in the name of NICSI is pending, hence no Stamp Duty provision has been created.*

नोट सं.– 5. संपत्तियों के उपयोग का अधिकार

₹ लाखो में

विवरण	संपत्तियों के उपयोग का अधिकार	कुल
31 मार्च 2021 तक	**21,119.89**	**21,119.89**
संवर्धन	1,081.98	1,081.98
अधिकारों में संशोधन	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च 2022 तक	**22,201.87**	**22,201.87**
संवर्धन	1,528.02	1,528.02
पूर्व वर्ष का पुर्नकथन (नोट सं. 36 देखें)	5.23	5.23
अधिकारों में संशोधन	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च 2023 तक	**23,735.12**	**23,735.12**
ऋण मुक्ति		
31 मार्च 2021 तक	**3,892.70**	**3,892.70**
वर्ष के लिए ऋण मुक्ति शुल्क	2,273.37	2,273.37
निपटान		
31 मार्च 2022 तक	**6,166.07**	**6,166.07**
पूर्व वर्ष का पुर्नकथन (नोट सं. 36 देखें)	(500.00)	(500.00)
वर्ष के लिए ऋण मुक्ति शुल्क	2,626.50	2,626.50
निपटान	-	-
31 मार्च 2023 तक	**8,292.57**	**8,292.57**
शुद्ध अंकित मूल्य		
31 मार्च 2023	**15,442.55**	**15,442.55**
31 मार्च 2022	**16,035.80**	**16,035.80**

नोट सं.– 6. अन्य अमूर्त संपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	**सॉफ्टवेयर**	**कुल**
लागत		
1 अप्रैल 2021 तक	23,427.56	23,427.56
संवर्धन	1,147.81	1,147.81
निपटान		-
31 मार्च 2022 तक	**24,575.37**	**24,575.37**
संवर्धन	**2,553.78**	**2,553.78**
अन्य समायोजन (नीचे 2 देखें)	**(358.49)**	**(358.49)**
निपटान	-	-
31 मार्च 2023 तक	**26,770.66**	**26,770.66**

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
ऋण मुक्ति		
1 अप्रैल 2021 तक	**14,745.53**	**14,745.53**
वर्ष के लिए ऋण मुक्ति शुल्क	**3,554.74**	**3,554.74**
31 मार्च 2022 तक	18,300.27	18,300.27
वर्ष के लिए ऋण मुक्ति शुल्क	**3,397.37**	**3,397.37**
अन्य समायोजन (नीचे 2 देखें)	**(256.47)**	**(256.47)**
निपटान	-	-
31 मार्च 2023 तक	**21,441.17**	**21,441.17**
शुद्ध अंकित मूल्य		
31 मार्च 2023 तक	**5,329.49**	**5,329.49**
31 मार्च 2022 तक	**6,275.10**	**6,275.10**

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए पूंजी प्रतिबद्धता पर प्रकटन हेतु नोट सं. 38 देखें।
2. वित्त वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान 358.49 लाख रु. (31.03.2022 तक 256.47 लाख रु. के साथ संचित मूल्यह्रास) के "फर्नीचर और फिक्स्चर" को गलती से " अन्य अमूर्त संपत्ति" के मद में डाल दिया गया था। चूंकि फर्नीचर और फिक्स्चर पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के तहत निर्धारित दरों के अनुसार उचित तरीके से की गई थी, इसलिए उक्त पुनर्समूहन/ पुनर्कथन के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। इसे चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान "अन्य समायोजन" के माध्यम से पुनर्समूहित/पुनर्कथन किया गया है।"

नोट सं.– 7. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	गैर–वर्तमान	
	31 मार्च 2023 तक	**31 मार्च 2022 तक**
सुरक्षा जमा		
सुरक्षा जमा	108.09	500.60
सावधि जमा		
12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि के सावधि जमा*	-	291.60
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
बैंकों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	285.12
कुल	**108.09**	**1,077.32**

*गारंटी के विरुद्ध मार्जिन मनी जमा के रूप में बैंकों के पास सावधि जमा।

नोट सं.– 8. आस्थगित कर

वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक

क. आय और व्यय खाते में दर्ज राशि

₹ लाखो में

	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(i)	**आय या हानि खंड**		
	वर्तमान आयकर शुल्क	5,525.80	1,966.91
	पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	15.12	7.07
	आस्थगित करः		
	अस्थाई अंतरों की उत्पत्ति एवं निराकरण के संबंध में	(482.28)	(411.51)
	आय और व्यय खाते में आयकर व्यय की सूचना	**5,058.64**	**1,562.47**
(ii)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर	-	-
	कुल	**5,058.64**	**1,562.47**

ख. 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कर व्यय और भारत के घरेलू कर दर से गुणा किए गए लेखांकन लाभ का समन्वयः

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
निरंतर संचालन से कर पूर्व आय का लेखांकन	20,036.04	6,179.91
बंद किए गए संचालन से कर पूर्व आय	-	-
आयकर पूर्व लेखांकन आय	20,036.04	6,179.91
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.168% पर (31 मार्च 2023 : 25.168%)	5,042.67	1,555.35
पिछले वर्षों के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	15.12	7.07
आयकर से छूट प्राप्त सरकारी अनुदान		-
अन्य अंतर	-	
आयकर दर में बदलाव के कारण	-	0.05
अन्य परिसंपत्तियां	7.71	-
कर प्रयोजन हेतु गैर–प्रभार्य आय	(11.72)	
कर उद्देश्यों के लिए गैर–कटौती योग्य व्यय	4.86	-
25.248% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2022 : 25.283%)	5,058.64	1,562.47
आय और व्यय खाते में आयकर व्यय की सूचना	5,058.64	1,562.47
बंद किए गए संचालन के कारण आयकर	-	-
कुल	**5,058.64**	**1,562.47**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए, उक्त धारा में परिभाषित प्रावधानोंध शर्तों के अनुसार कम दरों पर आयकर का भुगतान करने के लिए कंपनियों को एक विकल्प प्रदान करता है और तदनुसार, कंपनी ने उक्त खंड में निर्धारित दर के आधार पर आयकर हेतु नई कर दर और मान्यता प्राप्त प्रावधान को अपनाने का निर्णय लिया है और 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी आस्थगित कर संपत्ति/देयताओं का पुनर्माप किया है।

ग. आस्थगित करः

आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित हैं:

₹ लाखो में

विवरण	बैलेंस शीट		आय और व्यय कथन	
	31 मार्च 2023 तक	**31 मार्च 2022 तक**	**31 मार्च 2023 तक**	**31 मार्च 2022 तक**
कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास	129.94	173.68	43.75	9.34
संदिग्ध ऋणों एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम और स्टांप शुल्क हेतु प्रावधान	2,880.09	2,553.06	(327.03)	(165.63)
चालू वर्ष में अस्वीकृत व्यय अगले वित्त वर्ष में स्वीकार्य	63.66	29.43	(34.23)	(17.93)
पट्टा देयताओं को छोड़कर संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार	987.22	822.45	(164.77)	(237.29)
आस्थगित कर व्यय/(आय)				
शुद्ध आस्थगित कर संपत्तियां/(देयताएं)	**4,060.91**	**3,578.62**	**(482.28)**	**(411.51)**

तुलन पत्र में निम्नानुसार दिखाया गया हैः

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2023 तक**	**31 मार्च 2022 तक**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	4,060.91	3,578.62
आस्थगित कर देयताएं		-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं), शुद्ध	**4,060.91**	**3,578.62**

नोट सं.-9. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2023 तक**	**31 मार्च 2022 तक**
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों के लिए		
क) पूंजीगत अग्रिम*	99.68	7,439.80
ख) पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम;		
–आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम**	1,497.66	1,204.77
कुल	**1,597.34**	**8,644.57**

* पूंजीगत अग्रिम में शास्त्री पार्क में काम करने के लिए 99.68/– लाख रु. (पिछले वर्ष 482.12/– लाख रु.) और नौरोजी नगर के लिए वर्ल्ड ट्रेड टावर में कार्यालय स्थान हेतु शून्य रुपये (नौरोजी नगर इमारत के लिए 6957.68 लाख रु., इसे चालू वर्ष में सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है।

** वर्ष 2021–22के दौरान 100.00/– लाख रु. की राशि को गलती से आपूर्तिकर्ता को अग्रिम की श्रेणी में रख दिया गया था और 382.12 लाख रु. को आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, पूंजीगत अग्रिम की बजाए गैरदृ चालू, अब इसे पिछले वर्ष के नोट्सम में पूंजीगत अग्रिम के रूप में पुनःवर्गीकृत किया गया है।

नोट सं.– 10. व्यापार प्राप्य

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य पक्षों के लिए		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	46,561.48	34,429.17
असुरक्षित को संदिग्ध माना जाता है*	10,483.50	9,249.75
घटाएँः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(10,483.50)	(9,249.75)
कुल	**46,561.48**	**34,429.17**

व्यापार प्राप्य की काल गणना

₹ लाखो में

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्न अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2023 तक							
निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है		19,141.61	3,171.98	2,122.81	5,124.13	5,210.50	34,771.03
निर्विवाद व्यापार प्राप्य– संदिग्ध माना जाता है		-	-	-	-	10,483.50	10,483.50
घटाएंः संदिग्ध व्यापार प्राप्य हेतु भत्ता		-	-	-	-	(10,483.50)	(10,483.50)
बिना बिल वाले व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है	11,790.45						11,790.45
	11,790.45	19,141.61	3,171.98	2,122.81	5,124.13	5,210.50	46,561.48
31 मार्च 2022 तक							
निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है		6,115.79	5,059.00	6,529.00	4,743.00	2,543.25	24,990.04
निर्विवाद व्यापार प्राप्य– संदिग्ध माना जाता है						9,249.75	9,249.75
घटाएं रू संदिग्ध व्यापार प्राप्य हेतु भत्ता						(9,249.75)	(9,249.75)
बिना बिल वाले व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है	9,439.13						9,439.13
	9,439.13	6,115.79	5,059.00	6,529.00	4,743.00	2,543.25	34,429.17

*वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 9249.75 लाख रु. के संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पलट दिया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिए 10483.50 लाख रु. का प्रावधान किया गया है (तुलन पत्र तिथि के अनुसार 3 वर्षों से अधिक के लिए कुल बकाया का 5% की बजाए) नोट सं. 52 देखें।

नोट सं.– 11. नकद और नकद समकक्ष

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान परिसंपत्तियां	
	31 मार्च 2023 तक	**31 मार्च 2022 तक**
बैंकों में अधिशेष		
बचत खाता	75,003.57	54,642.59
अन्य		
अग्रदाय खाता	0.14	0.50
सावधि जमा (मूल परिपक्वता 3 माह से कम)*	1,317.51	38,495.96
कुल	**76,321.22**	**93,139.05**

*स्वीप जमा खातों के बैंक शेष भी शामिल हैं।

नोट सं.– 12. उपरोक्त के अलावा बैंक अधिशेष

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान परिसंपत्तियां	
	31 मार्च 2023 तक	**31 मार्च 2022 तक**
सावधि जमा	1,33,484.24	1,12,588.44
मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सावधि जमा		
सावधि जमा (मूल परिपक्वता 12 माह से अधिक)	291.60	-
-Fixed Deposit (original maturity upto 12 Month)	1,875.73	2,171.16
कुल	**1,35,651.57**	**1,14,759.60**

नोट सं.– 13. अन्य वित्तीय संपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान	
	31 मार्च 2023 तक	**31 मार्च 2022 तक**
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
अर्जित ब्याज	4,623.05	2,832.51
कुल	**4,623.05**	**2,832.51**

नोट सं.– 14. वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भुगतान किया गया आयकर [शुद्ध प्रावधान 5525.80 लाख रु. (पिछले वर्ष 1966.91 लाख रु.)]	21,374.97	19,001.17
घटाएं: –		
आयकर हेतु प्रावधान (रिफंड प्राप्त नहीं हुआ)	(1,835.88)	(1,835.88)
(लेखा सं. 56 के लिए नोट देखें)		
कुल	**19,539.09**	**17,165.29**

नोट सं.– 15. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मचारियों को अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	35.81	31.96
कुल (क)	**35.81**	**31.96**
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
अग्रिमों और अन्यों पर जीएसटी	29,845.49	30,839.78
प्रीपेड व्यय	3.17	149.41
कुल (ख)	**29,848.66**	**30,989.19**
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
वसूली योग्य कार्य अनुबंध पर बिक्री कर/डीवीएटी और टीडीएस'	120.45	120.45
घटावः –		
बिक्री कर/वैट के लिए प्रावधान (वापस नहीं किया गया है)	(117.91)	(117.91)
डब्ल्यूटीसी पर टीडीएस हेतु प्रावधान (वापस नहीं किया गया)	(2.54)	(2.54)
(अकाउंट सं. 54 के लिए नोट देखें)		
कुल (ग)	0.00	0.00
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	4,420.03	1,420.52

असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	931.98	894.32
घटावः –		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम हेतु प्रावधान (समायोजित/निपटान नहीं)	(931.98)	(894.32)
(अकाउंट सं. 53 के लिए नोट देखें)		
कुल (घ)	4,420.03	1,420.52
कुल योग (क+ख+ग+घ)	34,304.50	32,441.67

*वर्ष 2021–22 के दौरान 100.00/– लाख रुपये की राशि को गलत तरीके से पूंजीगत अग्रिम की बजाय आपूर्तिकर्ता को अग्रिम की श्रेणी में डाल दिया गया था, अब इसे पूंजीगत अग्रिम की श्रेणी में फिर से डाला गया है।

नोट सं.– 16. इक्विटी शेयर पूंजी

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2023 तक**	**31 मार्च 2022 तक**
अधिकृत		
200,000 (पिछले वर्ष 200,000) 100/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	200.00	200.00
जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान		
200,000 (पिछले वर्ष 200,000) 100/– रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर	200.00	200.00
कुल	**200.00**	**200.00**

क. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक*: –

शेयरधारकों के नाम	**31 मार्च 2023 तक**		**31 मार्च 2022 तक**	
	धारित इक्विटी शेयरों की सं.	**प्रतिशत (%)**	**धारित इक्विटी शेयरों की सं.**	**प्रतिशत (%)**
डीजी, एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
श्रीमती रचना श्रीवास्तव	1	0.0005	1	0.0005
श्री नागेश शास्त्री	1	0.0005	1	0.0005
श्री दीपक चंद्र मिश्रा	1	0.0005	1	0.0005
श्री विष्णु चंद्र	1	0.0005	1	0.0005
श्री आर एस मणि	1	0.0005	1	0.0005
सुश्री अलका मिश्रा	1	0.0005	-	-
श्री सुनील कुमार	1	0.0005	-	-
श्री राजीव राठी	1	0.0005	-	-
कुल	**200,000.00**	**100.00**	**200,000.00**	**100.00**

*भारत सरकार की तरफ से धारित 5% से अधिक शेयर रखने के बावजूद सभी शेयरधारकों को शेयरधारिता की जानकारी दी गई है।

ख. रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया चुकता शेयरों का समायोजन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
शामिल करें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर / (बाईबैक)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

ग. इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है जिसका मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

घ. 31 मार्च 2023 से ठीक पहले के पांच वर्षों की अवधि में, न तो कई बोनस शेयर जारी किए गए और न ही नकद के अलावा अन्य किसी शेयर को प्रतिफल हेतु आवंटित किया गया। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान कोई शेयर वापस नहीं लाया गया था।

ड. प्रचारकों की शेयरधारिता

प्रचारक का नाम	31 मार्च 2023 को धारित शेयर		31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रतिशत में हुआ परिवर्तन
	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	
एनआईसी के डीजी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और अन्य	2,00,000	100	-

नोट सं.– 17. अन्य इक्विटी

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आय और व्यय खाते के अनुसार अधिशेष		
प्रारंभिक जमा	73,986.10	69,368.67
पट्टा परिसंपत्तियों के लिए पूर्व अवधि समायोजन (नोट सं. 36 देखें)	505.23	-
पट्टा देयताओं के लिए पूर्व अवधि समायोजन (नोट सं. 36 देखें)	(444.85)	-
जोड़ें: – वर्ष के लिए अधिशेष / (कमी)	14,977.40	4,617.43
कुल	**89,023.88**	**73,986.10**

नोट सं.– 18. अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान)

₹ लाखो में

विवरण	गैर–वर्तमान	
	31 मार्च 2023 को	**31 मार्च 2022 को**
सुरक्षा जमा देय	64.76	59.46
कुल	**64.76**	**59.46**

नोट सं.– 19. व्यापार प्राप्य

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
व्यापार देय		
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण*	6,847.30	8,491.68
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा	41,289.99	35,590.04
कुल	**48,137.29**	**44,081.72**

*नोट सं. 46 देखें

व्यापार देय का एजिंग शेड्यूल

₹ लाखो में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया:					कुल
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
31 मार्च 2023 तक						
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	5,032.81	944.84	344.19	525.46	6847.30
अन्य	-	16,109.86	3,827.06	2,232.82	6,662.51	28832.25
विवादित बकाया–सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया–अन्य	-	819.76		61.80	31.69	913.25
बिना बिल वाला व्यापार देय	11,544.49	-	-	-	-	11544.49
	11,544.49	21,962.43	4,771.90	2,638.81	7,219.66	48137.29
31 मार्च 2022 तक						
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	8,419.36	70.85	1.10	0.37	8491.68
अन्य	-	18,785.73	357.29	650.88	3,234.18	23028.07
विवादित बकाया– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया– अन्य	-	2,623.21	61.39	11.58	407.13	3103.30
बिना बिल वाला व्यापार देय	9,458.67					9458.67
	9,458.67	**29,828.30**	**489.53**	**663.56**	**3,641.68**	**44081.72**

नोट सं.– 20. अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान)

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान	
	31 मार्च 2023 तक	**31 मार्च 2022 तक**
देय बनाया राशि	635.36	675.36
कर्मचारी लाभ देय	270.24	251.10
देय व्यय	34.47	85.33
प्रतिधारण धन*	248.40	249.37
सीएनए खाते के लिए परियोजना दायित्व	238.25	-
कुल	**1,426.72**	**1,261.16**

*प्रदर्शन बैंक गारंटी पर विक्रेता से प्रतिधारण।

नोट सं.– 21. अन्य वर्तमान देयताएं

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2023 को**	**31 मार्च 2022 को**
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	191,704.27	165,660.32
अन्य		
ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता	5,633.22	26,791.68
सांविधिक बकाया और कर	1,739.02	2,645.26
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	250.00	112.00
कुल	**199,326.51**	**195,209.26**

नोट सं.– 22. प्रावधान

₹ लाखो में

विवरण	वर्तमान	
	31 मार्च 2023 को	**31 मार्च 2022 को**
स्टाम्प शुल्क का प्रावधान (नोट सं. 45 देखें)	27.97	74.52
कुल	**27.97**	**74.52**

नोट सं.– 23. संचालन से राजस्व

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
संचालन से राजस्व		
व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री	19,396.53	17,420.15
सेवा आय*	140,212.26	122,143.31
कुल (ए)	**159,608.79**	**139,563.46**
अन्य संचालन राजस्व		
प्रशासनिक शुल्क	809.30	650.01
कुल (ख)	**809.30**	**650.01**
संचालन से कुल राजस्व (क)+(ख)	**160,418.09**	**140,213.47**

वित्त वर्ष 2021–22 के 9439.13 लाख रु. के बिना बिल वाले राजस्व के प्रावधान को वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान उलट दिया गया है, सेवा आय के तहत 11790.45 लाख रु. के बिना बिल वाले राजस्व के प्रावधान को किया गया है।

नोट सं.– 24. अन्य आय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
ब्याज आय* कम	8898.44	6023.66
परियोजना में अनुदान पर ब्याज (एनकेएन के अलावा)	236.82	267.10
एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (सहायता अनुदान)	8.72	8.97
एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (सहायता अनुदान)	335.01	
अन्य गैर–परिचालन आय	1404.93	1720.58
स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्रावधान (नोट संख्या 45 देखें)	46.55	
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (समायोजित/निपटान नहीं) (नोट संख्या 54 देखें)	-	82.90
	9769.37	**7551.07**

नोट सं.– 25. खरीद

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
खरीदः –		
हार्डवेयर	15,827.91	7,376.73
सॉफ्टवेयर	3,202.18	10,579.66
कुल	**19,030.09**	**17,956.39**

नोट सं.– 26. कर्मचारी लाभ योजना

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
वेतन और प्रोत्साहन	1,260.17	942.69
कर्मचारी कल्याण	34.99	21.53
कुल	**1,295.16**	**964.22**

नोट सं.– 27. वित्त लाभ

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टा देयता के बंधन से मुक्त होने पर ब्याज व्यय	821.71	899.26
कुल	**821.71**	**899.26**

नोट सं.– 28. मूल्यह्रास और ऋणपरिशोधन व्यय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट सं. 3 देखें)	1,269.03	769.18
संपत्ति के उपयोग का अधिकार (नोट सं. 5 देखें)	2,626.50	2,273.37
अन्य अमूर्त संपत्तियां (नोट सं. 6 देखें)	3,397.37	3,554.74
कुल	**7,292.90**	**6,597.29**

नोट सं.– 29. अन्य व्यय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क (नोट सं. 40 देखें)	9.76	10.04
बैंक शुल्क	6.69	4.57
बोर्ड बैठक व्यय	1.05	2.95
खाताबही और पत्र–पत्रिकाएं	2.27	0.92
व्यापार संवर्धन	49.03	47.79
जीएसटी (गैर–सेनवाटेबल)	235.24	19.46
सम्मेलन संगोष्ठी कार्यशाला व्यय	49.59	43.03
उपभोग्य भंडार	3.65	8.07
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	250.00	112.00
डी.जी. सेट के लिए डीजल	39.18	1.60
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (नोट सं. 53 देखें)	1,233.75	741.00
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (समायोजित/निपटान नहीं) (नोट सं. 54 देखें)	37.66	-
बिजली और पानी शुल्क	996.56	948.99
किराया शुल्क	4.86	5.25
हाउस कीपिंग और साफ–सफाई शुल्क	318.00	394.02
मकान पट्टा शुल्क	-	0.94
सदस्यता और अंशदान शुल्क	1.09	1.09
विविध व्यय	46.21	70.58
कार्यालय किराया	122.42	374.38
मुद्रण और स्टेशनरी	4.67	2.06
पेशेवर और परामर्श शुल्क	487.42	475.73
किराया दरें और कर	9.78	9.99
मरम्मत और रखदृरखाव	493.12	445.70
टैक्सी किराया शुल्क	263.89	283.34
टेलीफोन शुल्क	43.26	51.06
यात्रा शुल्क	195.17	65.88
वाहन–व्यय	2.00	2.16
कुल	**6,941.25**	**6,883.76**

नोट सं.– 30. प्रति शेयर आय

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
प्रति शेयर आय		
इक्विटी शेयरधारकों के कारण अधिशेष	14,977.40	4,617.43
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	200,000.00	200,000.00
प्रति शेयर मूल आय (क/ख) (रु. में)	**7,488.70**	**2,308.72**
प्रति शेयर डाइलूटेड आय (क/ख) (रु. में)	**7,488.70**	**2,308.72**
प्रति शेयर अंकित मूल्य	100.00	100.00

नोट सं.– 31. उचित मूल्य पैमाइश

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
व्यापार प्राप्य	-	46,561.48	-	34,429.17
नकद और नकद समकक्ष	-	76,321.22	-	93,139.05
अन्य बैंक शेष	-	135,651.57	-	114,759.60
अर्जित ब्याज (वर्तमान)	-	4,623.05	-	2,832.51
सुरक्षा जमा	-	108.09	-	500.60
सावधि जमा	-	-	-	291.60
अर्जित ब्याज (गैरदृ वर्तमान)	-	-	-	285.12
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**263,265.41**	**-**	**246,237.65**
वित्तयी देयताएं				
व्यापार देय	-	48,137.29	-	44,081.72
अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान)	-	4,269.83	-	4,480.90
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान)	-	14,729.63	-	14,683.08
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**67,136.75**	**-**	**63,245.70**

(ii) उचित मूल्य पदानुक्रम

सभी वित्तीय साधन जिनके लिए उचित मूल्य को मान्यता दी गई है या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है जो निम्नानुसार वर्णित हैं, निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वहीन है।

स्तर 1 : एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिए बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) मूल्य

स्तर 2 : मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर के इनपुट जिनका उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जिसका उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है।

निम्नलिखित तालिका कंपनी की संपत्ति और देयताओं के उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रदान करती है, उनके अलावा जिनके उचित मूल्य उनके वहन मूल्यों के करीब अनुमान हैं।

वर्ष के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

नकद और नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्यों, अन्य प्राप्यों, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताओं के लिए प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि उनका उछित मूल्य इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर उनकी अग्रणीत राशि है।

कंपनी की लंबी अवधि के ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के उचित मूल्यों का निर्धारण डिस्काउंटेड कैश फ्लो (श्डीसीएफश) पद्धति को लागू कर किया जाता है जिसमें छूट दर का उपयोग किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उधार दर को दर्शाता है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट सं. –32. वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय, सुरक्षा जमा, बयाना राशि जमा और कर्मचारी देयताएं शामिल हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा, सावधि जमा, नकद और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के अधीन है। कंपनी का प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल का सहयोग मिलता है जो कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर परामर्श देते हैं। बोर्ड कंपनी के प्रबंधन को आश्वासन देता है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन हेतु नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

I. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिस पर बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतारदृ चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं– ब्याज दर का जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में सावधि जमा शामिल होते हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिस पर बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य की नकदी प्रवाह में उतारदृ चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम प्राथमिक रूप से बैंकों के साथ सावधि जमा में कंपनी के निवेश से संबंधित है। कंपनी की सावधि जमा निश्चित दर पर की जाती है। इसलिए भारतीय लेखांकन मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर के अधीन नहीं है क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ख. विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिस पर किसी एक्सपोजर के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतारदृ चढ़ाव होगा। विदेशी मुद्रा जोखिम संवेदनशीलता मौद्रिक संपत्ति और देयताओं के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण कर से पूर्व कंपनी के लाभ पर प्रभाव डालता है। कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में नहीं है क्योंकि उसके पास कोई विदेशी मुद्रा मौद्रिक संपत्ति और देयताएं नहीं है।

II. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जो एक प्रतिपक्ष कंपनी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। ऋण जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर मुख्य रूप से नकद और नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्तियों और परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होता है। कंपनी लागतार ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षकारों की चूक की निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है:

ऋण जोखिम	वर्गीकरण का आधार	अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान
ऋण जोखिम कम	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा एवं अन्य बैंक शेष	12 माह के ऋण हानि की उम्मीद
ऋण जोखिम मध्यम	व्यापार प्राप्य, ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित ऋण हानि या 12 माह के ऋण हानि की उम्मीद

कारोबारी माहौल के आधार पर जिसमें कंपनी संचालित होती है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट पर विचार किया जाता है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक ऋण हानि अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियां के बीच अंतर पर विचार करने पर आधारित हैं।

जब वसूली को कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, तो संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जैसे कि दिवालिया घोषित करने वाला देनदार या कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी। कंपनी उन पार्टियों के साथ जुड़ना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है और पुनर्भुगतान को लागू करने का प्रयास करती है। की गई वसूली को आय और व्यय खातों में लिखा जाता है।

₹ लाखो में

ऋण जोखिम	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
न्यून ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और अन्य बैंक शेष	216,595.83	211,307.89
मध्यम ऋण जोखिम	व्यापार प्राप्य और अन्य वित्तीय संपत्तियां	46,669.57	34,929.77

व्यापार प्राप्यों की सांद्रता

व्यापार प्राप्तियों में भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में ग्राहक शामिल होते हैं जिनमें ऋण जोखिम का कोई महत्वपूर्ण संकेंद्रण नहीं होता है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए ऋण जोखिम एक्सपोजर प्रावधान। कंपनी निम्नलिखित वित्तयी परिसंपत्तियों के लिए 12 माह की अपेक्षित ऋण हानियों का प्रावधान करती है–

₹ लाखो में

विवरण	सकल वहन राशि	अपेक्षित ऋण हानि	अपेक्षित ऋण हानियों की शुद्ध वहन राशि
31 मार्च 2023 तक			
व्यापार प्राप्य	57,044.98	(10,483.50)	46,561.48
31 मार्च 2022 तक			
व्यापार प्राप्य	43,678.92	(9,249.75)	34,429.17

हानि प्रावधान का समायोजन–आजीवन अपेक्षित ऋण हानि

₹ लाखो में

हानि भत्ते का समायोजन	व्यापार प्राप्य
31, मार्च 2021 तक हानि भत्ता	8,435.35
वर्ष के दौरान दर्ज / (प्राप्त) हानि क्षति	814.40
बट्टे खाते में डाली गई राशि	
31 मार्च 2022 तक हानि भत्ता	9,249.75
वर्ष के दौरान दर्ज / (प्राप्त) हानि क्षति	1,233.75
बट्टे खाते में डाली गई राशि	
31 मार्च 2023 तक हानि भत्ता	10,483.50

III. **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में बाधा डालती है जिन्हें नकद या अन्य वित्तीय संपत्तियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। तरलता के प्रबंधन हेतु कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देयताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त तरलता होगी जब वे देय हों। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता की स्थिति और नकदी एवं नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों पर नजर रखता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है।

नीचे दी गई तालिका संविदात्मक बिना छूट वाले भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का सार प्रस्तुत करती है

₹ लाखो में

	मांग पर	3 से कम माह	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्षों से कम	कुल
समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2023 को						
व्यापार देय	48,137.29	-	-	-	-	48,137.29
अन्य वित्तीय देयताएं	1,426.72	676.75	2,166.35	5,139.41	9,590.22	18,999.45
कुल	**49,564.01**	**676.75**	**2,166.35**	**5,139.41**	**9,590.22**	**67,136.74**
समाप्त हुआ वर्ष 31 मार्च 2022 को						
व्यापार देय	44,081.72	-	-	-	-	44,081.72
अन्य वित्तीय देयताएं	1,261.16	813.10	2,406.64	3,166.00	11,517.07	19,163.97
कुल	**45,342.88**	**813.10**	**2,406.64**	**3,166.00**	**11,517.07**	**63,245.69**

33. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रबंधन संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिबद्ध कार्य कायक्रमों को पूरा करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त तरलता बनी रहे। कंपनी, उद्देश्योंक पूरा करने और लचीलेपन को बनाए रखने हेतु पूंजी संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए व्यवसाय की दीर्घकालिक नकदी प्रवाह आवश्यकताओं की निगरानी करती है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के अनुसार इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, पूंजी वापस कर सकती है, नकदी हेतु नए शेयर जारी कर सकती है, ऋण चुका सकती है, नई ऋण सुविधाएं स्थापित कर सकती है या ऐसी अन्य पुनर्गठन गतिविधियां कर सकती है।

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
ऋण		
व्यापार देयताएं	48,137.29	44,081.72
अन्य देयताएं	218,353.94	214,447.75
घटावः नकद और नकद समकक्ष	(76,321.22)	(93,139.05)
निवल ऋण	**190,170.01**	**165,390.42**
कुल इक्विटी	**89,223.88**	**74,186.10**
पूंजी और निवल ऋण	**279,393.89**	**239,576.52**
गियरिंग अनुपात (%)	**68.07%**	**69.03%**

नोट सं.– 34. वित्त अनुपात

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के अनुपात इस प्रकार हैंः

अनुपात/माप	में मापा गया	अंश गणक	भाजक	समाप्त हुए वर्ष के लिए		अंतर (% में)
				31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	
वर्तमान अनुपात	गुना	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएं	1.26	1.21	4.14%
ऋणदृ इक्विटी अनुपात	गुना	कुल ऋण*	शेयरधारक इक्विटी	0.20	0.24	-18.42%
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	गुना	ईबीआईटी	कुल ऋण*	1.19	0.40	200.28%
इक्विटी पर आय (आरओई)	%	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की औसत इक्विटी	18.33%	6.43%	184.95%
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	गुना	औसत इन्वेंटरी	राजस्व	0.00%	0.00%	0.00%
व्यापार प्राप्य कारोबारर अनुपात	गुना	राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	3.96	4.61	-14.13%
व्यापार देय कारोबार अनुपात	गुना	सेवा की खरीद और अन्य व्यय	औसत व्यापार देय	2.90	3.38	-14.20%
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	%	राजस्व	शेयरधारकों की इक्विटी	1.80	1.89	-4.87%
शुद्ध लाभ अनुपात	%	शुद्ध लाभ	राजस्व	9.34%	3.29%	183.51%
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	ब्याज और करों से पूर्व कमाई	नियोजित पूंजी'	19.54%	7.69%	154.05%
निवेश पर आय (आरओआई)		ब्याज आय	सावधि जमा	6.07%	3.74%	-62.24%

*कुल ऋण केवल पट्टा देयताओं को दर्शाता है

ईबीआईटी– ब्याज और करों से पूर्व की कमाई।

नियोजित पूंजी का अर्थ है शेयरधारकों की कुल इक्विटी और ऋण

25% से अधिक के विचरण का स्पष्टीकरण

अन्य परिचालन बिक्री में वृद्धि के साथ–साथ उच्च परिचालन मार्जिन के लिए राजस्व में वृद्धि हुई है।

नोट सं.– 35. पट्टे

पट्टेदार के रूप में

(क) संपत्ति के उपयोग के अधिकार में संवर्धन

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
उपयोग की जाने वाली संपत्तियां, निवेश संपत्ति को छोड़कर	1,528.02	1,081.98

(ख) श्रेणी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति के उपयोग के अधिकार का वहन मूल्य

₹ लाखो में

विवरण	श्रेणी 1	श्रेणी 2	कुल
1 अप्रैल 2021 को शेष राशि		17,227.19	17,227.19
संवर्धन		1,081.98	1,081.98
अधिकारों में संशोधन		-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,273.37	2,273.37
1 अप्रैल 2022 को शेष राशि		16,035.80	16,035.80
पिछले वर्ष का पुनर्कथन (नोट सं. 36 देखें)		505.23	505.23
संवर्धन		1,528.02	1,528.02
अधिकारों में संशोधन		-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,626.50	2,626.50
31 मार्च 2023 को शेष राशि		**15,442.55**	**15,442.55**

(ग) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
रोकड़ जमा	17,843.35	18,060.91
पूर्व वर्ष का पुनर्कथन (नोट सं. 36 देखें)	444.85	
संवर्धन	1,528.02	1,081.98
ब्याज	821.71	899.26
अधिकारों में संशोधन	-	-
देयताओं का भुगतान	(3,129.97)	(2,198.80)
जमा शेष	17,507.96	17,843.35

₹ लाखो में

परिपक्वता विश्लेषण – संविदात्मक बिना छूट वाला नकदी प्रवाह	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
एक वर्ष से कम	2,843.11	3,219.74
एक से पांच वर्ष	11,437.30	10,497.20
पांच वर्षों से अधिक	9,590.22	11,517.07
बिना छूट वाली कुल पट्टा देयताएं	**23,870.63**	**25,234.01**

₹ लाखो में

बैलेंस शीट में शामिल पट्टा देयताएं	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्तमान	2,843.11	3,219.74
गैर–वर्तमान	14,664.87	14,623.62
कुल	**17,507.98**	**17,843.36**

(घ) लाभ या हानि में स्वीकृत राशि

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टा देयताओं पर ब्याज	821.71	899.26
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान पट्टा देयताओं की पैमाइश में शामिल नहीं है	-	-
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के उपदृपट्टे से आय	-	-
अल्पकालिक पट्टे से संबंधित व्यय (कार्यालय किराया)	122.42	374.38
कम मूल्य वाली संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर कमदृमूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय	-	-

(ड) नकद प्रवाह विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह	3,129.97	2,198.80

नोट सं.– 36 भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता में पुनर्गणना का प्रभाव

वर्ष के दौरान कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार, पिछले वर्षों की पट्टा परिसंपत्तियों और देयताओं की गणना फिर से की है, प्रभाव और विस्तृत गणना इस प्रकार हैः

पट्टों की परिसंपत्तियों और देयताओं पर पूर्व अवधि समायोजन का प्रभाव

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक
पट्टा परिसंपत्तियों पर प्रभाव	
पट्टा परिसंपत्तियों में कमी	5.23
परिशोधन प्रभाव हेतु परिसंपत्तियों के अधिकार में वृद्धि	500.00
संपत्ति के उपयोग के अधिकार में शुद्ध वृद्धि	505.23
पट्टा देयता पर प्रभाव	
पूर्व अवधि के लिए पट्टा देयता में वृद्धि	
पट्टा देयता में शुद्ध वृद्धि	444.85
अन्य इक्विटी में शुद्ध वृद्धि (आरक्षित और अधिशेष)	**444.85**
पिछले वर्ष और आरंभिक तुलन पत्र पर पूर्व अवधि समायोजन का प्रभाव	**60.38**

पिछले वर्ष और आरंभिक तुलन पत्र पर पूर्व अवधि समायोजन का प्रभाव

लाख रु. में

विवरण	01.04.2021 तक			31.03.2022 तक				
	समायोजन से पूर्व	समायोजन	समायोजन के बाद	समायोजन से पूर्व	आरंभिक समायोजन	वर्ष के दौरान समायोजन	शुद्ध समायोजन	समायोजन के बाद
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां								
अन्य परिसंपत्तियां	17,186.38		17,186.38	21,912.49				21,912.49
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	17,227.19	341.55	17,568.75	16,035.80	341.55	163.68	505.23	16,541.03
वर्तमान परिसंपत्तियां	251,622.83	-	251,622.83	294,767.29				294,767.29
कुल संपत्ति	286,036.40	341.55	286,377.95	332,715.58	341.55	163.68	505.23	333,220.81
इक्विटी और देयताएं	-							
इक्विटी	69,568.66	(38.55)	69,530.11	74,186.10	(38.55)	98.93	60.38	74,246.48
देयताएं								
गैरदृ वर्तमान देयता पट्टा	15,741.75	380.10	16,121.85	14,623.62	380.10	237.90	618.00	15,241.62
गैर–वर्तामन देयता अन्य	39.46		39.46	59.46				59.46
वर्तमान देयता पट्टा	2,319.17	-	2,319.17	2,843.11		(173.15)	(173.15)	2,669.96
वर्तमान देयता अन्य	198,367.36		198,367.36	241,003.29				241,003.29
कुल इक्विटी और देयताएं	286,036.40	341.55	286,377.95	332,715.58	341.55	163.68	505.23	333,220.81

विवरण	वर्ष 2021–22 के लिए		
	समायोजन से पूर्व	समायोजन	समायोजन के बाद
आय			
संचालन से राजस्व	140,213.47		140,213.47
अन्य आय	7,551.07		7,551.07
कुल आय (I+II)	147,764.54	-	147,764.54
व्यय			
बिक्री माल की खरीद	17,956.39		17,956.39
सेवा समर्थन व्यय	108,283.71		108,283.71
कर्मचारी लाभ व्यय	964.22		964.22
वित्तीय लागत	899.26	25.17	924.43
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	6,597.29	(58.37)	6,538.92
अन्य व्यय	6,883.76	(65.73)	6,818.03
कुल व्यय (IV)	141,584.63	(98.93)	141,485.70
कर पूर्व आय/(हानि) (III–IV)	6,179.91	98.93	6,278.84
कर व्यय:	1,562.48		1,562.48
चालू परिचालन से वर्ष के लिए आय/(हानि) (V–VI)	4,617.43	98.93	4,716.36
अन्य व्यापक आय	-		-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (वर्ष के लिए आय/(हानि) और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय शामिल हैं)	4,617.43	98.93	4,716.36
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर नाममात्र मूल्य रु. 100):			
(1) मूल	2,308.72	49.46	2,358.18
(2) डायलूटेड	2,308.72	49.46	2,358.18

नोट सं.– 37. आकस्मिक देयताए

बैलेंस शीट तिथि के अनुसार, कंपनी द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई ऑफसाइट वारंटी के संबंध में आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि परियोजनाओं के लिए आपूर्ति किए गए सभी उपकरण वारंटी अवधि के बाद समय–समय पर विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से एएमसी के तहत कवर किए जाते हैं। उपरोक्त के अलावा, अन्य आकस्मिक देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं: –

₹ लाखो में

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*	382.66	164.78
ब्याज और जुर्माने के लिए डीओटी द्वारा की गई मांग	341.75	0.00
गारंटी	1638.65	1275.47
दिल्ली वैट मांग (सितंबर 2005 से नवंबर 2008)	678.00	678.00
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2014–15)	206.29	206.29

आयकर मांग (आकलन वर्ष 2015–16)	0	350.60
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2018–19)**	2434.58	2434.58
आयकर मांग (आकलन वर्ष 2019–20)	42.50	0.00
एमएसएमई अधिनियम के तहत भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज***	687.25	0.00
जीएसटी अधिनियम के तहत विक्रेताओं को भुगतान में देरी के लिए धारा 16 (2)(डी) के तहत ब्याज (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर में क्रेडिट शेष के उपयोग के अधीन)***	910.87	0.00
कुल	**7322.55**	**5109.72**

*उपरोक्त आकस्मिक देनदारियों में कंपनी के खिलाफ 26 मामले शामिल नहीं हैं क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

** 5139.45 लाख रुपये के आईटीआर में किए गए दावे के रिफंड के समायोजन के बाद उपरोक्त मांग का समंजन कर दिया गया है।

*** एमएसएमएस ब्याज और जीएसटी ब्याज को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि यह उस स्थिति में उपयोगकर्ता विभाग से वसूल किया जाएगा जहां विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए परियोजना में धन उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, आज तक एमएसएमई और जीएसटी ब्याज के खिलाफ कोई मांग बकाया नहीं है।

नोट सं. 38. प्रतिबद्धताएं

कंपनी ने खरीद आदेश और आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए समझौतों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं की खरीद और बाद की अवधि में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्धता की है। उन प्रतिबद्धताओं को सहमत शर्तों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, 31 मार्च 2021 को कंपनी की आंतरिक परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की राजस्व प्रतिबद्धताओं की राशि 1356.40 लाख रु. (पिछले वर्ष 532.05 लाख रु.) है। इसके अलावा, "आरक्षित निधि/रिजर्व्स" में से पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता इस प्रकार हैं:–

₹ लाखो में

ब्यौरा	**31 मार्च 2023 तक**	**31 मार्च 2022 तक**
नेशनल डेटा सेंटर, भुवनेश्वर	16862.11	20543.48
एनआईसी क्लाउड सर्विस का संवर्द्धन	0.00	1600.02
डिस्ट्रिक्ट 2.0–डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का संवर्धन	0.00	1380.21
ब्लॉक–1 में दूसरा तल, शास्त्री पार्क, दिल्ली में डीएमआरसी–सीपीडब्ल्यूडी से पट्टा किराए पर, (डेटा सेंटर के लिए इंजीरियर फर्निशिंग–शून्य रु. (पिछले वर्ष 3621.63)	0.00	3621.63
ब्लॉक–1 में दूसरा तल. शास्त्री पार्क, दिल्ली में डीएमआरसी से पट्टा किराए पर, शीट वर्क का विकास 725.67 रु. (अग्रिम रु. 99.67 को घटाएं और वर्ष के दौरान 451.01रु. के लिए पूंजीगत) (2021–22 तक 451.68/– रु. का वार्षिक अग्रिम जारी)	174.98	273.98
शात्री पार्क की दूसरी मंजिल पर 4 शौचालयों के नवीनीकरण कार्य, सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य (जारी कार्य में चल रहे पूंजीगत अंतरण को 34.19 लाख रु. से घटाएं (पिछले वर्ष 30.49 रु. के लिए कम अग्रिम को 2021–22 तक जारी)	11.26	14.91
विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में कार्यालय स्थल की खरीद (इकाई सं. ए– 300) (कुल लागत 11937.69 घटाव 1105.61, वर्ष 2020–21 में भुगतान किया गया था और 2021–22 में 5852.07, कर और वैधानिक शुल्क दोनों को छोड़कर)	4980.01	4980.01
कुल	**22028.36**	**32414.24**

39. कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची ।।। के तहत दिए गए आय और व्यय खाते को तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश के पारा 5(viii) के अनुसार सूचना

i. सी.आई.एफ. आधार पर आयात का मूल्यः शून्य (पीवाई रु. शून्य)

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय (प्रोद्भवन आधार पर):

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष**	**31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष**
यात्रा–स्टाफ (विदेश)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

iii. विदेशी मुद्रा में आय (प्रोद्भवन के आधार पर): शून्य रु. (पीवाई रु. शून्य)

40. लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक*

₹ लाखो में

विवरण	**31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष**	**31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष**
वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	7.01	7.01
आयकर लेखा परीक्षा	0.93	0.93
व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु	1.82	2.10
कुल	9.76	10.04

*लागू करों को छोड़कर। इसके अलावा, विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रमाणन कार्य हेतु 2.20 लाख रु. (पिछले वर्ष 2.10 लाख रु.) और लागू जीएसटी का भुगतान किया गया है जो सीधे संबंधित परियोजनाओं में डेबिट किया गया है।

41. भारतीय लेखा मानक 19के अनुसार प्रकटीकरण – 'कर्मचारी लाभ'

i. **भविष्य निधि में योगदान**

दिनांक 3 मार्च, 1998 को जारी भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी के पास कोई भविष्य निधि योजना नहीं है क्योंकि कंपनी के कर्मचारी अपने पदों के साथ एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं। भविष्य निधि को उनके वेतन से हर महीने इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दरों के अनुसार काटा जाता है और बाद में सरकार के दिशानिर्देशों को एनआईसी को पारित कर दिया जाता है क्योंकि इसका पूरा खाता उनके द्वारा बनाए रखा जाता है। इस प्रकार भविष्य निधि खाते पर कर्मचारियों को किसी भी भुगतान के लिए कंपनी की कोई देयता नहीं है।

ii. **छुट्टी वेतन**

चूंकि कर्मचारी 3 मार्च 1998 को भारत सरकार की जारी अधिसूचना के अनुसार एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन योगदान (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार),कंपनी द्वारा हर महीने अपने खाते में गणना/प्रदान की जाती है, एनआईसी को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार, छुट्टी वेतन/नकदीकरण के भुगतान के लिए कंपनी पर कोई दायित्व नहीं है।

iii. **पेंशन अंशदान**

चूंकि कर्मचारी 3 मार्च 1998 को भारत सरकार की जारी अधिसूचना के अनुसार एनआईसी से प्रति नियुक्ति पर हैं, पेंशन योगदान (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार), कंपनी द्वारा हर महीने अपने खाते/प्रदान की जाती है और बाद

में एनआईसी को हस्तांतरित कर दी जाती है। इस प्रकार, पेंशनरी लाभों के भुगतान के लिए कंपनी पर कोई दायित्व नहीं है।

iv. **ग्रेच्युटी (आनुतोषिक)**

चूंकि कर्मचारी 3 मार्च 1998 को भारत सरकार की जारी अधिसूचना के अनुसार एन आईसी से प्रति नियुक्ति पर हैं,कंपनी किसी भी ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जाएगा।

42. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क). संबंधित पार्टियों की सूची

01–04–2022 से 31–03–2023 तक निदेशकों की सूची

क्र. सं.	निदेशक का नाम और पद	बोर्ड में ओहदा	नियुक्ति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि
1	डॉ. राजेन्द्र कुमार, आईएएस, अपर सचिव, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष	28 / जुलाई / 20	25–नवंबर–22
2	श्री अनिल कुमार नायक, आईएएस, एसएस और एफए, एमईआईटीवाई	निदेशक	25 / जनवरी / 22	16 / जून / 22
3	डॉ. जयदीप मिश्रा, जेएस, एमईआईटीवाई	निदेशक	10 / दिसंबर / 19	25–नवंबर–22
4	श्री एस. के. मारवाह, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक	निदेशक	31 / दिसंबर / 21	जारी है
5	श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक– जी, एनआईसी	निदेशक	1 / अक्टूबर / 21	30 / सितंबर / 22
6	श्री इन्दर पाल सेठी, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी (04–जून–2022 से 12–अगस्त–2022 तक एमडी का अतिरिक्त प्रभार)	निदेशक	1 / अक्टूबर / 21	30 / सितंबर / 22
7	श्री राजीव राठी, वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	1 / अक्टूबर / 21	जारी है
8	सुश्री अलका मिश्रा, वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	1 / अक्टूबर / 21	जारी है
9	डॉ. सुश्री सुचित्रा प्यारेलाल वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	1 / अक्टूबर / 21	जारी है
10	श्री अजय सिंह चाहल, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (एचपी), एनआईसी	निदेशक	1 / फरवरी / 21	30 / सितं / 22
11	श्री प्रशांत कुमार मित्तल, एमडी, एनआईसीएसआई	प्रबंध निदेशक	14–फरवरी–20	3 / जून / 22
12	श्री राजेश सिंह जेएस और एफए, एमईआईटीवाई	निदेशक	16–जून–22	जारी है
13	श्रीमति सुनीता वर्मा, वैज्ञानिक जी और समूह समन्वयक	निदेशक	16–जून–22	जारी है
14	डॉ. विनय ठाकुर वैज्ञानिकदृ जी, एनआईसी	प्रबंध निदेशक	13–अगस्त–22	जारी है
15	श्री अमित अग्रवाल आईएएस, अपर सचिव, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष	25–नवंबर–22	जारी है
16	श्री सुशील पाल संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	निदेशक	25–नवंबर–22	जारी है
17	श्री वी.टी.वी. रमण, वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	01–अक्टूबर–22	जारी है
18	डॉ. शुभाग चंद वैज्ञानिक जी, एनआईसी	निदेशक	01–अक्टूबर–22	जारी है
19	श्री प्रमोद कुमार सिंह, वैज्ञानिक जी और एसआईओ (गुजरात), एनआईसी	निदेशक	01–अक्टूबर–22	जारी है

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की सूची

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधन कर्मी का नाम और पदनाम	बोर्ड में ओहदा	नियुक्ति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि
1	श्री प्रशांत कुमार मित्तल	प्रबंध निदेशक	14–फरवरी–2020	03–जून–2022
2	श्री आईपीएस सेठी	प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	04–जून–2022	12–अगस्त–2022
3	श्री विनय ठाकुर	प्रबंध निदेशक	13–अगस्त–2022	जारी है
4	श्री सनी जैन	कंपनी सचिव	28–जनवरी–2020	जारी है

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनः –

₹ लाखो में

पक्ष का नाम	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
1. प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
श्री प्रशांत कुमार मित्तल	15.00	40.47
श्री आईपीएस सेठी	00.00	00.00
श्री विनय ठाकुर	25.48	00.00
श्री सनी जैन	12.79	11.43
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**53.27**	**51.90**
2. निदेशक का बैठक शुल्क	-	-
3. निदेशक के रिश्तेदार को वेतन	-	-
4. ऋण और अग्रिम	-	-
5. संयुक्त उपक्रम में निवेश	-	-
6. तुलन पत्र तिथि पर देय		
श्री विनय ठाकुर	3.06	-
श्री सनी जैन	1.25	1.02
श्री प्रशांत कुमार मित्तल	-	2.83

क) एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएंः

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है जो अधिकांश शेयर धारण कर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा नियंत्रित होती है। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण होता है, या महत्वपूर्ण प्रभाव हो, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेनदृ देन बाजार की शर्तों पर आर्म्स लेंथ आधार पर किया जाता है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

नोट सं. 43. भारतीय लेखांकन मानक– 108 'संचालन सेग्मेंट' के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी केवल दिल्ली में स्थिति केंद्रीकृत कार्यालय से श्सूचना प्रौद्योगिकीश खंड में सेवाएं प्रदान कर रही है। इसे केवल एक खंड मानते हुए, वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानकदृ 108 श्संचालन सेग्मेंटश के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट सं. 44. शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। बैंक खातों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। जहाँ तक व्यापारध् अन्य देय और अग्रिमों का सवाल है, लेखांकन मानक (एसए) 505 (संशोधित) श्बाहरी पुष्टिकरणश में संदर्भित नकारात्मक दावे के साथ शेष पुष्टिकरण पत्र/ईमेल पक्षों को भेजे गए ते। ऐसे कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, का हिसाब उसकी पुष्टि/समाधान पर किया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नोट सं. 45 वाहन/अधिकार पत्र का निष्पादन न करना

कंपनी ने मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से वर्ष क्रमशः 2003 और 2001 में हॉल सं. 2 और 3 के छठे तल, एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, में खरीदा था। हालाँकि वहन विलेख/अधिकार पत्र विलेख को 18 जुलाई 2023 को एनबीसीसी द्वारा एनआईसीएसआई के नाम पर पंजीकृत किया गया था। इसलिए, स्टाम्प ड्यूटी की राशि के लिए 27.97 लाख रु. (पिछले वर्ष 74.52 लाख रु.) का प्रावधान वित्त विवरण में किया गया है।

इसके अलावा कंपनी को यूनिट सं. ए– 300 टावर ए, तीसरी मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, नौरोजी नगर भी आवंटित किया गया था। भवन निर्माणाधीन होने के कारण एनआईसीएसआई के नाम पर अधिकार पत्र विलेख का निष्पादन लंबित है।

नोट सं. 46. प्रबंधन की राय में, चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम एवं व्यापार प्राप्य व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में वसूली पर कम–से–कम उस राशि के बराबर है जिस पर उन्हें बताया गया है।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण

₹ लाखो में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
1	मूलधन और उस पर देय ब्याज किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है*-	6847.30	8491.68
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज राशि, लेकिन सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
4	अर्जित ब्याज की राशि और शेष भुगतान-	शून्य	शून्य
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनिमय 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय को अस्वीकार करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में भी शेय देय और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज बकाया वस्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य

*हालांकि, उपरोक्त में उल्लिखित राशि पर देय ब्याज शामिल नहीं है।

नोट सं. 47. भारतीय लेखा मानक– 36 'संपत्तियों की हानि' के अनुसार प्रकटन

भारतीय लेखा मानकदृ 36 'संपत्तियों की हानि' के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लक्ष्मी नगर में डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय डेटा केंद्र के संबंध में संपत्ति की हानि का आकलन किया गया है, श्एनआईसी क्लाउड सर्विसेज के संवर्धनश पर निवेश के लिए शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय डेटा केंद्र और शास्त्री पार्क स्थानों पर विकास केंद्र, जो कंपनी की नकदी पैदा करने वाली इकाईयां हैं और उन पर कोई हानि की पहचान नहीं की गई है। प्रबंधन की राय में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में किसी महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत नहीं है।

नोट सं. 48. डीओटी लाइसेंस सं. 815–100/एनआईसीएसआई/2009–डीएस दिनांक 20.11.2009 के खिलाफ वीसैट परियोजनाओं से राजस्व सृजन (जीआर/एजीआर) (एनआईसीएसआई द्वारा 31.03.2017 को समर्पण किया गया और डीओटी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया) और इसके लिए डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान।

एनआईसीएसआई ने 31.03.2017 को डीओटी लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और डीओटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। डीओटी द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार, एआईसीएसआई ने 31.03.2017 तक केवल इस गतिविधि से संबंधित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क/स्पेक्ट्रम शुल्क की पूर्ण राशि का भुगतान किया है। साथ ही, एमएचए/एनडीआरएफ से भी राशि प्राप्त होती है। हालांकि, कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए कार्यालय, डीओटी ने पूरी कंपनी का राजस्व लेकर एनआईसीएसआई पर ब्याज/आर्थिक जुर्माना लगाया था, जिसके लिए एमईआईटीवाई ने इस मामले को डीओटी के सामने उठाया था।

कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए डीओटी, दिनांक 17.07.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क से संबंधित एनआईसीएसआई के खिलाफ सभी मांग नोटिस (भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.06.2020 के निर्णय और डीओटी के ओएम सं. 12–25/2019–एलएफपी दिनांक 17.07.2020 के आधार पर) वापस ले लिया था। पीएंडटी लेखा परीक्षा कार्यालय को तदनुसार, एनआईसीएसआई द्वारा पत्र सं. एनआईसीएसआई/फिन/इंस्प. पीएंडटी एड./2018–19/289 दिनांक 20.07.2020 के माध्यम से सूचित किया गया और तदनुसार, उस कार्यालय ने, पत्र सं. एएमजी–II/एनआईसीएसआई/एफ–2516/2019–20/323 दिनांक 23.09.2020 के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट से पैरा को स्वीकार/बंद कर दिया था।

हालांकि, एनआईसीएसआई ने उपरोक्त कुल 92 लाख रु. के लिए डीओटी के पास 4 बैंक गारंटी (बीजी) जमा की थी, जिसे समयदृ समय पर नवीनीकृत किया जाता था। एनआईसीएसआई ने 10.08.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से डीओटी से इन सभी बीजी को वापस करने को कहा था। इसके लिए 09.11.2020 को अनुस्मारक भी भेजा था। प्रत्युत्तर में, कार्यालय आदेश पीआर. सीसीए, डीओटी, पत्र सं. 50–4/2018– स्पष्टीकरण और नियम/पीआर.सीसीए/दिल्ली/1413 दिनांक 05.02.2021, ने डीओटी (एलएफपी विभाग) से गैर–दूरसंचार पीएसयू के संबंध में एलएफ/एसयूसी के पुनर्मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया था, जैसा कि डीओटी द्वारा उठाई गई मांग को उसके आदेश संख्या 12–25/2019–एलएफपी दिनांक 13.07.2020 के तहत वापस ले लिया गया था। एनआईसीएसआई ने दिनांक 11.03.2021, 27.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 09.08.2021, 13.09.2021, 22.11.2021, 08.03.2022 और 21.04.2022 को लिखे पत्र के माध्यम से अनुस्मारक भी भेजा लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और बीजी भी डीओटी के ही पास हैं।

इसके अलावा, पीआर. सीसीए के कार्यालय आदेश ने दिनांक 03.01.2023 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि संशोधित मूल्यांकन किया गया है और एनआईसीएसआई के खिलाफ 341.75 लाख रु. की राशि बकाया है। ब्याज और जुर्माने की अतिरिक्त मांग भी लंबित है।

नोट सं. 49. राष्ट्रीय डेटा सेंटर परियोजनाओं पर आय/व्यय

नेशनल डेटा सेंटर शास्त्री पार्क, दिल्ली की स्थापना एमईआईटीवाई और एनआईसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया था और जुलाई 2011 से यह काम कर रहा है। स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के अनुसार, एनआईसीएसआई को प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 800 लाख रु. प्रति वर्ष की दर से परिचालन व्यय का वहन करना था। अपने परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए लिए, एनआईसीएसआई स्वयं को आवंटित 60 रैक्स से आय अर्जित करनी थी। हालांकि एनआईसीएसआई ने 2 वर्षों के बाद भी परिचालन व्यय को पूरा करना जारी रखा, एमईआईटीवाई ने 01–04–2014 से मंजूरी दे दी थी कि, एनआईसीएसआई नेशनल डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर परिचालन व्यय मद पर 800 लाख रुपये तक किराया और रख–रखाव/बुनियादी आधारभूत संरचना के रख–रखाव/बुनियादी आधारभूत संरचना ओएंडएम कर्मचारी पर खर्च करेगा और एनआईसी अपने बजट से व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा। इन सभी शुल्कों के 3% तक बिजली और डीजल शुल्क/भौतिक सुरक्षा और हाउसकीपिंग शुल्क/जल शुल्क/रसद सहायता/आकस्मिक शुल्क के लिए एनआईसीएसआई को प्रावधान, इन व्यय के बाद शुरू में एनआईसीएसआई द्वारा वहन किया जाता है। भुवनेश्वर में नेशनल डेटा सेंटर की स्थापना के साथ, एनआईसीएसआई और एनआईसी ने उसी के संचालन एवं प्रबंधन हेतु शास्त्री पार्क, दिल्ली के नेशनल डेटा सेंटर हेतु भी समझौता किया था। एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 27.12.2018 को आयोजित हुई अपनी 108वीं बैठक में इस पर विचार किया था और 01 अप्रैल 2018 से भूतलक्षी प्रभाव से निम्नानुसार अनुमोदित किया गया थाः –

- एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर डेटा सेंटरों के लिए अलग परियोजना पूल खाता बना सकती है
- इन दोनों डेटा सेंटरों पर सह–स्थान सेवाओं के माध्यम से होने वाली आय को प्रस्तावित परियोजना मदों के तहत जमा किया जाएगा।

- आय का उपयोग इन दोनों डेटा सेंटरों पर ओएंडएम व्यय और बुनियादी ढांचे के उन्नयन में किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई द्वारा शास्त्री पार्क में सहदृस्थान सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वर्तमान 60 रैक के अलावा, एनआईसी आगामी वर्षों के लिए ओएंडएम खर्चों को पूरा करने और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए पर्याप्त धन जुटाने हेतु और अधिक रैक शामिल कर सकता है।
- वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद से एनआईसीएसआई ने शास्त्री पार्क में ओएंडएम व्यय के लिए प्रति वर्ष 800 लाख रु. खर्च नहीं करेगी। कथित 60 रैकों से होने वाली आय और एनआईसी द्वारा शामिल किए जाने वाले अन्य रैकों से होने वाली आय का उपयोग ओएंडएम व्यय और बुनियादी संरचना के उन्नयन को पूरा करने में किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद से कथित ओएंड एम व्यय पर अपना 7% संचालन लाभ और से बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर वसूल करेगी।

तदनुसार एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2022–23 में अपने आय और व्यय को नेशनल डेटा सेंटर–शास्त्री पार्क और भुवनेश्व में बुक किया है।

एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल ने 29.07.2020 को आयोजित अपनी 114वीं बैठक में एनआईसी से एक निदेशक से एनडीसीदृएसपी और भुवनेश्वर के लिए व्यय और आय (क्लाउड को छोड़कर) के बीच घाटे की बैठक से संबंधित मद पर गौर करने और सलाह देने का अनुरोध किया था। मामला अभी विचाराधीन है।

नोट सं. 50. अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की अप्रयुक्त निधि पर ब्याज।

एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2022–23 में अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं में ब्याज की गणना वास्तविक आधार पर उस ब्याज दरों के अनुसार की है जिस पर एनआईसीएसआई ने वर्ष में और वित्त वर्ष 2022–23 में नीचे दिए अनुसार, एफडी की थीः

₹ लाखो में

अवधि	एनकेएन परियोजना	अन्य जीआईए परियोजना	कुल
वित्त वर्ष 2021–22 के लिए	8.97	267.10	276.07
वित्त वर्ष 2022–23 के लिए	8.72	236.82	245.54

एनआईसीएसआई ने 26–03–2023 को आयोजित 121वीं बैठक में निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2022–23 में अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अलावा अन्यों में ब्याज पर काम किया हैः

₹ लाखो में

अवधि	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
वित्त वर्ष 2022–23 के लिए	335.01	-

नोट सं. 51. जीआईए परियोजनाओं में ब्याज की वापसी पर पीएंडटी लेखा परीक्षा कार्यालय से ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा।

वित्त वर्ष 2011–2012 तक, कंपनी अनुदानकर्ता संस्थान से परियोजनाओं के निष्पदान हेतु प्राप्त राशि को सहायता प्राप्त अनुदान के रूप में स्वीकार करने की बजाय, 'ग्राहक से प्राप्त अग्रिम' के रूप में स्वीकार कर रही थी और तदनुसार, अनुदानकर्ता संस्थान को अप्रयुक्त निधि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था।

निदेशक मंडल ने, दिनांक 21–12–2011 की बैठक के माध्यम से सहायता परियोजनाओं में अनुदान में उपलब्ध अनुपयोगी निधि पर अर्जित ब्याज की गणना और वापसी के लिए समयदृ समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खातों में लागू ब्याज दर के अनुसार अनुमोदित किया था। तदनुसार, कंपनी ने अनुदानकर्ता संस्थान को ब्याज की राशि की गणना और वापसी की थी अर्थात सार्वजनिक

क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खातों पर लागू ब्याज दर जबकि अनुदानकर्ता संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, वास्तविक ब्याज सहायता परियोजनाओं में अनुदान के अप्रयुक्त शेष को वापस किया जाना है। अनुदानकर्ता विभागों ने वित्त वर्ष 2016–17 तक व्यक्तिगत परियोजना में जमा ब्याज को स्वीकार कर लिया है और इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और उनके खातों को निपटारा हो गया है। यद्यपि, कंपनी द्वारा सरकार को जीआईए परियोजनाओं में ब्याज की कम वापसी के लिए कैग कार्यालय से एक पैदा जारी है। एनआईसीएसआई ने पैरा का उत्तर दिया था और यह अभी भी कैग कार्यालय के विचाराधीन है।

इस बीच, निदेशक मंडल ने 28.03.2017 को हुई अपनी 100वीं बैठक में इस मामले पर फिर से विचार किया और एनआईसीएसआई को वास्तविक आधार पर सहायता अनुदान परियोजनाओं पर ब्याज वापस करने की सलाह दी।

तदनुसार वित्त वर्ष 2018–19 में, एनआईसीएसआई ने जीआईए परियोजनाओं में वास्तविक आधार पर ब्याज दरों के अनुसार काम किया है, जिस पर एनआईसीएसआई ने अतीत में और साथ ही वित्त वर्ष 2018–19 में एफडी की थी और उसके आधार पर, संबंधित परियोजना के लिए प्रत्येक खाता बही में 31.03.2018 तक की अवधि के लिए अंतर ब्याज प्रदान किया है, जिसकी कुल राशि 4766.01 लाख रु. (यानी एनकेएन परियोजना में 1414.74 लाख रु. और अन्य जीआईए परियोजनाओं में 3351.27 लाख रु.)।

पीएंडटी लेखापरीक्षा कार्यालय, पत्र सं. एएमजी–।।/रेप पीएसयू/डीएपी/9993 /एनआईसीएसआई/डी–2024 दिनांक 14.01.2020 को, सहायता परियोजनाओं में अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण, "26.36 करोड़ रु. की हानि और 78.38 करोड़ रु. की देयताओं को कम करने" पर एनआईसीएसआई को ड्राफ्ट ऑडिट पैरा (डीएपी) प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा का यह कहना है कि एनआईसीएसआई ने पिछले वर्षों के दौरान अपनी जीआईए ब्याज आय पर भुगतान किए गए कॉरपोरेट कर में कटौती की है और अंतर ब्याज की वापसी करते हुए, उसने पहले से भुगतान किए गए कॉरपोरेट कर में कटौती की है और इस प्रकार इसे विभाग द्वारा पूर्व में कॉरपोरेट कर की वापसी के संबंध में मामले को सीबीडीटी/आयकर के साथ उठाना चाहिए। एनआईसीएसआई ने अपने मेमो नं. 12 दिनांक 04.12.2019 का उत्तर देते हुए दिनांक 09.12.2019 और साथ ही दिनांक 12.06.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से पीएंडटी लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया था कि चूंकि कॉरपोरेट कर भारत सरकार यानी आय कर विभाग को वित्त वर्ष 2012–13 से लगातार दिया जाता रहा है, इसलिए इसने मामले को आयकर विभाग के सामने नहीं उठाया, एनआईसीएसआई को कॉरपोरेट कर की वापसी के बाद भी, इसे भारत सरकार (यानि अनुदानकर्ता विभागों) को फिर से वापस करना होगा।

नोट सं. 52. व्यापार प्राप्य

एनआईसीएसआई भारत सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में प्रति वर्ष बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है। सामान्य वित्त नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, वे एनआईसीएसआई को 40% या इसके आसदृपास तक अग्रिम देने को सीमित हैं, जबकि कई मामलो में मुख्य रूप से आईसीटी हार्डवेयर, एनआईसीएसआई को कार्य आदेश पूर्ण सीमा तक जारी करना पड़ता है और उन वस्तुओं के वितरण/स्थापना के बाद, एनआईसीएसआई को कार्य आदेशों में भुगतान शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करना होगा। इसके कारण, कई अवसरों पर, 31 मार्च 2023 तक, 57044.98 लाख रु. (पिछले वर्ष 43678.92 लाख रु.) की व्यापार प्राप्य राशि प्राप्त हुई (वित्तीय विवरण की नोट सं. 10 में प्रकटन किया गया है), जिसकी वसूली के लिए एनआईसीएसआई समय–समय पर संबंधित विभागों/संगठनों से संपर्क करती रहती है।

नोट सं. 53. संदिग्ध ऋण राशि का प्रावधान, जिनकी वसूली की संभावना नहीं है

एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2018–19 से लगातार अपने खातों में संदिग्ध ऋणों के लिए, 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 100%, 5–10 वर्षों के बीच 50% और 3–5 वर्षों के बीच 25% पर 'प्रावधान' कर रहा है।

वित्त वर्ष 2022–23 के खातों में उन संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधान करने की दिशा में समीक्षा करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए एनआईसीएसआई में एक समिति का गठन किया गया था, जिनकी वसूली की संभावना नहीं है।

उक्त नीति के अनुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एनआईसीएसआई खातों में संदिग्ध राशि की वसूली के लिए "प्रावधान" किया गया है, जिसकी वसूली की संभावना नहीं है–

(लाखों में)

अवधि	बकाया राशि	प्रतिशत प्रावधान	वित्त वर्ष 2022–23 में प्रावधान	वित्त वर्ष 2021–22 में प्रावधान
10 वर्षों से अधिक	8064.00	100	8064.00	7452.00
5 से 10 वर्ष	2048.00	50	1024.00	1426.00
3 से 5 वर्ष	5582.00	25	1395.00	371.75
3 वर्षों तक	41350.98	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**57044.98**		**10483.50**	**9249.75**

नोट सं. 54. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम का प्रावधान

एफएंडसी ऑडिट ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा करते समय देखा था कि "आपूर्तिकर्ताओं को 984.16 लाख रु. की अग्रिम राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी है। गैरदृप्रावधान के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया है और प्रावधानों को कम कर के दिखाया गया है जिससे लाभ को अधिक बताया गया है।"

एफएंडसी ऑडिट के उपरोक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, एनआईसीएसआई में समनीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों के लिए किए जाने वाले प्रावधान पर विचार करने और सिफारिश करने हेतु उनकी अनुशंसा देने की संभावना नहीं थी। समिति ने 3 वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु बताया राशि का 'प्रावधान– करने की अनुशंसा की थी। एनआईसीएसआई ने इसे मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक के लिए प्रावधान किया था।

उपरोक्त आधार पर, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए खातों में आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम दिए जाने वाले प्रावधान की अनुशंसा हेतु एक समिति बनाई गई थी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, 31.03.2023 तक 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि के लिए और जिनके निपटान की संभावना नहीं है (पिछले वर्ष 2021–22 में 894.32 लाख रु. के मुकाबले), एनकेएन परियोजना के अलावा, 931.98 लाख रु. का प्रावधान किया गया।

नोट सं. 55. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी को अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का पालन करते हुए, पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को हुए औसत शुद्ध लाभ का कमदृ सेदृ कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान 250.00 लाख रु. की राशि [(पिछले तीन वर्षों के कर पूर्व औसत लाभ का 2%, 220.00 लाख रु. है। (पिछले वर्ष 112.00 लाख रु. था, तत्काल पिछले तीन वर्षों के कर पूर्व औसत लाभ का 2%)] वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च किया गया। उपयोग विवरण इस प्रकार हैः

₹ लाखो में

विवरण	को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
पिछले वर्षों की कमी का कुल	112.00	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि और प्रावधान	250.00	112.00
वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कुल कमी में से भुगतान की राशि	112.00	-
वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कुल कमी में से भुगतान की राशि*	-	-
पिछले वर्षों का अतिरिक्त व्यय वर्ष के दौरान समायोजित किया गया	-	-
वर्ष के अंत में कमी [(क)=(a)–(b)–(c)]	250.00	112.00

विवरण	को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
कमी का कारण*	सीएसआर बैंक खाते में अंतरित राशि	सीएसआर बैंक खाते में अंतरित राशि
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य और शिक्षा प्रयोजन हेतु 220.00 लाख रु. पीएम केयर्स फंड में 30.00 लाख रु.	पीएम केयर्स फंड में 112.00 लाख रु. का योगदान

*एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2022–23 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च करने के लिए 250.00 लाख रु. (पिछले वर्ष 112.00 लाख रु. पीएम केयर्स फंड में योगदान) का प्रावधान किया है। 29.03.2023 को आयोजित अपनी 126वीं बैठक में निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार, एनआईसीएसआई ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित 250.00 लाख रु. की राशि को अव्ययित सीएसआर बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया था, जिसके बाद इस राशि को (i) ग्राम विकास न्यास, गुजरात (ii) संत रविदास एजुकेशनल सोसायटी, नई दिल्ली (पपप) रूरल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, नई दिल्ली (iv) आई–हब फाउंडेशन फॉर रोबोटिक्स, आईआईटी दिल्ली (v) फाउंशन फॉर इन्नोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एफआईआरएसटी), आईआईटी, कानपुर और (vi) पीएम केयर्स फंड, में दिया गया।

नोट सं. 56. आय कर और बिक्री कर आदि का प्रावधान

एफएंडसी ऑडिट ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा करते समय देखा गया था कि "वित्त वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक वसूली योग्य टीडीएस/आयकर के कारण 2,281.03 लाख रु. का आयकर विभाग में लंबित है। उक्त राशि 3 वर्ष से अधिक पुरानी होने कारण इस संबंध में प्रावधान कंपनी द्वारा बनाया जाना चाहिए था लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस राशि का प्रावधान न करने के कारण ही वर्तमान संपत्तियों को अधिक दिखाया गया और प्रावधान को कम कर के बताया गया जिसके कारण आय को अधिक दिखाया गया है"।

एफएंडसी के उपरोक्त जांच को ध्यान में रखते हुए, आयकर रिफंड, बिक्री कर वसूली योग्य और कार्य अनुबंध पर टीडीएस की संभावना न होने कारण वित्त वर्ष 2018–19 के लिए खातों में किए जाने वाले प्रावधान की समीक्षा करने और अनुशंसाओं हेतु एनआईसीएसआई में समिति बनाई गई थी। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एनआईसीएसआई खाते में प्रावधान किया गया है:

(लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
आय कर	1835.88	1835.88
बिक्री कर/वैट डीवैट	117.91	117.91
कार्य अनुबंधों पर टीडीएस	2.54	2.54
कुल	**1956.33**	**1956.33**

कर की वापसी के संबंध में मामले को संबंधित कर अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया है और मामला अभी भी उनके अधिकारियों के समक्ष उच्च स्तर पर, चर्चा में है, उक्त राशि की वापसी प्रतीक्षित है।

नोट सं. 57. प्रावधान संचालन

भारतीय लेखा मानक 37 के अनुपालन के संदर्भ में, प्रावधान संचालन को इस प्रकार दिखाया गया है:

(लाखों में)

विवरण	आपूर्तिकर्ता अग्रिम के लिए प्रावधान	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	स्टांप ड्यूटी के प्रावधान	आयकर और बिक्री कर आदि के लिए प्रावदान	आयकर के लिए प्रावधान	कुल
	977.22	8508.75	74.52	1956.33	6973.97	18490.79
परिवर्धन	894.32	9249.75	0.00	0.00	1966.91	12110.98
प्रतिलेखन / स्थानांतरण	977.22	8508.75	0.00	0.00	0.00	9485.97
31 मार्च 2022 तक शेष	**894.32**	**9249.75**	**74.52**	**1956.33**	**8940.88**	**21115.80**
परिवर्धन	931.98	10483.50	0.00	0.00	5525.80	16941.28
प्रतिलेखन / स्थानांतरण	894.32	9249.75	46.55	0.00	8940.88	19131.50
31 मार्च 2023 तक शेष	**931.98**	**10483.50**	**27.97**	**1956.33**	**5525.80**	**18925.58**

नोट सं. 58. अप्रचलित मद

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए एनआईसीएसआई खातों की समीक्षा करते समय, एफएंडसी ऑडिट टीम ने पाया कि 31 मार्च को अप्रचलित वस्तुओं के मूल्यह्रास मूल्य और उसके खिलाफ अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच अंतर हेतु उस वर्ष के खातों में प्रावधान नहीं किया गया था। तदनुसार, मूल्यह्रास मूल्य और अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच 31.03.2019 को अप्रचलित वस्तुओं के लिए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एनआईसीएसआई खातों में किए जाने वाले ष्प्रावधानष् की जांच करने और सिफारिश करने के लिए एनआईसीएसआई में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश की थी कि 31.03.2019 को अप्रचलित संपत्ति मदों के मूल्यह्रास मूल्य को अनुमानित बिक्री मूल्य के रूप में लिया जाएगा और इसलिए, उस वर्ष के खातों में इस संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्कता नहीं थी। इसे एनआईसीएसआई प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए खातों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 और वित्त वर्ष 2022–23 में एनआईसीएसआई के खातों में कोई श्प्रावधानश नहीं किया गया था। हालांकि, संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के आधार पर, 31.03.2023 तक अप्रचलित संपत्ति वस्तुओं का अनुमानित मूल्य 10.94 लाख रु. (पीवाई 0.90 लाख रु.) आंका गया है।

नोट सं. 59. वर्ष अंत के व्यय और बिना बिल वाले राजस्व का प्रावधान

वित्त वर्ष 2019–20 और 2020–21 के वित्तीय विवरण की समीक्षा करते समय, पीएंडटी ऑडिट (कैग) ने पाया कि पिछले वर्ष के लिए किए गए व्यय से संबंधित चालान के लिए बहीखातों में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए चालान प्राप्त हुए थे। वित्त वर्ष की समाप्ति लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने की तिथि से पहले। पीएंडटी ऑडिट ने इन व्यय के खिलाफ उचित प्रावदान करने का सुझाव दिया था। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 से संबंधित आय भी संबंधित वित्तीय वर्ष में दर्ज की गई है। उपरोक्त के आधार पर वित्त वर्ष 2022–23 में भी एनआईसीएसआई खातों में निम्न अनुसार बिना बिल प्रावधान किया गया है।

(लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ वर्ष
व्यय के लिए प्रावधान	12039.63	9997.54
बिन नहीं किया गया राजस्व	11790.45	9439.13

नोट सं. 60. जीएसटी अधिकारियों के समक्ष अपील

नवंबर, 2017 में 4,73,37,107/– रु. की जीएसटी एनआईसीएसआई द्वारा इसी कारण से जमा किया गया था कि उस वर्ष विक्रेताओं के कई चालान बुक किए जाएंगे लेकिन कम चालान प्राप्त हुए, उस सीमा तक जीएसटी का निपटान नहीं हुआ। निर्धारण अधिकारी द्वारा 25.09.2020 को समयबाधित होने के कारण दावे को खारिज कर दिया गया। एनआईसीएसआई ने जमा किए गए अतिरिक्त कर

की वापसी हेतु 18.12.2020 को आयुक्त (अपीलदृ।।), सीजीएसटी, दिल्ली के समक्ष अपील की है। एनआईसीएसआई जीएसटी ट्रिब्यूनल में नई अपील दायर करने की प्रक्रिया में है लेकिन अभी प्रक्रिया रुकी हुई है क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया गया है।

नोट सं. 61. कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं किया।

नोट सं. 62. कोविड–19 का प्रभाव

कंपनी ने संभावित प्रभावों का आकलन किया है जो कोविड–19 महामारी से संबंधित प्राप्य राशियों, सावधि जमा और अन्य संपत्तियोंध देयताओं की अग्रणी राशि पर हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि को सूचना के आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है। वर्तमान तिथि के अनुसार, कंपनी ने निष्कर्ष निकाला है कि इन अनुमानों के आधार पर कोविड–19 का प्रभाव बहुत गंभीर नहीं है। महामारी की प्रकृति के कारण कंपनी भविष्य में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं, यदि कोई हो, की पहचान करने हेतु विकास की निगरानी करना जारी रखेगी।

नोट सं. 63. पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी ने पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के साथ तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत/पुनःसमूहित/पुनःव्यवस्थित किया है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जे एन मित्तल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
कंपनी पंजीकरण सं. 003587एन

ह0/–
सीए राजेन्द्र मित्तल
साझीदार
सदस्यता सं. 084470
यूआईडीएनः 23084470बीजीऐक्सटीयूए4623

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड

ह0/–
डॉ. विनय ठाकुर
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09710675

ह0/–
भवनेश कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02780311

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
महेन्द्र पाल
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2023

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

नेशनल इंर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य विचार

हमने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (ष्कंपनीष) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक की बैलेंस शीट (तुलन पत्र) और आय एवं व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं के सारांश समेत वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स थे।

हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय खंड में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (ष्अधिनियमष) द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एवं इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

योग्य राय का आधार

1. व्यापार देय (नोट 19), व्यापार प्राप्य (नोट 10), ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (नोट 21), देय सुरक्षा जमा (नोट 18), और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 9 और 15) वर्तमान कर संपत्ति और प्रावधान (नोट 14), एग्रिम बिक्री कर/डीवैट पर जीएसटी और कार्य अनुबंध पर टीडीएस के साथ–साथ उपरोक्त पर प्रावधान (नोट 15), वर्ष के अंत में पुष्टि और/या समायोजन के विषयाधीन हैं। प्रबंधन इसके समायोजन की प्रक्रिया में है और उसकी राय है कि प्रभाव, यदि कोई होगा, तो वह महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऐसा पुष्टियों से प्राप्त/प्राप्त होने वाले और/या तैयार किए जा रहे परिणामी समायोजन के परिणामस्वरूप आय/व्यय और/या संपत्ति/देनदारियों पर प्रभाव वर्तमान में वर्ष के अंत में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. ग्राहकों से प्रापत अग्रिम, जो कि 191704.27 लाख रु है, के संबंध में वित्तीय विवरण के नोट सं. 21 का संदर्भ दिया जाता है। व्यक्तिगत खातों की समीक्षा से ऐसे कई ग्राहकों का पता चलता है जिन पर वर्ष के अंत तक 3 वर्षों से भी अधिक समय से शेष राशि बकाया है। ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और भारत सरकार के मंत्रालोयं से प्राप्त इन अग्रिमों को कंपनी द्वारा अलगदृ अलग बैंकों में अलगदृ अलग ब्याज दरों एवं परिपक्वता प्रोफाइल पर सावधि जमा में निवेश किया गया है।

   इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्राहकों से अग्रिम के संबंध में ऐसी निष्क्रिय निधि अप्रयुक्त रह गई है और सावधि जमा में निवेश की गई है, प्रबंधन को ऐसे प्रत्येक अग्रिम की जांच करने और प्रत्येक के साथ अनुबंध के संबंधित नियमों और शर्तों के आधार पर इसे वापस करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक अग्रिम के संबंध में दस्तावेजों, अनुबंधों और विवरणों के उपलब्ध न होने के कारण, इस प्रकार के विवरण उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप संपत्ति/देयताओं और/या आय/व्यय पर पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित मामलों का समग्र प्रभाव वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता।

3. सेवाओं की बिक्री पर राजस्व को षनियंत्रणष के हस्तांतरण के समय यानी वादा की गई सेवा के हस्तांतरण पर, पहचान किए जाने की बजाय महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (नोट 2(vii) और नोट 2(xii) के संदर्भ में) के अनुसार चालान बनाते समय गलती से दर्ज किया जा रहा है। कंपनी को रिपोर्ट की गई आयध व्यय और परिसंपत्तियां/देयताएं पर सेवा पूरी होने के 30 दिनों के भीतर चालान न बनाने के कारण सीजीएसटी अधिनियम के नियम 47 के तहत डिफॉल्ट के साथ–साथ इसका प्रभाव वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है।

4. कंपनी ने सूचित किया है कि उनके पास लगभग 1900 विक्रेता है जिनमें से केवल 45 विक्रेताओं को एमएसएमई विक्रेताओं के रूप में पहचाना गया है। उपरोक्त के कारण एमएसएमई पर ब्याज की गणना केवल चिन्हित एमएसएमई विक्रेताओं पर की जा रही है। इसके अलावा, इसे 687.25 लाख रु. की आकस्मिक देनदारियों के रूप में दिखाया गया है, (व्यय को ऋण खाते में डालने और देयता बनाने की बजाय), क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि यदि परियोजना में विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो उपयोगकर्ता विभाग से इसकी वसूली की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप व्यय के साथ–साथ देनदारियों को भी 687.25 लाख रु. कम कर के बताया गया है।

5. वर्ष के लिए परिसंपत्तियों/ देनदारियों और/ या आय/ व्यय पर उपरोक्त अनुच्छेद (1) से (3) में संदर्भित मामलों का प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 4 के प्रभाव के परिणामस्वरूप व्यय के साथ–साथ देनदारियों को भी 687.25 लाख रु. कम बताया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम, कंपनी से स्वतंत्र हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा नैतिक आवश्यकताओं के साथ जारी आचार संहिता के अनुसार जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, का पालन करते हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं वह हमारी योग्य राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

विशिष्ट मामले (Emphasis of Matter)

हम नोट सं. 3,4 और 45 की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जिसके तहत भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली (931.50 लाख रु.), 7812 और यूनिट सं. ए, 300 नौरोजी नगर (7812.05 लाख रु.) की इमारत के संबंध में हस्तांतरण पत्रध स्वत्व विलेख का पंजीकरण, वर्ष के अंत तक, लंबित था। भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में इमारत के लिए स्वत्व विलेख का पंजीकरण 18 जुलाई 2023 को हुआ था।

उपरोक्त अनुच्छेदों में रिपोर्ट किए गए मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारियों में शामिल हैदृ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने के दौरान इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वास्तव में असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा वास्तव में गलत बताया गया प्रतीत हो रही है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों का उत्तरदायी है, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों समेत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन पर उचित और निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव करना; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और प्रयोगय ऐसे निर्णय करना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण होंय एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन कार्यान्वयन और रखरखाव करना भी शामिल है जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनकी प्रस्तुति हेतु प्रासंगिक थे जो उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है और जो वास्तविक गलत विवरण से मुक्त है चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी को चालू व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो, चालू संस्था से संबंधित मामले और जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं कर लेता, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचता, तब तक, जैसा लागू हो, लेखांकन के उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने को जिम्मेदार है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का प्रबंध करने के भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरणों से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण या त्रुटि के कारण हो और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा लेगी, जब वह गलती की गई हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब व्यक्तिगत या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की गई हो। एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं: –

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन, चाहे वे धोखे से या त्रुटि के कारण किए गए हों, ऐसे जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते एवं हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के कारण किए गए वास्तविक गलत विवरण का पता न लगा पाना गलती से किए गए गलत विवरण का पता लगाने की तुलना में अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझ कर की जाने वाली गलती, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन की उन्नतिशील व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को चालू व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है, का पता लगाना। यदि हमारे निष्कर्ष में महत्वपूर्ण अनिश्चितता सामने आती है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान दिलाना होगा या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी का चालू व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- प्रकटीकरण समेत वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें एवं क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है। भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करनेय और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी का पता लगाया जाना शामिल है, पर, प्रबंधन के प्रभारी लोगों के साथ बातचीत करते हैं।

हम प्रबंधन के प्रभारियों को एक अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन में तैयार किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों को बताने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें बताया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्च) आदेश, 2016 ('आदेश') के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि कंपनी अधिनिम,

2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनी को उपलब्ध छूट के मद्देनजर उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किरू

क) हमने ऐसी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थीं;

ख) उपर उल्लिखित योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, बहीखाते की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाता तैयार किया है;

ग) उपर उल्लिखित योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, बैलेंस शीट (तुलन पत्र), आय और व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन का अभिकथन और नकद प्रवाह विवरण बहीखाता से मेल खाता है;

घ) योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर उल्लिखित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) का अनुपालन करते हैं, इसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाएगा;

ङ) योग्य राय के आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं;

च) चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपदृधारा (2), अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होती है;

छ) बहीखाते के रख–रखाव और उससे जुड़े अन्य मामले उपर उल्लिखित योग्य राय के आधार अनुच्छेद के अनुसार उचित हैं;

ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ष्अनुलग्नक कष में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक एक योग्य राय व्यक्त करती है;

झ) हमारे विचार से और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी, अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के संदर्भ में सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते;

ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है (वित्तीय विवरणों के लिए नोट सं. 36 देखें);

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हुआ हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) प्रबंधन ने बताया है कि, अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या संस्थाओं में, जिनमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') भी शामिल हैं, को कोई धनराशि अग्रिम या उधार नहीं दी गई है या उनमें निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि से), इस समझ के साथ, चाहे वे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किए गए हों कि मध्यस्थ निम्न कार्य करेगाः

- कंपनी द्वारा या कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या निकायों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या उनमें निवेश करेगा ('अंतिम लाभार्थी') या
- अंतिम लाभार्थी को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।

- (ख) प्रबंधन ने बताया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियों') समेत किसी बी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित या अन्यथा रूप में दर्ज की गई हो, कि कंपनी करेगीः
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऋणदाता फंडिंग पार्टी को या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचान किए गए दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') में निवेश करेगी या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगीय और

(ग) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और सही माना जाता है, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आया जिससे हमें विश्वास हो कि उप–खंड(iv) (क) और (iv) (ख) के तहत अभ्यावेदन में कई महत्वपूर्ण गलत–बयानी की गई है।

(घ) चूँकि कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत किया गया है और यह लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के खंड 143 (11) (ई) के तहत रिपोर्टिंग करने का नियम कंपनी पर लागू नहीं होता है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट अनुबंध ख के रूप में संलग्न है।

जे. एन. मित्तल एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन003587एन

सी.ए. राजेन्द्र मित्तल
(साझीदार)
एम. सं.: 084470
यूडीआईएनः 23084470बीजीएक्सटीयूए4623

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 15/09/2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(उस तिथि पर हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताएं" खंड के तहत अनुच्छेद में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (I) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्राण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 तक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक. (ष्कंपनीष्) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की, उस तिथि पर समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी ('मार्गदर्शन नोट') के अनिवार्य तत्वों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उन्हें बनाए रखने को उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख–रखाव किया जाना शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है और जैसा कि समय–समय पर इसमें संशोधन किया जाता है, प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार व्यक्त करना है। हमने मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए हमारे द्वारा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना और इस बारे में उचित आश्वसान प्राप्त करने के लिए योजनाएं तैयार करने एवं लेखा परीक्षा करना कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी वास्तविक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, आवश्यक है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनका परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रदर्शन प्रक्रियाएं करना शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि वास्तविक कमी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और आकलन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन करना शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के या त्रुटि के कारण हो। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण में कंपनी की संपत्ति के लेनदृदेन और स्वभाव को सटीक एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाता हैय (2) उचित आश्वासन प्रदान करता है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने हेतु लेनदृदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर बहुत प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण का अनुचित प्रबंधन उल्लंघन करना, गलती या धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलत विवरण करना हो सकता है और उनका पता भी नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, आगामी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा राय को व्यापार देय समायोजनध् पुष्टि (नोट 19), व्यापार प्राप्य (नोट 10), ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (नोट 21), सुरक्षा जमा देय (नोट 18), और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 9 और 15), वर्तमान कर परिसंपत्तियां और प्रावधान (नोट 14), अग्रिम बिक्री कर पर जीएसटी/डीवैट और कार्य अनुबंध पर टीडीएस के साथ साथ उपरोक्त पर प्रावधान (नोट 15), वर्ष के अंत तक, योग्य बनाया है। क्योंकि इसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से बकाया शेष राशि का गलत विवरण हो सकता है। (सम तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के योग्य राय के अधार के तहत पैरा 1 देखें) जिसमें वर्तमान आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

एक 'वास्तविक कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी या कमियों का संयोजन है जैसे कि समय के आधार पर इस बात की उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के एक भौतिक गलत विवरण को रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर वर्णित वास्तविक कमियों के प्रभावोंध् संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों पर विचार करते हुए 31 मार्च 2023 तक प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

हमने उपर उल्लिखित वास्तविक कमियों की पहचान और रिपोर्ट करते समय उसकी प्रकृति, समय और 31 मार्च 2023 की हमारी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा जांच की सीमा पर विचार किया है और हमारी राय में ये वास्तविक कमियां, कंपनी के, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य मामले

क. कंपनी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलगदृ अलग मदों के निरूपण से संबंधित वर्तमान नियंत्रणों को उनके भौतिक सत्यापन पर नियंत्रणों को शुरू करके मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे भौतिक रूप से सत्यापित सभी व्यक्तिगत वस्तुओं

को संबंधित पीपीई रिकॉर्ड के साथ उनकी विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से मैप किया जाता है।

ख. हालांकि कंपनी ने 01 जुलाई 2017 से ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरंभ कर दिया था लेकिन व्यक्तिगत पार्टी रोकड़ शेष की मैपिंग और आरंभिक शेष को अग्रेषित करने, एजिंग शेड्यूल, ईआरपी से सीधे खाते का विवरण लेने, बहीखाते में किए गए परिवर्तन को ट्रैक करने संबंधी कुछ नियंत्रण खामियां थीं। बिक्री रजिस्टर का उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा था क्योंकि वस्तु एवं सेवा का विभाजन उचित तरीके से नहीं था क्योंकि संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के लिए वित्तीय आंकड़े बिक्री रजिस्टर के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे (बिक्री रजिस्टर सकल आधार पर वित्तीय विवरण से मेल खाते हैं यानी बिना विभाजन के)। प्री–जीएसटी व्यवस्था के कारण तुलन पत्र में वस्तुओं पर अग्रिम पर जीएसटी यथावत है, जिसे अब तक समायोजित नहीं किया गया है। ईआरपी को बेहतर बनाए जाने और वर्तमान नियंत्रणों के आधार पर मान्य किए जाने और बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट की मदद से सत्यापित कराए जाने की आवश्यकता है।

ग. 3 वर्ष से अधिक से ईएमडी बकाया है। कंपनी ईएमडीध सुरक्षा जमा आदि की समीक्षा नहीं कर रही है।

घ. कंपनी को लेखापरीक्षा और लेखा नियमावली तैयार करने और उसके अनुसार अपनी लेखा नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

ङ. कार और कंप्यूटर की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित जीएसटी टीडीएस प्राप्य शेष लंबित है। बिक्री कर, टीडीएस और आयकर के विभिन्न मदों के अंतर्गत लंबित कर वसूली योग्य शेष।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जे. एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन003587एन

सीए. राजेन्द्र मित्तल
(साझीदार) एन. सं.: 084470
यूडीआईएनः 23084470 बीजीएक्सटीयूए4623

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 15–09–2023

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्राक एवम महा लेखा – परीक्षक द्वारा जारी निर्देशो पर रिपोर्ट

1. **क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ बही–खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जा सकते हैं।**

   कंपनी ने 01 जुलाई 2017 से ईआरपीअकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग शुरू कर दिया था। इस ईआरपी प्रणाली को अपनाने से पहले किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट नहीं कराया गया था। व्यक्तिगत पक्षों के रोकड़ शेष की मैपिंग और आरंभिक शेष को अग्रेषित करने, एजेंगशेड्यूल, ईआरपी से खाते का सीधे विवरण प्राप्त करने, बहीदृखाते में किए गए परिवर्तनों की ट्रैकिंग आदि से संबंधित कुछ नियंत्रण कमियां हैं। आंकड़ों की शुद्धता में संभावित प्रणाली की कमियों के कारण वित्तीय विवरण में उल्लिखित परिसंपत्तियों/देयताओं और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में पता नहीं चल सका है।

   इसके अलावा, अचल संपत्तियों के लेखांकन में किसी भी प्रकार की वृद्धि/कमी/मूल्य ह्रास का काम मैनुअली किया जा रहा है और फिर उसे ईआरपी सिस्टम में डाला जाता है क्योंकि ईआरपी में ऑटो मेशन मॉड्यूल नहीं है।

2. **क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा वर्तमान ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफी/बट्टा खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।**

   लागू नहीं है क्योंकि कंपनी पर वर्ष 2022–23 के दौरान कोई ऋण बकाया नहीं था। तदनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋण दाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफी/बट्टा खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

3. **क्या केंद्रीय/राजकीय एजेंसियों से या विशिष्ट योजनाओं के अनुसार प्राप्त/प्राप्यधन का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से प्रयोग किया गया था? अनुचित प्रयोग के मामलों की सूची प्रदान करें।**

   वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान आरबीआई से निकासी समेत केंद्रीय/राजकीय एजेंसियों से अनुदान सहायता परियोजना हेतु 82503.72 लाख रु. स्वीकृत/प्राप्त किए गए और इसका उपयोग इनके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से किया गया था। अप्रयुक्त राशि एजेंसियों को वापस कर दी गई है।

जे. एन. मित्तल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन003587एन

सीए. राजेन्द्र मित्तल
(साझीदार) एन. सं.: 084470
यूडीआईएनः 23084470 बीजीएक्सटीयूए4623

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 15.09.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. (निकसी) के वित्तीय कथन पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्ष क द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकध लेखापरीक्ष क अधिनियम की धारा 143 (10) के लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर रायव्यक्त करने के जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा दिनांक 15.09.2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्ष खकी ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) केतहत 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के काम का जी दस्तावेजों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्ष कों एवं कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा143 (6) (बी)के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरी जानकारी में आए हैं और जोमेरीराय में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

टिप्पणी लाभ प्रदता पर है

आय और व्ययखाता–व्यय

अन्यव्यय 6941.25 लाखरु. (नोट 29)

वीसैट सेवाओं के प्रावधान के लिए ब्याज और जुर्माने हेतु लाइसेंस शुल्क अनुबंध के संदर्भ में जनवरी 2023 मेंडीओटी द्वारा उठाई गई मांग का प्रावधान न करने के कारण उपरोक्त मद में 341.75 लाख रु. की राशि को कमकर बताया गया है।

इसके परिणाम स्वरूप आय को भी इतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

सामान्य टिप्पणी

एनआईसीएसआई ने लेखांकन नीतियों में उस बदलाव का खुलासा नहीं किया है जिसे निदेशकमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत प्रतिबद्धताएंः 22028.36 लाखरु. (नोटसं. 38)

उपरोक्त मद में 639.77 लाख रु. की राशि को कमकर के बताया गया है क्योंकि इसमें नवीकरण व्यय, सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद और क्लाउड सेवाओं की खरीद के लिए एनआईसीएसआई की प्रतिबद्धताओं को शामिल नहीं किया गया है।

तिथिः 03.11.2023
स्थानः दिल्ली

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

(रोली शुक्ला मालगे)
प्रधान लेखापरीक्षक निदेशक
(वित्त एवं संचार)

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के खातों पर जारी टिप्पणि यों के उत्तर

टिप्पणी सं.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर	सांविधिक लेखापरीक्षकों का उत्तर
#1 / **ओबीएस–993836**	**तुलनपत्र** **संपत्तियां** **गैर– चालू परिसंपत्तियां** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण–₹ 3878.61 लाख (नोटसं.3)** दिनांक 04.05.2022 को आयोजित बोर्ड की 121वीं बैठक में अनुमोदित एनआईसीएसआई की मोबाइल फोन उपकरण प्रति पूर्तिनीति के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए मोबाइल सेट की प्रतिपूर्ति प्रत्येक 3 लगातार वर्ष की सेवा में एकबार की जाएगी। पाया गया कि मोबाइल सेट की प्रतिपूर्ति राशि ₹ 4.35 लाखरु. को व्यय में दर्ज किया गया है और संपत्ति में दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार, इसके परिणाम स्वरूप खर्चों को ₹ 2.90 लाख अधिक बताया गया और संपत्ति में इतने रु. की कमी दिखाई गई एवं मूल्यह्रास को ₹ 1.45 लाख तक कम करके दिखाया गया। तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की जा सकती है और टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, की जा सकती हैं।	वर्तमान में एनआईसीएसआई अपने आय और व्यय विवरण में मोबाइल फोन को चालू वर्ष के व्यय के रूप में दर्जकर रहा है हालाँकि यह कहा गया है कि कर्मचारी को दिया गया मोबाइल हैं डसेट सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन (3) वर्षों की निरंतर सेवा के विषयाधीन है। हालाँकि जैसा किसी एजी लेखापरीक्षा में सुझाया गया है, यह आश्वासन दिया गया है कि अगले वित्तवर्ष में मोबाइल फोन को कार्यालय व्यय से अचल संपत्तियों में स्थानांतरित कर इसे ठीक कर दिया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	यह कहा गया है कि कर्मचारी को दिया गया मोबाइल हैं डसेट, एनआईसीएसआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित और व्ययविवरण में डेबिट किए गए, तीन (3) वर्ष की निरंतर सेवा के अधीन है। हालाँकि जैसा कि सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है और एनआईसीएसआई द्वारा आश्वासन दिया गया है, अगले वर्ष इसे ठीक कर दिया जाएगा। आश्वासन और भौतिकता अवधारणा को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षक से अनुच्छेद हटाने का अनुरोध किया जाता है।
#2/ ओबीएस–994030	**तुलनपत्र** **संपत्तियां** **गैर–चालूपरिसंपत्तियां** **पूंजीगत कार्य प्रगति–₹ 8297.21 लाख (नोटसं. 4)** उपरोक्त में विश्व व्यापार केंद्र में कार्यालय स्थल की खरीद के लिए एनबीसीसी को दी गई ₹ 7812.05 लाख की अग्रिम राशि शामिल है।चूंकि एनआईसीएसआई स्वयं निर्माण नहीं कर रहा है, इसलिए इसे सीडब्ल्यूआईपी के बजाय पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाया जानाचाहिए था। इस प्रकार, इसके परिणाम स्वरूप सीडब्ल्यूआई पी को 7812.05 लाख रु. की सीमा तक अधिक बताया गया और इसी सीमा तक पूंजीगत अग्रिमों को कम बताया गया। तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की जा सकती है और कृपया टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जा सकती हैं।	एनआईसीएसआई ने नौरोजी नगर में एनबीसीसी टावर में वाणिज्यिक स्थान के लिए आवेदन किया था, इसे वर्ष 2020 में आवंटित किया गया था। वित्त वर्ष 2021–22 तक इसके लिए भुगतान की गई राशि को वित्त विवरण में पूंजी अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।इसले अलावा सूचित किया जाता है कि वित्तवर्ष 2022–23 में स्थान के स्पष्ट अंकन के साथ एनआईसीएसआई के पक्ष में 17 जून 2022 को बिक्री अनुबंध निष्पादित किया गया है। नोट 4 में भी तथ्यों के बारे में बताया गया है। तदनुसार, बिक्री अनुबंध के अनुसार परिसंपत्तियों का अधिकार दिया गया है और निर्माण कार्य जारी है। यह ध्यान में रखते हुए कि एनबीसीसी एनआईसीएसआई की ओर से निर्माण कार्य कर रहा है, पूंजीगत अग्रिम को अर्ध निर्मित उत्पादन माना गया है। हालाँकि जैसा किसी एजी ने सुझाव दिया है, उसे अगले वित्तवर्ष में सीडब्ल्यूआईपी से पूंजीगत अग्रिम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तर से सहमत हैं। अनुरोध है कि कृपया अनुच्छेद को हटा दिया जाए।

टिप्पणी सं.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर	सांविधिक लेखापरीक्षकों का उत्तर
#3 / ओबीएस–994059	**तुलनपत्र** **संपत्तियां** **गैर–चालू परिसंपत्तियां** **पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन– ₹ 8297.21 लाख (नोटसं.4)** इसमें चार सिविल शौचालयों के नवीकरण हेतु ₹ 34. 15 लाख की राशि शामिल है।चूँकि, एनआईसीएसआई ने डीएमआरसी से पट्टे पर परिसर लिया है, इसलिए, सिविल कार्य के तहत इस का पूंजीकरण उचित तरीके से नहीं किया गया है और भारतीय लेखामान क 18 के अनुसार कार्य की प्रकृतिया निराजस्व को राजस्वव्यय माना जाना चाहिए था। इसलिए इस के परिणाम स्वरूप गैरदृ चालू परिसंपत्तियों को ₹ 34.15 लाख अधिक बताया गया है और खर्चों को कम बताया गया है जिसके कारण लाभ और हानि खाते में इतनी ही राशि को बढ़ाकर दिखाया गया है। तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की जा सकती है और कृपया टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जा सकती हैं।	विषय वस्तु के संदर्भ में, स्थान को डीएमआरसी से पट्टे पर लिया गया है, और शौचालय के नवीकरण का कार्य एनआईसीएसआई की लागत पर विक्रेता को दिया गया है। शौचालयों के नवीकरण के कार्य में पट्टेवाली संपत्ति पर सिविल कार्य शामिल है, इसका लेखा–जोखा भारतीय लेखामानक 116 लीज के तहत किया जाएगा जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 24 के तहतः "उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की लागत में शामिल होंगेः (ग) पट्टेदार द्वारा वहन की गई कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतय (घ) अंत र्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने और हटाने, इस स्थान को फिर से तैयार करने, जिस पर वह बना हुआ है या अंत र्निहित परिसंपत्ति को पट्टे के नियमों और शर्तों के अनुसार उस स्थिति में लाने के लिए पट्टेदार द्वारा खर्च की जानेवाली लागत का अनुमान, जब तक कि ये लागत इन्वेंट्री तैयार करने में खर्च न की गई हो" इसके अलावा अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि" एक पट्टेदार को अनुच्छेद 24(डी) में वर्णित लागतों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत के अंश के रूप में स्वीकार करेगा जब वह उन लागतों का उत्तर दायी होगा" इसलिए शौचालयों के नवीकरण पर किए गए खर्च को पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन के रूप में दिखाया गया है और इसे पूरा होने के बाद भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार पट्टा अनुबंध के शेष समय में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में शामिल किया जाएगा। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।**	प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तर से सहमत हैं। अनुरोध है कि कृपया अनुच्छेद को हटा दिया जाए।
#4 / ओबीएस–996907	**वित्तीय विवरण** **31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स** **प्रकटन** भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (भारतीय लेखा मानक 115) यह निर्धारित करने के लिए रूपरेखा तैयार करता है कि राजस्व कितना और कब मान्य होगा और ग्राहक अनुबंध से होने वाले राजस्व और नकद प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता के बारे में प्रकटन की आवश्यकता होती है।	आश्वासन दिया जाता है कि सुझाए गए प्रकटन अगले वर्ष के वित्तीय विवरण में अनुबंध संपत्तियों से राजस्व के पृथक्करण के साथ अनुबंध संपत्तियों और अनुबंध देनदारियों का प्रकटन किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षकों से अनुच्छेद को हटाने का अनुरोध किया जाता है।

टिप्पणी सं.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर	सांविधिक लेखापरीक्षकों का उत्तर
	भारतीय लेखा मानक 115 के तहत, राजस्व को 5 चरण दृष्टिकोण के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है:– ग्राहकों के साथ अनुबंध (धों) की पहचान कर। अनुबंध में अलग–अलग निष्पाद दायित्वों की पहचान कर। लेन–देन का मूल्य निर्धारित कर। निष्पादन दायित्वों के लिए लेन–देन मूल्य आवंटित करनाय और निष्पादन दायित्व पूरा होने पर राजस्व स्वीकृत करना। एनआईसीएसआई विशिष्ट अनुबंधों/आदेशों के तहत भारत सरकार और अन्य सरकारी विभागों के लिए कार्य करता है और 191704127/– लाख रु. को ग्राहकों से अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। हालॉकि, एनआईसीएसआई निम्नलिखित के संबंध में जानकारी देने में विफल रही यानि (i) अनुबंध संपत्तियों और अनुबंध देयताओं के संबंध में स्वीकृत राजस्व (ii) राजस्व का पृथक्करण और (iii) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से संबंधित संपत्तियां एवं देनदारियां। इसलिए भारतीय लेखा मानक 115 की तर्ज पर दी जाने वाली जानकारी उपरोक्त उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।		
#5 / ओबीएस–996926	**वित्तीय विवरण** **31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स** **प्रतिबद्धताएं** **पूंजीगत प्रतिबद्धताएं: 22028.36 लाख रु. (नोट सं. 38)** उपरोक्त में 641.77 लाख रु. की राशि को शामिल नहीं किया गया है जिसे निम्नलिखित कार्य को करने के लिए खर्च किया जाना हैरू भीकाजी कामा प्लेस में एनआईसीएसआई मुख्यालय के छठे तल पर नवीकरण का काम जिसे 138.73 लाख रु. की लागत के साथ मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड को दिया गया था। राष्ट्रीय डेटा सेंटर (एनडीसी), भुवनेश्वर में 136.64 लाख रु. की लागत से चलने वाली क्लाउड सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस (आरएचईएल) की खरीद। एनआईसी क्लाउड सेवाएं, भुवनेश्वर में संवर्धन परियोजना के लिए 364.40लाख रु. की हार्डवेयर वस्तुओं की खरीद। इस प्रकार, इसके कारण पूंजीगत प्रतिबद्धताओं को 641.77 लाख रु. कम दिखाया गया है। तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की जा सकती है और कृपया टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जा सकती हैं।	एनआईसीएसआई प्रत्येक वर्ष अपने वित्तीय विवरणों में अपनी पूंजीगत प्रतिबद्धताओं का प्रकटन कर रही है, हालॉकि इन लेन–देन के संबंध में, यह पाया गया है कि सभी मामलों में तुलन पत्र की तिथि तक विक्रेताओं के साथ कोई औपचारिक अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है। हालॉकि जैसा कि सीएजी द्वारा सुझाया गया है, इनके संबंध में प्रतिबद्धताओं का, अगले वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रकटन भी किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	अनुबंध राशि/कार्य आदेश राशि से किए गए कार्य की मात्रा को घटाने के बाद पूंजीगत प्रतिबद्धता दर्शायी जाती है। उक्त कार्य के लिए 31 मार्च 2023 तक कोई अनुबंध नहीं हुआ था इसलिए राशि को पूंजीगत प्रतिबद्ध ता में नहीं दर्शाया गया है। हालांकि, प्रबंधन की सहमति के अनुसार, अगले वित्त वर्ष में इन पर ध्यान दिया जाएगा। अनुरोध है कि कृपया अनुच्छेद को हटा दिया जाए।

टिप्पणी सं.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर	सांविधिक लेखापरीक्षकों का उत्तर
# 6/ ओबीएस–998216	**प्रकटन** **लेखांकन नीति** एनआईसीएसआई बोर्ड ने 26–03–2022 को आयोजित अपनी 121वीं बोर्ड बैठक में एजेंडा आइटम संख्या 11 के तहत मंजूर किया था कि जीएसटी और आयकर प्रावधानों के संदर्भ में पूर्व अवधि की बुकिंग, एनआईसीएसआई को विक्रेताओं से चालान बुक करने के लिए एनआईसीएसआई प्रबंधन द्वारा निर्धारित कटऑफ तिथि के अनुसार और एनआईसीएसआई द्वारा निष्पादित किए जा रहे व्यवसाय के प्रकार को ध्यान में रखते हुए चालान तिथिध् वास्तविक प्राप्ति तिथि का ध्यान रखना होगा। एनआईसीएसआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व बुकिंग संबंधित वित्त वर्ष में प्राप्त कुल राजस्व के 0.25: से अधिक नहीं होनी चाहिए और एनआईसीएसआई को प्रत्येक वर्ष अपने खातों में इसका प्रकटन करना होगा। प्रत्येक वर्ष बहीदृखातों में 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया अग्रिमों के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। यदि किसी वित्त वर्ष में किसी अग्रिम को पिछले वर्ष में किए गए "प्रावधान"में से समायोजित किया जाता है तो पूर्ण शुद्ध राशि और उसके विपरीत, वर्ष के अंत में 3 वर्षों से अधिक के लिए बकाया कुल अग्रिमों में से की जाएगी। इसी प्रकार का कार्य प्रत्येक वर्ष एनआईसीएसआई के लेखा विभाग द्वारा किया जाएगा। एनआईसीएसआई बोर्ड द्वारा उपर्युक्त लेखांकन नीति को मंजूरी दिए जाने के बावजूद, एनआईसीएसआई लेखांकन नीति पर अपने नोट्स में इसका प्रकटन करने में विफल रही है। इसके अलावा एनआईसीएसआई अपने अधिकारियों के लिए लैपटॉप और मोबाइल फोन की खरीद हेतु अपनी लेखांकन नीति और मूल्यह्रास एवं वसूली आदि के संदर्भ में आगे के लेखांकन व्यवहार का प्रकटन करने में भी विफल रही है।	आश्वासन दिया गया है कि दोनों लेखांकन नीतियों का प्रकटन अगले वर्ष के वित्तीय विवरण में किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	सूचित किया जाता है कि नोट सं. 56 "आयकर और बिक्री कर आदि के लिए प्रावधान"से संबंधित है। इसके अलावा नोट सं. 57 ने प्रावधानों के संचालन का प्रकटन किया है। योग्य संख्या 1 के आधार पर इस बात पर ध्यान दिलाया जाता है कि"से संबंधित शेष.... आपूर्तिकर्ता को अग्रिम ३३ अग्रिम बिक्री कर पर जीएसटी/डीवैट और कार्य अनुबंध पर टीडीएस के साथ–साथ उपरोक्त पर प्रावधान पुष्टि के अधीन हैं.. प्रबंधन के उत्तर के अनुसार, दोनों पर नीति का प्रकटन अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा, लेखापरीक्षक से अनुच्छेद हटाने का अनुरोध किया जाता है।

टिप्पणी सं.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर	सांविधिक लेखापरीक्षकों का उत्तर
#7/ ओबीएस–998855	**आय और व्यय खाता खर्च** **कर्मचारी लाभ व्यय (नोट 26) 1295.16 लाख रु.** उपरोक्त में, पीएओ, एनआईसी को देय अवकाश वेतन और पेंशन योगदान में 143.77 लाख रु. का योगदान शामिल है।एनआईसीएसआई ने पीएओ को दिए गए 99.87 लाख रु. के अतिरिक्त भुगतान को समायोजित कर 143.77 लाख रु. की गणना की, दिसंबर 2022 में लेनदृदेन लेखापरीक्षा के दौरान सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए मुद्दों के अनुपालन में एनआईसी ने पिछले वर्षों में। भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसारपूर्व अवधि की वस्तुओं को उस अवदि के शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है जिसमें पिछली अवधि से संबंधित गलती का पता चलता है और लाभ एवं हानि के विवरण में अलग से दिखाया जाता है ताकि वर्तमान पर प्रभाव पड़े। पूर्व अवधि की आय के रूप में99.87 रु. का हिसाब लगाने की बजाएइसे आय और व्यय खाते में अलग से दिखाया गया है, एनआईसीएसआई ने इसे कर्मचारी लाभ व्यय की चालू वर्ष की देनदारी से समायोजित किया है। इसके कारण पूर्व अवधि की आय 99.87 लाख रु. कम दर्शायी गई और कर्मचारी लाभ के व्यय को इतने से ही कम दिखाया गया।	यह आश्वासन दिया जाता है कि पिछली अवधि के आय और व्यय का प्रकटन करने के संबंध में दिए गए सुझाव के अनुपालन में भविष्य के वित्तीय विवरणों में सीएजी लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सावधानी बरती जाएगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर, लेखापरीक्षक से अनुच्छेद हटाने का अनुरोध किया जाता है।
# 8/ ओबीएस–998878	**नकद प्रवाह** **निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह** **एफडीआर में निवेश (20,891.96 लाख रु.)** निवेश गतिविधियों के संबंध में भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार, निवेश गतिविधियों से पैदा होने वाले नकद प्रवाह का अलग से प्रकटन महत्वपूर्ण है क्योंकि नकद प्रवाह उस सीमा को बताता है जिस सीमा तक भविष्य की आय और नकद प्रवाह पैदा करने के उद्देश्य से संसाधनों के लिए व्यय किया गया है। केवल वही व्यय जिसके परिणामस्वरूप तुलन पत्र में एक स्वीकृत परिसंपत्ति होती है, निवेश गतिविधियों के रूप में वर्गीकरण के योग्य है। तदनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणय अमूर्त और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किए गए नकद भुगतान और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणय अमूर्त और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की बिक्री से मिलने वाले नकद, का प्रकटन किए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि एनआईसीएसआई ने एफीआर में सकल निवेश के प्रभाव और वर्ष में इससे होने वाली आय को अलगदृ अलग दर्शाने की बजाए किए गए लेनदृदेन के शुद्ध प्रभाव को दर्शाया है। परिणामस्वरूप भारतीय लेखा मानक 7 में परिकल्पित आवश्यकताओं अनिवार्य प्रकटन के अनुरूप नहीं हैं।	कंपनी द्वारा वर्तमान प्रकटन पहले ही किया जा चुका है, पिछले वर्ष के लेखाबही में भी लगातार किया जाता रहा है। इसके अलावा, सकल आय और सकल निवेश को अलग–अलग प्रकटन के बजाय सावधि जमा से शुद्ध आय का प्रकटन करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसका निवेश गतिविधि से नकद प्रवाह पर कोई समग्र प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि नकदी प्रवाह विवरण की बेहतर प्रस्तुति हेतु सुझाए गए परिवर्तनों का अगले वर्ष के वित्त विवरण में निम्नानुसार प्रकटन किया जाएगारू सावधि जमा से आयः XXX सावधि जमा में निवेश : XXX निवेश गतिविधि से नकद प्रवाहः XXX उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, लेखापरीक्षक से अनुच्छेद हटाने का अनुरोध किया जाता है।

टिप्पणी सं.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर	सांविधिक लेखापरीक्षकों का उत्तर
#9 / ओबीएस– 1000495	**गैर–चालू संपत्तियां** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण 3878.61 लाख रु. (नोट 3) अन्य अमूर्त संपत्तियां 5329.49 लाख रु. (नोट 6)** उपरोक्त में सर्वर की जरूरतों के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए 2069.21 लाख रु. और 1043.52 लाख रु. की राशि शामिल है और एनआईसीएसआई इन संपत्तियों की शेल लाइफ 6 वर्ष मान रही है। अभिलेखों की जांच से पता चलता है कि दी गई संपत्ति सर्वर से संबंधित है और सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों एकीकृत वस्तुएं हैं एवं जिन वस्तुओं को 2069.21 लाख रु. की अमूर्त संपत्ति के रूप में दिखाया जा रहा है, में, सॉफ्टवेयर की कोई विशेष विशेषता नहीं है। इसके कारण 2069.21 लाख रु. की सीमा तक अमूर्त संपत्ति को अधिक बताया गया और इसी सीमा तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को कम कर के बताया गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ सर्वर केवल 5वर्षों के विषयाधीन होता है, इसे ध्यान में रखते हुए, हालाँकि एनआईसीएसआई उनके शेल लाइफ को 6 वर्ष मानते हुए उस पर मूल्यह्रास ले रही है। इसके कारण मूल्यह्रास में 149.26 लाख रु. की कमी और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में इतने ही रुपयों की वृद्धि दिखाई दे रही है।	उक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीति के अनुसार शुल्क लगाया गया था। मूल्यह्रास नीति का प्रकटन वित्तीय विवरणों में किया गया था, जो इस प्रकार हैः "पीपीई की वस्तुओं पर ह्रासित मूल्य विधि पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित दरों पर प्रदान किया गया है। निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के अनुरूप पीपीई की सभी वस्तुओं का उपयोगी जीवन निर्धारित किया है।" तदनुसार, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित 6 वर्ष की जीवन अवधि की नीति के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया था। 5 वर्ष की वारंटी अनुबंध के संदर्भ में, वारंटी और उपयोगी जीवन अलग– अलग हो सकते हैं, प्रबंधन ने अनुमान लगाया है कि सर्वर और हार्डवेयर का उपयोगी जीवन 6 वर्ष है। तदनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, लेखापरीक्षक से अनुच्छेद हटाने का अनुरोध किया जाता है।
#10/ ओबीएस– 1001747	**तुलन पत्र** **संपत्ति** **गैरदृ चालू संपत्ति** **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण– 3878.61लाख रु. (नोट सं.3)** लैपटॉप की खरीद (अनुलग्नक संलग्न) एम.ओ.एफ. के कार्यालय ज्ञापन (ड.व.थ. व्ड) दिनांक 20.02.2018 के अनुरूप की जा रही है जिसमें कहा गया है कि लैपटॉप पर सीधी रेखा पद्धति से 25% की दर से मूल्यह्रास शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, लैपटॉप के बचे हुए जीवनकाल या 10% मूल्य, जो भी अधिक हो, के भुगतान पर उपयोगकर्ता अधिकारी को अपने पास रखने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, यह पाया गया है कि सीधी रेखा पद्धित पर 25% मूल्यह्रास प्रभारित करने की बजाय एनआईसीएसआई उल्लिखित संपत्ति का शेल लाइफ 5 वर्ष मान रहा है और तदनुसार ह्रासित मूल्य पर मूल्यह्रास ले रहा है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास और लाभ और हानि खाता में 11.38 लाख रु. की कमी और इतने रुपये से संपत्ति को अधिक दिखाया गया है। तथ्यों और आंकड़ोंकी पुष्टि की जा सकती है और कृपया टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जा सकती हैं।	वर्तमान नीति के अनुसार लैपटॉप पर डब्ल्यूवीडी पद्धित पर 3 वर्ष की अवदि के लिए मूल्यह्रास प्रदान किया गया था, हालांकि वसूली एमओएफ ओएम के अनुसार की जाती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, लेखापरीक्षक से अनुच्छेद हटाने का अनुरोध किया जाता है।

टिप्पणी सं.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर	सांविधिक लेखापरीक्षकों का उत्तर
# 11/ ओबीएस–1002223	**तुलन पत्र** **वर्तमान देनदारियां** **अन्य वर्तमान देनदारियां (नोट 21) 199326.51 लाख रु.** ब्याज और देनदारियों के लिए 341.75 लाख रु. का प्रावधानइसे ब्याज और जुर्माने के लिए डीओटी द्वारा की गई मांग के प्रति आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। इनसैट प्रणाली का प्रयोग क वीसैट सेवा के प्रावधान के लिए डीओटी और एनआईसीएसआई के बीच लाइसेंस अनुबंध के अनुसार की गई मांग एक पुष्टिकृत देनदारी है। हालांकि, दी गई देनदारी के लिए आवश्यक प्रावदान करने की बजाए एनआईसीएसआई इसे आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखा रही है। इसके कारण अन्य वर्तमान देनदारियों को 341.75 लाख रु. से कम बताया गया है और इतने ही रु. लाभ एवं हानि खाते में अधिक दिखाए गए हैं।	एनआईसीएसआई ने डीओटी से जुर्माने एवं ब्याज की रकम माफ करने का अनुरोध किया है। एनआईसीएसआई को वित्त वर्ष 2023–24 में डीओसी से छूट की आशा है, तदनुसार इसे वित्त विवरण के तहत आकस्मिक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। अगर कोई अन्य घटना होती है तो उसका प्रकटन अगले वित्तीय विवरण में तदनुसार किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया अनुच्छेद को हटाया जाए।	प्रबंधन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, लेखापरीक्षक से अनुच्छेद हटाने का अनुरोध किया जाता है।

1. वित्त वर्ष के दौरान निपटाए गए आरटीआई मामलों का विवरण 2022–2 — आरटीआई, अपील और सीआईसी मामलों सहित कुल 112 मामले।
2. 31–03–2023 तक लंबित आरटीआई मामलों का विवरण। — प्रकरण जिनका निस्तारण दिनांक 31.03.2023 के बाद किया गया(निर्धारित समय सीमा के अन्दर)

BOARD OF DIRECTORS

(As on 31-03-2023)

Chairperson	:	Shri Amit Agrawal, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Shri Rajesh Singh, IAS, JS & FA, MeitY
		Shri Sushil Pal, IAS, JS, MeitY
		Shri S. K. Marwaha, Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Smt. Sunita Verma, Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Shri V. T. V Ramana, Scientist-G, NIC
		Shri Rajiv Rathi, Scientist-G, NIC
		Ms. Alka Misra, Scientist-G, NIC
		Dr. Ms. Suchitra Pyarelal, Scientist-G, & SIO (Assam), NIC
		Dr. Shubhag Chand, Scientist-G, NIC
		Shri Pramod Kumar Singh, Scientist G & SIO (Gujarat), NIC
		Dr. Vinay Thakur, MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. J. N. Mital & Co. Chartered Accountants, J-85, 2nd Floor, Gulati Complex Rajouri Garden, New Delhi-110027
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi, Canara Bank, Janpath Branch.
Pan No NICSI	:	AAACN2185J
GSTN No NICSI	:	07AAACN2185J1ZE
Website of NICSI	:	www.nicsi.com

BOARD OF DIRECTORS

(As on 30-09-2023)

Chairperson	:	Shri Bhuvnesh Kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Shri Rajesh Singh, IAS, JS & FA, MeitY
		Shri Sanket S. Bhandve, IAS, JS, MeitY
		Shri S. K. Marwaha, Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Smt. Sunita Verma, Scientist G and Group Coordinator, MeitY
		Shri V. T. V Ramana, Scientist-G, NIC
		Shri Rajiv Rathi, Scientist-G, NIC
		Ms. Alka Misra, Scientist-G, NIC
		Dr. Ms. Suchitra Pyarelal, Scientist-G, & SIO (Assam), NIC
		Dr. Shubhag Chand, Scientist-G, NIC
		Shri Pramod Kumar Singh, Scientist G & SIO (Gujarat), NIC
		Dr. Vinay Thakur, MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. J. N. Mital & Co. Chartered Accountants, J-85, 2nd Floor, Gulati Complex Rajouri Garden, New Delhi-110027
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi, Canara Bank, Janpath Branch.
Pan No NICSI	:	AAACN2185J
GSTN No NICSI	:	07AAACN2185J1ZE
Website of NICSI	:	www.nicsi.com

NOTICE
28th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) that its 28th Annual General Meeting is scheduled to be held on Thursday, 28th day of December, 2023, at 1:00 PM at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, to carry out the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and Statement of Cash Flow of the Company for the year ended 31st March, 2023, the Directors' Report along-with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, and
2. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2023-24 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny Jain)
Company Secretary
(M. No. A31700)

Place: New Delhi
Date: 13.12.2023

TO:

1. Director General, NIC – Member
2. Ms. Rachna Srivastava – Member
3. Shri R. S. Mani – Member
4. Ms. Alka Misra – Member
5. Shri Rajiv Rathi – Member
6. Shri Sunil Kumar – Member

Also:

1. Chairperson, NICSI
2. The Board of Directors of NICSI

And also:

1. M/s J N Mital & Co., Statutory Auditor, NICSI

Form No. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to Section 105(6) of the companies Act, 2013 and rule 19 (3)
of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:	U74899DL1995NPL072045
Name of the company:	National Informatics Centre Services Incorporated
Registered office:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, 15, NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.

Name of the member(s):
Registered address:
E-mail Id: dg@nic.in
Folio No/ Client Id:
DP ID:

I/We, being the member (s) of 199995 Shares of the above named company, hereby appoint

1. Name: .....

   Address: .....

   E-mail Id:.....

   Signature: , or failing him

2. Name: .....

   Address: .....

   E-mail Id:.....

   Signature:

As my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me / us and on my/our behalf at the 28th Annual General Meeting of the company, to be held on Thursday, 28th day of December, 2023, at 1:00 PM at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 and at any adjournment thereof in respect of such resolution as are indicated below:

Resolution No.	
1.	To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet, the Income and Expenditure Account and Statement of Cash Flow of the Company for the year ended 31st March, 2023, the Directors' Report along-with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, and
2.	To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2023-24 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

Signed this .....

Affix Re. 1 Revenue Stamp

Signature of shareholder

Signature of proxy holder(s)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Directors' Report

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty Eight Annual Report on the business and operations of National Informatics Centre Services Incorporated ("the Company") with the Audited Statement of Accounts and the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31st March 2023.

The Summarized Financial Results for the year ended 31st March 2023, as compared with the previous year 2022-23, are as under:

Financial Highlights

(Rupees in crores)

S. No.	Description	2022-23	2021-22
(A)	**Income:**		
1	Revenue from Operations	1604.18	1402.13
2	Other Income	97.69	75.51
	Total (A)	**1701.87**	**1477.64**
(B)	**Expenses:**		
1	Purchases of Stock-in-Trade	190.30	179.56
2	Services Support Expenses	1147.70	1082.83
3	Employees Benefits Expenses	12.95	9.64
4	Finance Cost	8.21	8.99
5	Depreciation and amortization expenses	72.92	65.97
6	Other Expenses	69.41	68.83
	Total (B)	**1501.51**	**1415.84**
	Income/(loss) before tax (A) – (B)	**200.36**	**61.79**
6	Tax expenses	50.58	15.62
7	**Income/(loss) for the year**	**149.77**	**46.17**

(1) Operating Margin

The Board of Directors in its 121st & 122nd meeting held on 26.03.2022 and 03.06.2022 respectively had approved the revised rates of NICSI's Operating Margin for all types of Projects / Services as under:

Project Value (Amount in Rs.)	Rate of Operating Margin
Up to 50 Crores	9%
More than 50 Crores and upto 100 Crores	7%
More than 100 Crores	5%

(2) Dividend

The Company is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 and as per the provisions of the Section, the Company is prohibited to pay any dividend to its members.

(3) Transfer to reserves

The Company has not transferred any amount to reserves i.e. General Reserve, Capital Reserve, Capital Redemption Reserve etc.

(4) Grading of NICSI By DPE

Financial Year	Grading by DPE as per MoU Composite Score based on Audited Data
2021-22	Good
2020-21	Exempted
2019-20	Good
2018-19	Poor
2017-18	Fair
2016-17	Excellent

(5) Ongoing Projects/Activities in F.Y.2022-23

5.1 National Knowledge Network (NKN Project)

Initiated in March, 2010, NKN Project is approved by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) for a period of 10 years at a cost of around Rs.5990 crore. NIC is the Implementing Agency for this project, while NICSI is assisting in procurement and providing IT Support. The Project is to establish high speed data communication network which would inter-connect institutions of higher learning and research to enable creation, acquisition and establishing of knowledge resources amongst them. It would also facilitate collaborative research, countrywide classrooms etc by commissioning links to the institutions connectivity to NIC District Centres, setting up Centres in the States/UTs. MeitY has extended the project for two year i.e. up to March 2022. During F.Y.2022-23, NICSI has received Rs.485 crore from MeitY for this project, with total fund received till 31.03.2023 being Rs.5,669 crore. However, amount of Rs.169.52 crore have been returned to MeitY. NKN Project has been further extended by MeitY by one more year i.e. up to March, 2024.

5.2 Integrated Road Accident Database (iRAD):

Today, "Road Safety" is one of the biggest public health issues throughout the country. Lakhs of lives are lost annually because of fatality due to road accidents. Road Safety is very important for a happy & healthy life, for an individual as well as that of the nation. Today road traffic injuries are one of the leading causes of deaths, disabilities & hospitalizations with severe socioeconomic costs across the world. The MoRTH, along with various related organizations as well as stakeholders (Police,Transport, Road-owning agencies, Health) has implemented a multi-pronged strategy to address the issue of Road Safety to achieve the below objectives:

- On-site accident data collection through mobile based software (by capturing GPS location from accident site)
- Black-spot (Accident-prone areas) identification
- Improvement of the Black spot (Accident-prone areas)

In this direction, NICSI has designed, developed & implemented a central repository, Integrated Road Accident Database (iRAD) project for reporting, management, claim processing, and analysis of all road accidents data to enhance road safety in the country. iRAD is currently implemented in all 36 states/ UTs.

(6) During F.Y. 2022-23, NICSI had received 2009 new projects for implementation from different Ministries/Departments.

(7) Business Divisions in NICSI

Products Business Division (PBD)

PBD aims to facilitate Productization, Standardization & Promotion of NIC/NICSI software applications at national & international market in South Asean, African, Latin American etc. MEA consent to be obtained for each foreign project. Cost to be flexible as its development is met out of NIC Budget.

Central of Excellence for Data Analytics (CEDA)

Kick starting & fast tracking adoption of advanced analytic /machine learning capabilities by making it locus of expertise & excellence in Data Analytics field. It would provide quality data analytic services to Government Departments at all levels by identifying appropriate tools, technologies, deploying people with right expertise & help in solving complex policy issues.

Cloud Services & Data Centre Business Division

NICSI is implementing Cloud services from NDCs at Shastri Park, Pune & Bhubaneswar. New division has been set up to ensure more efficient & effective management of existing Cloud services & for future.

(8) Highlights for F.Y. 2022-23 compared with activities in F.Y. 2021-22

8.1 Proforma Invoices (PIs) Details

(Rs. in Crore)

Service Type	F.Y. 2022-23		F.Y. 2021-22	
	Number of PIs issued	Total Amount of PIs	Number of PIs issued	Total Amount of PIs
Manpower	5142	1404.55	4064	785.06
Miscellaneous	2696	308.37	3130	562.75
Network	13	3.61	114	24.98
Roll Out	0	0	29	3.29
Security Audit	190	3.65	106	1.52
Website Development	158	105.58	189	70.19
e-Office	282	81.12	254	75.81
e-Granthalaya	374	3.24	240	0.84
Composite Head	810	1300.74	919	1153.58
Grand Total	**9665**	**3210.86**	**9045**	**2678.03**

8.2. Work Orders (WOs) Details.

(Rs. in Crore)

Service Type	F.Y. 2022-23		F.Y. 2021-22	
	Number of WOs issued	Total Amount of WOs	Number of WOs issued	Total Amount of WOs
Manpower	7560	1160.75	6679	851.76
Miscellaneous	708	196.64	69	14.78
Network	77	17.83	185	27.05
Roll Out	0	0	76	107.12
Security Audit	114	1.09	38	3.46
Website Development	135	81.71	108	1.40
e-Office	59	29.94	1505	94.75
e-Granthalaya	19	79.72	241	177.65
Composite Head	669	1082.10	230	145.49
Grand Total	**9341**	**2649.78**	**9131**	**1423.46**

8.3. Segment-wise break-up of new projects received

	Item	01.04.2022 to 31.03.2023	01.04.2021 to 31.03.2022
(i)	Hardware items	9	1
(ii)	Manpower	666	666
(iii)	Website / Software Development	112	122
(iv)	Network	4	8
(v)	General Projects (combined of Hardware, Software, Manpower etc.	302	786
(vi)	Other projects (SMS/BAS/e-Mail etc.)	915	375
	Total	**2008**	**1958**

8.4. Tenders

	Tenders Floated		
(i)	No. of Open Tenders	62	20
(ii)	No. of Limited Tenders	-	-
	Total	**62**	**20**

8.5. MoU's / Agreements

Entered into by NICSI with different Departments/Organizations.	83	73

(9) Manpower

As per the manpower profile approved by the government through notification in the Gazette of India dated 03.03.1998, manpower in NICSI will be on temporary rotational deputation basis along with their posts from NIC.

The total staff strength in NICSI from NIC as on 31st March 2023 was 38.

(10) Particulars of Employees

None of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

(11) Corporate Social Responsibility

NICSI's objective is to promote ICT Solutions and Technology and to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and prohibited to pay any dividend to its members.

The Board in its 99th Meeting held on 26th December, 2016 had constituted the CSR Committee, with the terms of reference as per below:

- To formulate and recommend to the Board, a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by NICSI as per the Companies Act, 2013;
- To review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities to be undertaken by the company;
- To monitor the CSR policy of the Company from time to time;
- Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the CSR Committee.

The quorum for the CSR Committee Meeting shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third be rounded off as one) or two members, whichever is higher.

The Board in its 125th Meeting held on December 13, 2022 had re-constituted the CSR Committee, comprising the following members:

Sr. No.	Name & Designation	Designation
1	Shri Sushil Pal, JS, MeitY*	Chairperson
2	Ms. Alka Misra, DDG, NIC**	Member
3	Shri Shubhag Chand, DDG, NIC	Member
4	Shri. V.T.V Ramana, DDG, NIC	Member

** Shri Sushil Pal, JS, MeitY was associated with the company till 23.08.2023.*

***Ms. Alka Misra, DDG, NIC was associated with the company till 30.09.2023.*

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and other provisions, as applicable, the amount to be incurred on CSR activities for F.Y. 2022-23 by NICSI works out to Rs.2.50 Crore.

The Company has made the provision of Rs. 2.50 Crore in the accounts for FY 2022-23 towards expenditure of CSR. As per direction of the Board of Directors in its 126th meeting held on 29.03.2023, NICSI had transferred the amount of Rs.2.50 Crore to Unspent Corporate Social Responsibility Bank Account as prescribed under the Companies Act, 2013, after that the same has been given/contributed to (i) Gram Vikas Trust, Gujrat (ii) Sant Ravidass Educational Society, New Delhi (iii) Rural Education & Welfare Society, New Delhi (iv) I-Hub Foundation for COBOTICS, IIT Delhi (v) Foundation for Innovation & Research in Science & Technology (FIRST), IIT, Kanpur and (vi) PM CARES Fund.

(12) Corporate Governance

Corporate Governance is an ethically driven business process that is committed to values aimed at enhancing an organization's brand and reputation. This is ensured by taking ethical business decisions and conducting business with a firm commitment to values. At NICSI, it is imperative that our company affairs are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2022-23:

Sr. No.	F.Y. 2020-21	Date	Venue
1.	122nd Board Meeting	03-06-2022	Conference Room No. 1007, 1st Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
2.	123th Board Meeting	28-07-2022	Conference Room No. 1007, 1st Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
3.	124th Board Meeting	29-11-2022	Conference Room No. 1007, 1st Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
4.	125th Board Meeting	13-12-2022	Conference Room No. 1007, 1st Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

Sr. No.	F.Y. 2020-21	Date	Venue
5.	126th Board Meeting	29-03-2023	Conference Room No. 1007, 1st Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
6.	27th Annual General Meeting	26-12-2022	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
7.	Extra Ordinary General Meeting	19-01-2023	Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

(13) Audit Committee

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. However, the Board of Directors in its 99th meeting held on 26th December, 2016, keeping in view of good governance practices, had constituted the Audit Committee in NICSI to review its Financial and Audit matters and ensure that NICSI follows prescribed financial rules and regulations. The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee.

The Audit Committee comprises the following members:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Shri Rajesh Singh, JS&FA, MeitY	Chairperson
2	Shri S. K. Marwaha, Scientist G & Group Coordinator, MeitY	Member
3	Ms. Sunita Verma, Scientist G & Group Coordinator, MeitY	Member
4	Ms. Alka Misra, DDG, NIC*	Member

**Ms. Alka Misra, DDG, NIC associated with the company till 30.09.2023.*

The 12th meeting of the Audit Committee was held on 21-08-2023 in which the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2023 were considered and recommended for submission to the Board of Directors and the Shareholders. The Board of Directors has approved the financial statement in their meeting held on 15.9.2023.

(14) Declaration by Independent Directors

The Company was not required to appoint Independent Directors under Section 149(4) and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 hence no declaration has been obtained.

(15) Company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute a Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

(16) Extract of the Annual Return in Form MGT-9

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Extract of Annual Return is placed at Annexure-I.

(17) Material Changes and Commitments affecting financial position between the end of financial year and date of the Board report

There have been no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

(18) Change in the nature of business

There is no change in the nature of business of the company.

(19) Annual Accounts for the Financial Year 2022-23 as per Ind AS

Annual Accounts for the Financial Year 2022-23 have been prepared as per Ind AS.

(20) The Conservation of Energy, Technological Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

The information on Conservation of Energy and Technological Absorption is NIL. Foreign Exchange earnings was NIL and outgo of the company during the year was also NIL.

(21) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186 of the Companies Act, 2013

During the year under review, the Company has not advanced any loans/given guarantees/made investments.

(22) Related Party Transactions

Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the form AOC-2 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

Related party transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business.

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: Nil

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis: Nil

(23) Significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

During the year under review there has been no such significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

(24) Subsidiary Company

As on March 31, 2023, the Company does not have any subsidiary.

(25) Auditors

M/s. J. N Mital & Co. (Firm Registration no. 003587N), Chartered Accountants, J-85, 2nd Floor, Gulati Complex, Rajouri Garden, New Delhi – 110027 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, to audit the accounts of NICSI for the year ended 31st March 2023.

(26) Directors' Responsibility Statement

Pursuant to the requirement under section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company hereby state that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

(27) Acknowledgement

The Board places on record its gratitude to acknowledge the cooperation, assistance and guidance extended to the Company by Central and State Government Ministries/Departments / Organizations and PSUs etc. including NIC and MeitY. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India and Auditors for their cooperation. The Board expresses its sincere gratitude to the members, bankers and clients for their continued support. The Board also wholeheartedly acknowledges with thanks the dedicated efforts of all the staff and employees of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place: New Delhi

Annexure-I

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2023

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U74899DL1995NPL072045
ii)	Registration Date	29.08.1995
iii)	Name of the Company	National Informatics Centre Services Incorporated
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Private Limited Section 25 (Now Section 8 Company) Company under National Informatics Centre, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.
v)	Address of the Registered office and contact details	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower,15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 Tel.: 91-11-26105054, 26105193
vi)	Whether listed company Yes / No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:

Sr. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
1	Sales of Traded Goods	-----	12.09
2	Service and other Income	-----	87.91

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSUDUARY/ ASSOCIATES	% of shares held	Applicable Section
1	NIL				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) **Indian**									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
c) State Govt (s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks / FI									
f) Any Other....									
Sub-total (A) (1)									
(2) **Foreign**									
a) NRIs -Individuals									
b) Other Individuals	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
c) Bodies Corp.									
d) Banks / FI									
e) Any Other....									
Sub-total (A) (2)									
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
B. Public Shareholding	**Not Applicable**								
1. Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
Others (specify)									
Sub-total (B)(1)									
2 .Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian									
ii) Overseas									

b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify) **Sub-total (B)(2)**	**Not Applicable**								
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	Not Applicable								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Not Applicable								
Grand Total (A+B+C)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	% Change in share holding during the year
1	President of India through NIC	200000	100	NIL	200000	100	NIL	NIL
	Total	**200000**	**100**	**NIL**	**200000**	**100**	**NIL**	**NIL**

(iii) Change in Promoters' Shareholding:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
1		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
2	At the beginning of the year	Not Applicable			
3	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying there as on for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
4	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	Not Applicable			
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the Year	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NIL			
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of ASQ the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	**Not Applicable**			
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction				

Net Change	**Not Applicable**
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	
Total (i+ii+iii)	

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

NICSI is promoted by Government of India through National Informatics Centre (NIC), as a Private Limited Section 25 Company (Now Section 8 Company). As per Article 59(i) of the Articles of Association of the company, the Managing Director shall be appointed by the Director General, NIC on behalf of the President of India by deputing suitable officer of NIC.

Sr.No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager		Total Amount (in Rs.)
		Shri Prashant Kumar Mittal*	**Dr. Vinay Thakur***	
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-Tax Act, 1961	Rs. 15 Lakh	Rs. 25.48 Lakhs	Rs. 40.48 Lakh
2	Stock Option		Not Applicable	
3	Sweat Equity			
4	Commission - as % of profit - others, specify...			
5	Others, please specify Total (A) Ceiling as per the Act			

** Shri Prashant Kumar Mittal associated with the company till 03.06.2022 and Dr. Vinay Thakur appointed as Managing Director on 13.08.2022.*

B. Remuneration to other directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount	
		-----	-----	-----	-----	
	1. Independent Directors • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable				
	Total (1)					

	2. Other Non-Executive Directors • Fee for attending board / committee Meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable
	Total (2)	
	Total (B)=(1+2)	
	Total Managerial Remuneration	
	Overall Ceiling as per the Act	

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sr. No.	**Particulars of Remuneration**	**Key Managerial Personnel Company Secretary**	
		Shri Sunny Jain	**Total**
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	Rs.12.79 Lakh	Rs.12.79 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify		

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
Penalty	**NIL**				
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	**NIL**				
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson
Place: New Delhi

The Annual Report on CSR activities

1. Brief outline on CSR Policy of the Company: **To spend on the CSR activities as per the provisions of the Companies Act, 2013 including Rules made there under.**

2. Composition of CSR Committee as on 31st March 2023:

S. N0	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of Meeting of CSR Committee held during the year	Number of Meeting of CSR Committee attended during the year
1	Shri Sushil Pal, JS, MeitY	Chairperson	1	1*
2	Ms. Alka Misra, DDG, NIC	Member	1	1
3	Shri Shubhag Chand, DDG, NIC	Member	1	1*
4	Shri. V. T. V Ramana, DDG, NIC	Member	1	1*

**Shri Sushil Pal, Shri Shubhag Chand and Shri. V.T.V Ramana has been nominated as member in CSR committee with the approval of Board of Directors in the 125th meeting held on December 13, 2022.*

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company. http:// www.nicsi.com

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable. Not Applicable

5. (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135. Rs 108.77 (Rs. In Crore)
   (b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135. Rs 2.50 (Rs. In Crore)
   (c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years. NIL
   (d) Amount required to be set-off for the financial year, if any. NIL
   (e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)]. Rs 2.50 (Rs. In Crore)

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project). NIL
   (b) Amount spent in Administrative Overheads. NIL
   (c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable. NIL
   (d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]. NIL
   (e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

#Amount of CSR spend after the ending of Financial Year 2022-23, and due to which the said amount has been transferred to a scheduled bank according to applicable provisions of the Companies Act, 2013 includes Rules made there under.

   (f) Excess amount for set-off, if any: NIL

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	

(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years: NIL

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	**Preceding Financial Year(s)**	**Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)**	**Amount Spent in the Financial Year (in Rs)**	**Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any**		**Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)**	**Deficiency, if any**
					Amount (in Rs)	**Date of Transfer**		
1	FY-1							
2	FY-2							
3	FY-3							

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: NO

Yes No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	**Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]**	**Pincode of the property or asset(s)**	**Date of creation**	**Amount of CSR amount spent**	**Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135: The Company has published the advertisement in the newspaper to call the application for CSR activities in the month of march and as per direction of the Board of Directors in its 126th meeting held on 29.03.2023, NICSI had transferred the amount of Rs.250.00 Lakh to unspent CSR Bank A/c as prescribed under the Companies Act 2013 after that the same has been contribution to (i) Gram Vikas Trust, Gujrat (ii) Sant Ravidass Educational Society, New Delhi (iii) Rural Education & Welfare Society, New Delhi (iv) I-Hub Foundation for COBOTICS, IIT Delhi (v) Foundation for Innovation & Research in Science & Technology (FIRST), IIT, Kanpur and (vi) PM CARES Fund.

Sd/-
(Managing Director).

Sd/-
(Chairman CSR Committee).

Form No. MGT-8

[Pursuant to section 92(2) of the Companies Act, 2013 and rule 11(2) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CERTIFICATE BY A COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

I have examined the registers, records and books and papers of **NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED**, a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 having CIN: U74899DL1995NPL072045 and registered office at Hall No 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066, India ("the Company") as required to be maintained under the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder for the financial year ended on March 31, 2023. In my opinion and to the best of my information and according to the examinations carried out by me and explanations furnished to me by the company, its officers and agents, I certify that:

A. The Annual Return states the facts as at the close of the aforesaid financial year correctly and adequately.

B. during the aforesaid financial year the Company has complied with provisions of the Act & Rules made there under in respect of:

1. Its status under the Act;

2. Maintenance of registers/records & making entries therein within the time prescribed therefor;

3. Filing of forms and returns as stated in the annual return, with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, the Tribunal, Court or other authorities within/beyond the prescribed time;

4. Calling/ convening/ holding meetings of Board of Directors as on **03-06-2022, 28-07-2022, 29-11-2022, 13-12-2022 & 29-03-2023 and its committees Meetings as on 24-03-2023 for Corporate Social Responsibility (CSR) Committee, 22-07-2022, 21-12-2023 & 28-03-2023 for Audit Committee and 22-03-2023 & 28-03-2023 Management Committee of the Board** and the meetings of the members of the company as on **26-12-2022 (Annual General Meeting) and 19-01-2023 (Extra-Ordinary General Meeting)** on due dates as stated in the annual return in respect of which meetings, proper notices were given and the proceedings including the circular resolutions and resolutions passed by postal ballot, if any, have been properly recorded in the Minute Book/registers maintained for the purpose and the same have been signed;

5. The Company was not required to close its Register of Members, during the financial year under review.

6. There was no Advance/ loan to Directors and /or persons or firm or Companies referred in Section 185 of the Act,

7. There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review;

8. There were no event of issue or allotment or transmission or buy back of securities/ redemption of preference shares or debentures/ alteration or reduction of share capital/ conversion of shares/ securities and issue of security certificates in all instances during the financial year ended as on 31st March, 2023.

9. Keeping in abeyance the rights to dividend, rights shares and bonus shares pending registration of transfer of shares in compliance with the provisions of the Act. **There was no such activity during the Financial Year 2022-23;**

10. Declaration/ payment of dividend; transfer of unpaid/ unclaimed dividend/other amounts as applicable to the Investor Education and Protection Fund in accordance with section 125 of the Act. **Not Applicable as Declaration/Payment of Dividend is prohibited under Section 8 (1)(C) of the Act.**

11. Signing of audited financial statement as per the provisions of section 134 of the Act and report of directors is as per sub - sections (3), (4) and (5) thereof;

12. The Company has complied with the provision of the Companies Act, 2013 with regard to appointment & cessation of Directors and remuneration paid to Directors & Key Managerial Personnel during the financial year;

    - Shri Prashant Kumar Mittal has retired from the post of Managing Director on 03-06-2022.
    - Shri I.P.S Sethi appointed as Managing Director (Additional Charge) from 04.06.2022 to 12.08.2022 and Dr. Vinay Thakur appointed as Managing Director on 13.08.2022.
    - Shri Anil Kumar Nayak has retired from Directorship on 16-06-2022 and Shri Rajesh Singh and Smt. Sunita Verma was appointed as Director on 16-06-2022.
    - Dr. Rajendra Kumar and Dr. Jaideep Mishra have retired from Directorship on 25-11-2022.
    - Shri Sunil Kumar, Shri Inder Pal Sethi and Shri Ajay Singh Chahal have retired from Directorship on 30-09-2022.
    - Shri V.T.V Ramana, Dr. Shubhag Chand and Shri Parmod Kumar appointed as Directors on 01-10-2022.
    - Shri Amit Agrawal and Shri Sushil Pal were appointed as Director on 25-11-2022.

13. Appointment of auditor as per the provisions of the Companies Act, 2013. M/s. J.N. Mittal & Co, (DE1010), Chartered Accountants, was appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, for the year ended 31st March 2023.

14. No approvals was required to be taken from the Central Government, Tribunal, Regional Director, Registrar, Court or such other authorities under the various provisions of the Act;

15. The Company had not accepted /renewed / repayment of deposits during the Financial Year 2022-23 as per the provisions of the Companies Act, 2013

16. The Company has not taken the Borrowings from its directors, members, public financial institutions, banks and others during the financial year under review,

17. The Company has not made any Loans and investments or guarantees given or providing of securities to other bodies corporate or persons falling under the provisions of section 186 of the Act;

18. The Company has altered the Article of Association for change in the composition of Board of Directors and constitution of Management Committee of the Board by way of passing of Special Resolution dated 19th Day of January, 2023 during the financial year under review;

Place: New Delhi
Date: 29.01.2024

for AGRAWAL MANISH KUMAR & CO
COMPANY SECRETARIES

Sd/-
MANISH KUMAR AGRAWAL
(Proprietor)
C.P. NO. 7057
Membership No: F-9528
UDIN : F009528E003323069

National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)

Addendum to the Directors Report for Financial Year 2022-23

Replies to the Draft Statutory Auditor Observation from M/s. J. N. Mital & Co. Chartered Accountants on the Accounts of NICSI for F.Y. 2022-23.

AUDIT OBSERVATION	NICSI REPLY
1. Basis for Qualified Opinion	
1.1 Balances relating to Trade Payables (Note 19), Trade Receivables (Note 10), Advances received from customers (Including Grants-in-aid project) (Note 21), Security deposits Payable (Note 18), and Advances to Suppliers (Note 9 & 15) Current Tax Assets and provision (note 14), GST on advances Sales tax/ DVAT and TDS on work contract as well as provision on above (Note 15), are subject to confirmation and/ or reconciliation as at the year end. The management is in the process of reconciling the same and is of the opinion that the impact, if any, would not be material. Impact on the income/ expenses and/ or assets/ liabilities consequent to such confirmations being obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up is presently not ascertainable at the year-end.	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2023. It is regular feature that such letters are issued to the Departments / Organisations etc. but very negligible response is received against the same as the most of our users are Government or Semi Government. NICSI has automated its ERP system towards the same.
1.2 Reference is invited to Note No. 21 of the financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 191704.27 lakhs. A review of individual accounts reveals numerous customers wherein balances have remained outstanding for more than 3 years as at the year-end. These advances, received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles. In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilized and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same to the customer based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being made available is presently not ascertainable.	NICSI receives Advances against Performa Invoices from the various Government Departments / Organisations / Public Sector Enterprises. After completion of the activities mentioned in those performa invoices, NICSI prepares the Partial/Final Settlement of Accounts, statement and send the same to the concerned user, to reimburse the amount against the balance expenditure, if any and to intimate the Bank details for refund of the unspent balances, if any therein. While some of the users provide the Bank details, in many cases these are not received and thus, the unspent amounts remain with NICSI. To deal with this NICSI has setup a cell to assist the project manager for debtors and creditor recovery, Cell exclusively deal with the outstanding debtors & creditors and other such related matters. NICSI has also initiated process of sharing Accounts Statements on monthly basis. However, for new projects, NICSI Board of Directors, in its 121st meeting held on 26.03.2022, while revising the rates of Operating Margin, had also approved to refund the interest earned by NICSI to the users on unspent amounts in all the projects (i.e. GIA or non-GIA) from time to time. This has been made effective from 01.07.2022 and accordingly NICSI has provided the interest on Non-GIA project in It Financial Statement for FY 2022-23 (refer Note no. 24).

1.3 The Company has not complied with IndAS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 in view of revenue on Sales of services being erroneously recognized at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii) and Note 2(xii)) instead of recognizing the same at the time of transfer of "control" i.e., on transfer of the promised service. Impact of the same together with the default under Rule 47 of the CGST Act on account of non-raising of the invoice within 30 days of completion of service on the reported income/ expense and Assets/Liabilities of the Company is presently not ascertainable.	As per NICSI Policy/ practice, it has been recognizing its revenue at the time of generation of Invoice towards Sale of Goods/Services. The company has duly complied with all the provisions and requirements of applicable Ind AS, while preparing the financials for F.Y. 2022-23 and as per matching concept on Revenue recognition.
1.4 The company has intimated that they have approximate 1900 vendors, Out of which only 45 Vendors have been identified as MSME vendors. Due to above the Interest on MSME calculated only on identified MSME Vendors. Further the same has been shown as Contingent liabilities amounting to Rs. 687.25 lakh, (instead of debited expenditure and creating liabilities), as management is of the view that same will be recoverable from user department in case where fund is available in the project for making payment to vendors. This has resulted in understatement of Expenditure as well as liabilities by Rs. 687.25 lakhs.	During the Financial Year NICSI has rigorously followed with its vendors to submit the MSME Certificate, so that the MSME classification and interest calculation can be done. However only 45 vendors had submitted the MSME certificate so far. Interest under MSME is calculated for these 45 vendors and disclosed in Contingent liability as same is recoverable from user department as the funds are not available in projects. Interest under MSME will be paid as & when any demand will be raised by the vendors, However No demand is pending under MSME Act.
2. Emphasis of Matter	
2.1 We draw attention to note No. 3, 4 & 45 whereby the conveyance / title deed in respect of the building at Bhikaji Cama Place, New Delhi (Rs. 931.50 lakhs) & unit no. A 300 Nauroji Nagar (Rs. 7812.05 lakhs) is pending for registration as at the year-end.	The Conveyance Deeds / Title Deeds towards the building at Bhikaji Cama Place had got registered on July 18, 2023 by NBCC in the name of NICSI. And for unit No. A-300 Tower A, 3rd floor World Trade Centre Nauroji Nagar. execution of the title deed in the name of NICSI is pending as building is under construction
3. Other matter	
3.1 The Company needs to strengthen the existing controls relating to the keeping the Record relating to Property Plant & Equipment, Its Physical Verification, Location, Written down value and its disposal, if any. Mapping of individual item, introducing controls whereby the individual items physically verified are mapped through their specific identification numbers with the corresponding PPE records.	Asset details are being maintained in prescribed register with proper details towards their issue / disposal etc. Also, Physical Verification of all Assets is being carried out by a 3 member Committee each for NICSI HQ. (including SP & LNDC) and its State Units at the close of each financial year. It has accordingly been done in F.Y. 2022-23 also.

3.2 Although the Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017, certain control weaknesses relating to the mapping of individual party balances and carry forward of opening balances, ageing schedule, getting statement of account directly from ERP, tracking of changes made in Statement of Accounts, Sales Register is not maintained properly as Goods and Services bifurcation is not proper because the figure in the financials for the respective goods and services is not matching with the sales register figures bifurcation wise (sales register is matched with financials on gross basis i.e., without bifurcation). GST on advance on goods is standing as such in balance sheet due to Pre-GST regime which is not adjusted till now. ERP need to be strengthened and identified based on the existing controls being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency.	NICSI had completely adopted the ERP Software w.e.f 01.07.2017 towards Accounts and other related fields. NICSI has got its ERP System validated from M/s Dr. CBS Cyber Security Services LLP. In its Report dated 06.07.2022 finalized by conducting the onsite Audit, the firm has observed that "the application is free from various functional errors as per business requirement. Further, the Audit of Oracle EBS Application Software & related IT Infrastructure shall be carried out at least once a year or at any significant upgradation of process/computer resource. Also, the Application must be updated to the latest version using strong encryption & authentication for additional security of user's personal data" NICSI is in the process to upgrade exiting support for ERP and would take appropriate action in this matter. However as suggested by the Auditor, changes in reports for balance and sales Register will be done in current Financial Year.
3.3 Company is not reviewing the EMD/ Security Deposit etc. due to which even EMD for more than 3 years are outstanding.	Company is regularly reviewing the EMD / Security Deposit and refund the same after getting the proper details from vendors like bank and request letter for refunds. However more effort will be made in current year for refund of old EMD/ security Deposits to vendors.
3.4 Company required to review its accounting policies as there are relating to Accounting of Insurance claim, accounting of scrap, lease policies etc, required to be included/ amended.	Accounting policies are reviewed by the company every year and changes in the same will be incorporated in financial statement. Policies for scarp, Lease or Insurance claim will be made / update in current year.
3.5 We have found that GST has not been charged on sale of Car & Computer. GST TDS receivable balances are pending as such pertaining to previous financial years. Tax recoverable balances pending as such (under the various heads of sales tax, TDS and income tax).	The Management is regularly reviewing Its old balance with the Sales Tax/Vat and provision has been provided for old outstanding recoverable as suggested by the CAG auditors. However in regards to GST on sale of car/computer the same will be deposited in current year.

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)
CIN: U74899DL1995NPL072045

Balance Sheet as at March 31, 2023

₹ in lakhs

Particulars	Note No	As at 31-03-2023	As at 31-03-2022
ASSETS			
Non-current assets			
Property, Plant and Equipment	3	3,878.61	2,336.88
Capital work-in-progress	4	8,297.21	-
Right of use assets	5	15,442.55	16,035.80
Other Intangible assets	6	5,329.49	6,275.10
Financial assets:			
Others Financial Assets	7	108.09	1,077.32
Deffered Tax Assets (Net)	8	4,060.91	3,578.62
Other non-current assets	9	1,597.34	8,644.57
Total Non-current assets		38,714.20	37,948.29
Current assets			
Financial assets:			
(a) Trade receivables	10	46,561.48	34,429.17
(b) Cash and cash equivalents	11	76,321.22	93,139.05
(c) Bank balances other than '(b)' above	12	1,35,651.57	1,14,759.60
(d) Others Financial Assets	13	4,623.05	2,832.51
Current Tax Assets (Net)	14	19,539.09	17,165.29
Other current assets	15	34,304.50	32,441.67
Total Current assets		3,17,000.91	2,94,767.29
Total Assets		**3,55,715.11**	**3,32,715.58**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Equity Share capital	16	200.00	200.00
Other Equity	17	89,023.88	73,986.10
Total Equity		**89,223.88**	**74,186.10**

₹ in lakhs

Particulars	Note No	As at 31-03-2023	As at 31-03-2022
Liabilities			
Non-current liabilities			
Financial Liabilities			
(a) Lease Liablity	36	14,664.87	14,623.62
(b) Other financial liabilities	18	64.76	59.46
Total Non-current liabilities		14,729.63	14,683.08
Current liabilities			
Financial liabilities:			
(a) Lease Liablity	36	2,843.11	3,219.74
(b) Trade payables	19		
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		6,847.30	8,491.68
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		41,289.99	35,590.04
(c) Other financial liabilities	20	1,426.72	1,261.16
Other current liabilities	21	1,99,326.51	1,95,209.26
Provisions	22	27.97	74.52
Total Current liabilities		**2,51,761.60**	**2,43,846.40**
Total Equity and Liabilities		**3,55,715.11**	**3,32,715.58**
Significant accounting policies	2		

The accompanying notes (1 - 63) are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

Sd/-
CA Rajendra Mittal
Partner
Membership No.084470
UDIN : 23084470BGXTUA4623

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Dr. Vinay Thakur
Managing Director
DIN: 09710675

Sd/-
Bhuvnesh Kumar
Chairman
DIN: 02780311

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Income and Expenditure Account for the year ended 31.03.2023

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2023	Year ended 31-03-2022
	INCOME			
I	Revenue From Operations	23	1,60,418.09	1,40,213.47
II	Other Income	24	9,769.37	7,551.07
III	**Total Income (I+II)**		**1,70,187.46**	**1,47,764.54**
IV	**EXPENSES**			
	Purchases of Stock-in-Trade	25	19,030.09	17,956.39
	Services Support Expenses		1,14,770.31	1,08,283.71
	Employee benefits expenses	26	1,295.16	964.22
	Finance Cost	27	821.71	899.26
	Depreciation and amortization expenses	28	7,292.90	6,597.29
	Other expenses	29	6,941.25	6,883.76
	Total Expenses (IV)		**1,50,151.42**	**1,41,584.63**
V	**Income/(loss) before tax (III-IV)**		20,036.04	6,179.91
VI	**Tax expense:**		**5,058.64**	**1,562.48**
	(1) Current tax		5,525.80	1,966.91
	(2) Deferred tax		(482.28)	(411.51)
	(3) Tax for Earlier Years adjusted/(Written back)		15.12	7.07
VII	**Income/ (Loss) for the year from continuing operations (V-VI)**		**14,977.40**	**4,617.43**

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2023	Year ended 31-03-2022
VIII	**Other Comprehensive Income**		-	-
IX	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Income/ (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)		**14,977.40**	**4,617.43**
X	**Earnings per equity share (Nominal value per share Rs.100):**			
	(1) Basic (in ₹)	30	7,488.70	2,308.72
	(2) Diluted (in ₹)	30	7,488.70	2,308.72

Significant Accounting Policies 2

The accompanying notes (1 - 63) are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

Sd/-
CA Rajendra Mittal
Partner
Membership No.084470
UDIN : 23084470BGXTUA4623

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Dr. Vinay Thakur
Managing Director
DIN: 09710675

Sd/-
Bhuvnesh Kumar
Chairman
DIN: 02780311

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)
CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2023

A. Equity share capital for issued, subscribed and paid up equity share of Re. 100/- each

₹ in lakhs

Particulars	Note	Amount
As at March 31, 2021	16	200.00
Changes during the year		-
As at March 31, 2022	16	200.00
Changes during the year		-
As at March 31, 2023	16	200.00

B. Other equity (Refer note 17)

₹ in lakhs

Particulars	Reserves and Surplus Retained earnings	Total other equity
As at March 31, 2021	69,368.67	69,368.67
Prior Period Income (Manpower)		-
Surplus/(Deficiency) for the year	4,617.43	4,617.43
As at March 31, 2022	**73,986.10**	**73,986.10**
Prior Period Adjustment for Lease Assets (Refer Note No. 36)	505.23	505.23
Prior Period Adjustment for Lease Liabliity (Refer Note No. 36)	(444.85)	(444.85)
Surplus/(Deficiency) for the year	14,977.40	14,977.40
Total Surplus for the year	15,037.78	15,037.78
As at March 31, 2023	**89,023.88**	**89,023.88**

As per our report of even date
For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

Sd/-
CA Rajendra Mittal
Partner
Membership No. 084470
UDIN : 23084470BGXTUA4623

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Dr. Vinay Thakur
Managing Director
DIN: 09710675

Sd/-
Bhuvnesh Kumar
Chairman
DIN: 02780311

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of Cash Flow for the year ended March 31, 2023

₹ in lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Cash Flow from Operating Activities		
Surplus /(Deficit) before tax and extraordinary items	**20,036.04**	**6,179.91**
Adjustments for:		
Depreciation and amortization Expenses	7,292.90	6,597.30
Provision for doubtful debts	1,233.75	741.00
Reversal of Stamp Duty Provision	(46.55)	-
Profit/(Loss) on sale of Property Plant & Equipment	(1.05)	(0.18)
Finance Cost	821.71	899.26
Interest income	(8,317.90)	(5,747.59)
Provision/(Recoverable) against Advances	37.66	(82.90)
Operating Surplus /(Deficit) before Working Capital changes (I)	**21,056.56**	**8,586.80**
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in trade receivables	(13,367.85)	(8,809.60)
(Increase) /Decrease in loans and advances and other assets	(5,761.61)	(14,264.12)
Increase/(Decrease) in trade payable & other liabilities	8,784.62	42,279.30
Cash Generated from Working Capital changes (II)	**(10,344.84)**	**19,205.58**
Cash Generated from Income Tax		
Income tax Paid	(5,043.52)	(1,966.91)
Income tax for Previous Years	(15.12)	(7.07)
Cash Generated from Income Tax (III)	**(5,058.64)**	**(1,973.98)**
Net Cash inflow/(outflow) from Operating activities (A) (I+II+III)	**5,653.08**	**25,818.40**
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	(5,262.74)	(1,876.35)
Investment in FDR	(20,891.96)	(10,403.72)
Sale of fixed assets	1.27	0.24
Interest received	6,812.48	6,551.33

Net Cash inflow/(outflow) from Investing activities (B)	**(19,340.95)**	**(5,728.50)**
Cash Flow from Financing Activities		
Interest paid	(821.71)	(899.26)
Payment of Principal portion of lease Liablity	(2,308.25)	(1,299.54)
Net Cash inflow/(outflow) from Financing activities (C)	**(3,129.96)**	**(2,198.80)**
Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	(16,817.83)	17,891.10
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	93,139.05	75,247.95
Cash and Cash Equivalents at the closing of the year	76,321.22	93,139.05

Notes

1) The above statement of cash flow has been prepared in the indirect method as said out in the Ind As -7," Satement of Cash Flows".
2) Cash and Bank Balances at the end of the year consist of Cash and Balances with Banks. The detail of these is as follows:

₹ in lakhs

Particulars	**As at March 31, 2023**	**As at March 31, 2022**
Cash and Cash Equivalents		
Balances with Banks	75,003.57	54,642.59
Imprest Account	0.14	0.50
Other Bank Balances		
Fixed Deposits	1,317.51	38,495.96
	76,321.22	**93,139.05**

3) Cash flow from Investing Activities (Investment in FDR) includes Fixed Deposit held as margin money deposits against guarantees amounting to Rs. 2167.33/- Lakhs (PY Rs.291.60/- Lakhs Refer Note No. 7 and Rs.2171.16/- Lakhs Refer Note 12)2)
4) The above Statement of Cash Fow includes Rs. 250.00 Lakhs (PY Rs. 112.00 Lakhs) towards CSR activities. Refer note no. 55.

As per our report of even date
For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

Sd/-
CA Rajendra Mittal
Partner
Membership No.084470
UDIN : 23084470BGXTUA4623

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Dr. Vinay Thakur
Managing Director
DIN: 09710675

Sd/-
Bhuvnesh Kumar
Chairman
DIN: 02780311

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Mahendra Pal
FA&CA

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2023

1. Corporate Information

National Informatics Centre Services Inc. ('The Corporation') was incorporated on August 29, 1995 under Section-25 of the Companies Act, 1956 (Now section 8 of Companies Act, 2013) under National Informatics Centre ('NIC'), Ministry of Electronics And Information Technology, Government of India. The Corporation is engaged to provide Total IT Solutions to the Government Ministries/Departments/Organizations.

The Financial Statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated 15 September 2023.

2. Significant Accounting Policies

i. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Accounting standards (herein after refer to 'Ind AS') as notified by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments).

The financial statements have been prepared on going concern basis in accordance with accounting principles generally accepted in India.

The financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is also the Company's functional currency. All amounts disclosed in the financial statements and notes have been rounded off to the nearest to lakh rupees as per the requirement of Schedule III, unless otherwise stated. Rounding of errors have been ignored.

ii. Current Vs Non-Current Classification of Assets & Liabilities:

An Asset is treated as Current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within 12 months after the reporting period;
- Cash or Cash Equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period..

All other assets are classified as Non-Current.

A Liability is treated as Current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;
- It is due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as Non-Current.

Deferred Tax Assets & Liabilities are classified as Non-Current Assets & Liabilities.

The Operating Cycle is the time between the acquisition of assets for processing & their realization in cash & cash equivalents. The Corporation has identified 12 months as its operating cycle.

iii. Property Plant & Equipment (PPE) & Depreciation

(a) Recognition and initial measurement

Property, plant and equipment are stated at their cost of acquisition. On transition to Ind-AS, the company had elected to measure all of its property, plant and equipment at the previous GAAP carrying value (deemed cost)

The cost comprises of purchase price, borrowing cost, if capitalization criteria are met and directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use. Any trade discount and rebate are deducted in arriving at the purchase price. Subsequent cost is included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the items will flow to the company. When significant parts of plant and machinery are required to be replaced at intervals, the company depreciates them separately based on their useful lives. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the plant and equipment are replacement if the recognition criteria is satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit or loss as incurred.

(b) Subsequent measurement (depreciation and useful life)

Depreciation on the items of PPE has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013.

The residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed at the end of each financial year.

(c) Derecognition

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset is derecognised. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Gains or losses arising from de-recognition of Property, plant and equipment are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit and loss when the asset is derecognized.

iv. Intangible Assets and Amortization

The intangible assets have been initially measured at costs. The intangibles assets have been subsequently measured at costs less accumulated amortization & accumulated impairment losses. The useful life of the intangible assets may be finite or infinite. Intangible assets with finite lives have been amortized over their useful economic life as per the Written Down Value Method. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of Income and Expenditure unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

As per companies act, costs relating to computer software and server are capitalized and amortized on straight line method over their estimated useful economic life of one year, three years, five years and six years respectively. Costs relating to ERP software are capitalized and amortized on straight line method over its estimated useful economic life of ten years..

v. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in following categories:

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

All financial liabilities are recognized at fair value on initial recognition. Transaction costs that are directly attributable to the issue of financial liabilities, that are not at fair value through income or loss are added to the fair value on initial recognition. After initial measurement, such financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the profit or loss.

Debt instruments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the P&L. On derecognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has not designated any debt instrument as at FVTPL.

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading and contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which Ind AS103 (Business Combinations) applies are classified as at FVTPL. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to P&L, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

De-recognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized when:

The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

The respective company has transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed the obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass- through' arrangement, and

Either the Company:

(a) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognise the transferred asset to the extent of the continuing involvement of Company. In that case, the Company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay.

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balances.

The company recognizes impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expense in the statement of profit and loss (P&L).

vi. Fair value measurement

The Company measures financial instruments, at fair value at each balance sheet date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

  The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy

At each reporting date, the management of the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be remeasured or re-assessed as per the accounting policies of the Company.

For assets and liabilities that are recognised in the Financial Statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

This note summarises the accounting policy for determination of fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes as following:

- Disclosures for significant estimates and assumptions
- Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy
- Financial instruments (including those carried at amortised cost)

vii. Revenue from contracts with customers

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised: -

Revenue in respect of sale of goods/service

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation & the revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the contractually defined terms of payment & excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue in respect of sale of goods/stock & sale items is recognized at the time of generation of invoice or at the time when controls of the goods have passed to the buyers, usually on delivery of the goods and proof of delivery. Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns & allowances, trade discounts & volume rebates.

Revenue in respect of sale of service is recognized at the time of generation of invoice or at the time when service completed to the buyers, usually on proof of service. Revenue from the sale of service is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

The Corporation recognizes operating margin at the slab rates prescribed from time to time depending upon the project costs. Usually the operating margin rates are inversely proportionate to the project costs i.e. higher the project costs, lower the operating margin rate. Any subsequent decrease in operating margin rate on account of an increase in project costs is accounted for by issuing corresponding credit notes at the year end or at the time of project closing. The Credit Notes so issued are netted off from the respective heads of income.

Revenues in excess of billing are classified as unbilled revenue while billing in excess of revenues are classified as contract liabilities

Interest income

For all debt instruments measured either at amortised cost or at fair value through other comprehensive income, interest income is recorded using the effective interest rate (EIR). EIR is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortised cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, the company estimates the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but does not consider the expected credit losses. Interest income is included in finance income in the statement of profit and loss.

viii. Advance for Grant- in- project from different Ministries/Departments of Government.

NICSI received advance for Sales of good and service from different Ministries/ Departments of Government. These transactions are normal trading transaction of the entity. Advance received for Ministries disclosure in the financial statements has been made separately under the head 'Other Current Liabilities' as 'Grant in Aid received from Customers', as these are normal trading transactions. These advances are utilized for the purposes of execution of respective projects and if there is balance available with NICSI at the close of the respective Project, the same is refunded to the Grantor Institution along with the interest (if any). All the grant in aid amounts are received for the Projects only.

NICSI implements various orders from the government departments/ organizations towards procurement of hardware/ software and providing manpower. It takes Operating Margin on the Total cost of each order, as per the rates approved by its Board of Directors from time to time. NICSI receives fund against those orders from the departments/ organizations as advances. No other form of government assistance is received by NICSI, from which it is directly benefited. There is no grant of monetary or non-monetary asset given to NICSI at concessional rate or free of cost.

NICSI fulfils all the terms & conditions attached to the administrative approvals/ sanctions towards release of grants-in-aid by the Ministries/ Departments.

ix. Inventories

The Cost of Inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventories (including inventory of software's) have been valued at cost or net realizable value, whichever is lower on the First-In-First-Out (FIFO) method. Consumable stores have been charged to revenue in the year of purchase, being negligible.

x. Retirement Benefits

As per arrangement with NIC, the amount towards leave salary and pension contribution are calculated on basic pay and grade pay of the respective employee based on the percentage prescribed by Government of India and passed on to NIC. The Company is not liable to pay any other retirement benefits to employees, which shall entirely be borne by NIC in future.

xi. Prior Period Items

Prior Period items are omissions/misstatements in an entity's earlier period financial statements, including balance sheet misclassifications. Ind AS 8 requires the rectification of prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved, after their discovery, by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. However, if such restatement is impracticable i.e. when an entity can't apply it after making every reasonable effort to do so, then Ind AS doesn't require restatement of such prior period items in comparatives of earlier periods.

xii. Events after the Reporting Period

The Corporation, has a cut-off date approved by Management every year upto which the invoices of the Vendors are submitted for the services rendered upto 31 March and accounted for accordingly as expenditure in previous year. Income realized till that date for the period upto 31st March is also accounted for in same financial year. Accordingly, matching concept is ensured in Accounts. Thus, expenses, towards invoices raised by the vendors after 31st March or actually received late in NICSI after that date, are booked in next year and corresponding income is also booked in next year, as all these invoices are received after the scheduled / last date of depositing of GST/ filling of GST returns for March.

Considering the above mentioned accounting matching concepts of expenses and income, GST Provisions & Income Tax Provisions, The Corporation to book the invoices from the vendors as per said cut-off date fixed by Management and as per the invoice date/ actual receipt date in view of type of business being executed by company.

The above booking should not exceed 0.25% of total revenue generated in respective financial year.

xiii. Leases

The company has applied Ind AS 116 using the modified retrospective approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under Ind AS 17.

As a lessee

The company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain re-measurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate (i.e. average interest rate of government bond -7.75%).

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

– Fixed payments, including in-substance fixed payments.

– Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;

– Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and

– The exercise price under a purchase option that the company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the company is reasonably certain not to terminate early.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The company presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property in 'property, plant and equipment' and lease liabilities in 'other financial liabilities' in the Balance Sheet.

Short-term leases and leases of low-value assets

The company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short term leases of real estate properties that have a lease term of 12 months. The company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease. Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term.

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Arrangements containing a lease have been evaluated as on the date of transition i.e. 1st April 2016 in accordance with Ind-AS

101 First-time Adoption of Indian Accounting Standards for classification as finance or operating lease as at the date of transition to Ind AS basis the facts and circumstances existing as at that date.

xiv. Income taxes

Current income tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in India.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Current income tax assets and liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off these.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

In situations where company is entitled to a tax holiday under the Income-tax Act, 1961, enacted in India, no deferred tax (asset or liability) is recognized in respect of temporary differences which reverse during the tax holiday period.

Deferred taxes in respect of temporary differences which reverse after the tax holiday period are recognized in the year in which the temporary differences originate.

However, the company restricts the recognition of deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in OCI or equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Minimum Alternate Tax

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

xv. Impairment of non-financial assets

The company assess, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the company estimate the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating units (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre -tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the Statement of Profit or Loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as an increase in revaluation.

xvi. Impairment of Financial Assets/Provision for Bad & Doubtful Debts

A Provision towards Doubtful Debts is recognized considering 100% for the period of more than 10 years, 50% between 5-10 years & 25% between 3-5 years as at the Balance sheet date.

xvii. Provision towards outstanding Advances to Suppliers

A provision is recognized towards outstanding advances to suppliers which are outstanding for more than three years as at the Balance Sheet date.

xviii. Earnings per equity share

Basic earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity shares are adjusted for the proceeds receivable had the equity shares been actually issued at fair value (i.e. the average market value of the outstanding equity shares). Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issue data later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

The number of equity shares and potentially dilutive equity shares are adjusted retrospectively for all periods presented for any share splits and bonus shares issues including for changes effected prior to the approval of the financial statements by the Board of Directors.

xix. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Long term provisions may be discounted to their present values at an appropriate risk adjusted discounted rate. Short term provisions are not required to be

discounted. The provisions are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Provisions are also required to be created in respect of constructive obligations. However, the Corporation was not having any constructive obligations in the reporting period.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

Contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the company. Contingent assets are disclosed in the financial statements when inflow of economic benefits is probable on the basis of judgement of management. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate.

xx. Cash and Cash-Equivalents

Cash and short-term deposits in the balance sheet comprise cash at banks and cash in hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents include bank overdrafts which form an integral part of Company's cash management.

2.1 Significant accounting judgements, estimates and assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements. Estimates and assumptions are continuously evaluated and are based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

In particular, the Company has identified the following areas where significant judgements, estimates and assumptions are required. Further information on each of these areas and how they impact the various accounting policies are described below and also in the relevant notes to the financial statements. Changes in estimates are accounted for prospectively.

Judgements

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

(a) Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators.

(b) Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

(c) Impairment of financial assets

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgments in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

Recognition of deferred tax assets – The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized.

2.2 Recent accounting pronouncements

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 31, 2023, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023, as below:

Ind AS 1, Presentation of Financial Statements

This amendment requires the entities to disclose their material accounting policies rather than their significant accounting policies. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and the impact of the amendment is insignificant in the financial statements.

Ind AS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

This amendment has introduced a definition of 'accounting estimates' and included amendments to Ind AS 8 to help entities distinguish changes in accounting policies from changes in accounting estimates. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and there is no impact on its financial statements.

Ind AS 12, Income Taxes

This amendment has narrowed the scope of the initial recognition exemption so that it does not apply to transactions that give rise to equal and offsetting temporary differences. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and there is no impact on its financial statements.

Note No. - 3 - Property, plant and equipment

₹ in Lakhs

Particulars	Buildings	Furniture and Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Total
Cost						
As at April 1, 2021	1,985.85	1,603.49	17.63	4,381.07	7,283.36	15,271.40
Additions	-	4.12	-	418.47	305.96	728.55
Disposals	-	-	-	-	0.06	0.06
As at March 31, 2022	**1,985.85**	**1,607.61**	**17.63**	**4,799.54**	**7,589.26**	**15,999.89**
Additions	-	4.84	-	269.20	2,434.92	2,708.96
Other Adjustment (Refer 2 below)	-	358.49	-	-	-	358.49
Disposals	**-**	**-**	**0.17**	**-**	**0.05**	**0.22**
As at March 31, 2023	1,985.85	1,970.94	17.46	5,068.74	10,024.13	19,067.12
Depreciation						
As at April 1, 2021	1,148.61	1,384.75	8.43	3,790.93	6,561.11	12,893.83
Depreciation charge for the year	40.96	53.96	2.34	361.53	310.39	769.18
As at March 31, 2022	1,189.57	1,438.71	10.77	4,152.46	6,871.50	13,663.01
Depreciation charge for the year	38.96	67.56	2.58	253.15	906.78	1,269.03
Others adjustment (Refer 2 below)	**-**	**256.47**	**-**	**-**	**-**	**256.47**
Disposals	-	-	-	-	-	-
As at March 31, 2023	**1,228.53**	**1,762.74**	**13.35**	**4,405.61**	**7,778.28**	**15,188.51**
Net book value :						
As at March 31, 2023	**757.32**	**208.20**	**4.11**	**663.13**	**2,245.85**	**3,878.61**
As at March 31, 2022	**796.28**	**168.90**	**6.86**	**647.08**	**717.76**	**2,336.88**

1. Refer the Note No. 38 for disclosure on Capital commitment for acquisition of Property Plant and Equipment.

2. During the period from FY 2017-18 "Furniture and Fixtures" to the tune of Rs. 358.49 Lakhs (Acumulated Depreciation with Rs. 256.47 Laksh upto 31.03.2022) was erroneously classified in the head "Other Intangible Assets". Since the depreciation on Furniture and Fixtures was correctly calculated in terms of the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013, the said regrouping/ restatement has not resulted in any financial impact. The same has been regrouped/restatement during the current financial year 2022-23 by way of "other adjustments"

Details of title deeds of immovable properties not held in name of the Company

₹ in Lakhs

Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/ director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Buildings	Hall No.. 2 &3. 6th Floor, 15 NBCC Tower, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110066	931.50	NBCC	NO	Since 2001 & 2003	Title Deed has been executed in the name of NICSI on dated July 18, 2023. **"Refer Note -45"**

Note No. - 4 - Capital work-in-progress

₹ in Lakhs

Particulars	Buildings at Nauroji Nagar	Development of Work Station at Shastri Park*	Renovation of 4 Nos Toilets Civil and Electric work at Shastri Park*	Total
As at March 31, 2021	-	-		-
Additions				-
Transfer to Fixed Assets				-
As at March 31, 2022	**-**	**-**		**-**
Additions	7,812.05	451.01	34.15	8,297.21
Transfer to Fixed Assets				
As at March 31, 2023	**7,812.05**	**451.01**	**34.15**	**8,297.21**

** The Development of work station at Shastri Park is being carried out in rental property of DMRC (Not owned by NICSI) .*

Capital work in progress (CWIP) Ageing Schedule

₹ in Lakhs

Particulars	Amount in CWIP for the a period of				Total
	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
March 31, 2023					
Buildings at Nauroji Nagar	7,812.05		-	-	7,812.05
Development of Work Station at Shastri Park	451.01				451.01
Renovation of 4 Nos Toilets Civil and Electric work at Shastri Park	34.15				34.15
As at March 31, 2023	**8,297.21**	**-**	**-**	**-**	**8,297.21**
March 31, 2022					
Buildings at Nauroji Nagar		-	-	-	-
Development of Work Station at Shastri Park					
As at March 31, 2022	-	-	-	-	-

Capital work in progress (CWIP) Completion Schedule

₹ in Lakhs

Particulars	Amount in CWIP for the a period of				Total
	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
March 31, 2023					
Buildings at Nauroji Nagar*	-		7,812.05	-	7,812.05
Development of Work Station at Shastri Park	451.01				451.01
Renovation of 4 Nos Toilets Civil and Electric work at Shastri Park	34.15				34.15
As at March 31, 2023	**485.16**	**-**	**7,812.05**	**-**	**8,297.21**
March 31, 2022					
Buildings at Nauroji Nagar	-	-	-	-	-
Development of Work Station at Shastri Park					
As at March 31, 2022	-	-	-	-	-

** Note on Buildings at Nauroji Nagar*

Details of title deeds of immovable properties not held in name of the Company

₹ in Lakhs

Relevant line item in the Balance Sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/ director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Buildings*	Unit No. A-300, Tower A, 3rd Floor, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi	7812.05	NBCC	NO	Since June 17, 2022, (Agreement of Sale Executed on June,17, 2022	Execution of Title Deed in the name of NICSI is pending as building is under Construction **"Refer Note -45"**

** Execution of Title Deed in the name of NICSI is pending, hence no Stamp Duty provision has been created.*

Note No. - 5 - Right of use assets

₹ in Lakhs

Particulars	Right of use assets	Total
As at March 31, 2021	**21,119.89**	**21,119.89**
Additions	1,081.98	1,081.98
Modification of Right		
Disposals		
As at March 31, 2022	**22,201.87**	**22,201.87**
Additions	1,528.02	1,528.02
Restatment of earlier Year (Refer Note No. 36)	5.23	5.23
Modification of Right	-	-
Disposals	-	-
As at March 31, 2023	**23,735.12**	**23,735.12**
Amortisation		
As at March 31, 2021	**3,892.70**	**3,892.70**
Amortisation charge for the year	2,273.37	2,273.37
Disposals		
As at March 31, 2022	**6,166.07**	**6,166.07**
Restatment of earlier Year (Refer Note No. 36)	(500.00)	(500.00)
Amortisation charge for the year	2,626.50	2,626.50
Disposals	-	-
As at March 31, 2023	**8,292.57**	**8,292.57**
Net book value :		
As at March 31, 2023	**15,442.55**	**15,442.55**
As at March 31, 2022	**16,035.80**	**16,035.80**

Note No. - 6 - Other Intangible assets

₹ in Lakhs

Particulars	Software	Total
Cost		
As at April 1, 2021	23,427.56	23,427.56
Additions	1,147.81	1,147.81
Disposals		-
As at March 31, 2022	**24,575.37**	**24,575.37**
Additions	2,553.78	2,553.78
Other Adjustment (Refer 2 below)	**(358.49)**	**(358.49)**
Disposals	-	-
As at March 31, 2023	**26,770.66**	**26,770.66**
Amortisation		
As at April 1, 2021	**14,745.53**	**14,745.53**

Particulars	Software	Total
Amortisation charge for the year	3,554.74	3,554.74
As at March 31, 2022	**18,300.27**	**18,300.27**
Amortisation charge for the year	**3,397.37**	**3,397.37**
Other Adjustment (Refer 2 below)	**(256.47)**	**(256.47)**
Disposals	**-**	**-**
As at March 31, 2023	**21,441.17**	**21,441.17**
Net book value :		
As at March 31, 2023	**5,329.49**	**5,329.49**
As at March 31, 2022	**6,275.10**	**6,275.10**

1. Refer the Note No. 38 for disclosure on Capital commitment for acquisition of Property Plant and Equipment.
2. During the period from FY 2017-18 "Furniture and Fixtures" to the tune of Rs. 358.49 Lakhs (Acumulated Depreciation with Rs. 256.47 Laksh upto 31.03.2022) was erroneously classified in the head "Other Intangible Assets". Since the depreciation on Furniture and Fixtures was correctly calculated in terms of the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013, the said regrouping/restatement has not resulted in any financial impact. The same has been regrouped/restatement during the current financial year 2022-23 by way of "other adjustments".

Note No. - 7 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Security Deposits		
Security Deposits	108.09	500.60
Fixed Deposits		
Fixed Deposit having maturity more than 12 months*	-	291.60
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured ut not due on deposit with banks.	**-**	**285.12**
Total	**108.09**	**1,077.32**

** Fixed Deposit with banks held as margin money deposits against guarantees.*

Note No. - 8 - Deffered Tax

The major components of income tax expense for the year.

A. Amount recognition in Income & Expenditure Account:

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
(i) Charged in Income and Expenditure Account		
Current income tax charge	5,525.80	1,966.91
Adjustments in respect of current income tax of previous year	15.12	7.07
Deferred tax:		
Relating to origination and reversal of temporary differences	**(482.28)**	**(411.51)**
Income tax expense reported in the Income and Expenditure Account	5,058.64	1,562.47
(ii) Other Comprehensive Income (OCI) Section		
Deferred tax related to items recognised in OCI during the year:	-	-
Total	**5,058.64**	**1,562.47**

B. Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for FY ended 31 March 2022 and 31 March 2023:

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Accounting Income before tax from continuing operations	20,036.04	6,179.91
Income before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting Income before income tax	20,036.04	6,179.91
At India's statutory income tax rate of 25.168% (31 March 2023: 25.168%)	5,042.67	1,555.35
Adjustments in respect of current income tax of previous years	15.12	7.07
Government grants exempted from tax		-
Other Difference	**-**	
Due to Change in income tax Rate	-	0.05
Other Assets	7.71	**-**
Non- Chargiable Income for tax purpose	(11.72)	
Non-deductible expenses for tax purposes	4.86	-
At the effective income tax rate of 25.248% (31 March 2022: 25.283%)	5,058.64	1,562.47
Income tax expense reported in income and expenditure account	5,058.64	1,562.47
Income tax attributable to a discontinued operation	**-**	**-**
Total	**5,058.64**	**1,562.47**

Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, provides an option to companies for paying income tax at reduced rates in accordance with the provisions/conditions defined in the said section and accordingly, the Company has decided to adopt the new tax rate and recognised provision for income tax on the basis of the rate prescribed in the said section and remeasured its deferred tax assets/liabilities accordingly as on March 31, 2023.

C. Deferred tax :

Deferred tax relates to the following:

₹ in Lakhs

Particulars	Balance sheet		Statement of Income & Expenditure	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Accelerated depreciation for tax purposes	129.94	173.68	43.75	9.34
Provision for Doubtful Debts and Advances to Suppliers and Stamp Duty	2,880.09	2,553.06	(327.03)	(165.63)
Expense disallowed in Current Year Allowable in Subsequent Financial Year	63.66	29.43	(34.23)	(17.93)
Right to use assets net of Lease Liabilities	987.22	822.45	(164.77)	(237.29)
Deferred tax expense/(income)				
Net deferred tax assets/(liabilities)	**4,060.91**	**3,578.62**	**(482.28)**	**(411.51)**

Reflected in the balance sheet as follows:

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Deferred tax assets	4,060.91	3,578.62
Deferred tax liabilities		-
Deferred tax Assets/(liabilities), net	**4,060.91**	**3,578.62**

Note No. - 9 - Other Non-Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Unsecured, considered good		
To parties other than related parties		
a) Capital Advances*	99.68	7,439.80
b) Advances other than capital advances;		
-Advances to Suppliers**	1,497.66	1,204.77
Total	**1,597.34**	**8,644.57**

**Capital Advances includes advance for work at shastri Park for Rs. 99.68/- Lakhs (PY Rs. 482.12/- Lakhs) and for Naruroji Nagar for office space at World Trade Tower Rs. NIL (PY Rs. 6957.68 Lakhs for Nauroji Nagar Buidling which has been include in CWIP in current Year.*

*** During the Year 2021-22 an Amount of Rs. 100.00/- Lakhs wrongly Classifed in Advance to Supplier and Rs. 382.12 Lakhs was classifed to Advance to Suppl,ier Non Currenmt instead of Capital Advance, Now same have been reclassifed to Capital Advance in Previous year Notes.*

Note No. - 10 - Trade Receivables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
To parties other than related parties		
Unsecured, considered good	46,561.48	34,429.17
Unsecured, considered doubtful*	10,483.50	9,249.75
Less: Provision for doubtful debts	(10,483.50)	(9,249.75)
Total	**46,561.48**	**34,429.17**

Ageing schedule of Trade Receivables

₹ in Lakhs

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment						Total
	Not Due	Less than 6 months	6 months - 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
As at March 31, 2023							
Undisputed Trade receivables – considered good		19,141.61	3,171.98	2,122.81	5,124.13	5,210.50	34,771.03
Undisputed Trade Receivables – considered doubtful		-	-	-	-	10,483.50	10,483.50
Less : Allowance for doubtful trade receivables		-	-	-	-	(10,483.50)	(10,483.50)
Unbilled Trade receivables considered good	11,790.45						11,790.45
	11,790.45	19,141.61	3,171.98	2,122.81	5,124.13	5,210.50	46,561.48
As at March 31, 2022							
Undisputed Trade receivables – considered good		6,115.79	5,059.00	6,529.00	4,743.00	2,543.25	24,990.04
Undisputed Trade Receivables – considered doubtful						9,249.75	9,249.75
Less : Allowance for doubtful trade receivables						(9,249.75)	(9,249.75)
"Unbilled Trade receivables considered good"	9,439.13						9,439.13
	9,439.13	6,115.79	5,059.00	6,529.00	4,743.00	2,543.25	34,429.17

** Provision for Doubtful Debts amounting to Rs. 9249.75 Lakh of F Y 2021-22 has been reversed during FY 2022-23. Further, during FY 2022-23 provision for doubtful debts has been made for Rs.10483.50 lakh (instead of @ 5% of total outstanding for more than 3 years as on Balance Sheet date) refer Note No. 52.*

Note No. - 11 - Cash and Cash Equivalents

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Balances with banks		
Saving Account	75,003.57	54,642.59
Others		
Imprest Account	0.14	0.50
Fixed Deposit (original maturity less than 3 months)*	1,317.51	38,495.96
Total	**76,321.22**	**93,139.05**

**Includes Bank Balances of Sweep Deposit Accounts.*

Note No. - 12 - Bank Balances other than above

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Fixed Deposit	1,33,484.24	1,12,588.44
Fixed Deposit held as margin money		
-Fixed Deposit (original maturity more than 12 months)	291.60	-
-Fixed Deposit (original maturity upto 12 Month)	1,875.73	2,171.16
Total	**1,35,651.57**	**1,14,759.60**

Note No. - 13 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	4,623.05	2,832.51
Total	**4,623.05**	**2,832.51**

Note No. - 14 - Current Tax Assets (Net)

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Income tax paid (Net of provision Rs. 5525.80 Lakhs (Previous Year Rs.1966.91 Lakhs)	21,374.97	19,001.17
Less: -		
Provision for Income Tax (Refund Not Received)	(1,835.88)	(1,835.88)
(See Notes to Accounts No. 56)		
Total	**19,539.09**	**17,165.29**

Note No. - 15 - Other Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Other than Capital Advance		
Advances to Employees		
Unsecured, considered good	35.81	31.96
Total (A)	**35.81**	**31.96**
Other advances		
Unsecured, considered good		
GST on Advances and Others	29,845.49	30,839.78
Prepaid expenses	3.17	149.41
Total (B)	**29,848.66**	**30,989.19**
Unsecured, considered Doubtful		
Sales Tax/DVAT & TDS on Work Contract Recoverable*	120.45	120.45
Less: -		
Provision for Sales Tax/ VAT (Not refunded back)	(117.91)	(117.91)
Provision for TDS on WCT (Not refunded back)	(2.54)	(2.54)
(See Notes to Accounts No. 56)		
Total (C)	0.00	0.00

Unsecured, considered good		
Advances to Suppliers*	4,420.03	1,420.52
Unsecured, considered Doubtful		
Advances to Suppliers	931.98	894.32
Less: -		
Provision for Advances to Suppliers (not adjusted/settled)	(931.98)	(894.32)
(See Notes to Accounts No. 54)		
Total (D)	**4,420.03**	**1,420.52**
GRAND Total (A+B+C+D)	**34,304.50**	**32,441.67**

** During the Year 2021-22 an Amount of Rs. 100.00/- lakh wrongly Classifed in Advance to Supplier Instead of Capital Advance, Now same have been reclassifed to Capital Advance.*

Note No. - 16 - Equity Share Capital

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Authorised		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
Issued, subscribed and fully paid-up		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
TOTAL	**200.00**	**200.00**

a. Shareholders holding more than 5% share in the company* : -

Name of Shareholder	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	No. of Equity shares held	Percentage (%)	No. of Equity shares held	Percentage (%)
President of India through DG, NIC	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
Smt. Rachna Srivastava	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Nagesh Shastry	-	-	1	0.0005
Sh, Deepak Chandra Misra	-	-	1	0.0005
Sh. Vishnu Chandra	-	-	1	0.0005
Sh. R S Mani	1	0.0005	1	0.0005
Ms. Alka Misra	1	0.0005	-	-
Shri Sunil Kumar	1	0.0005	-	-
Shri Rajiv Rathi	1	0.0005	-	-
Total	**2,00,000**	**100**	**2,00,000**	**100**

** The information of Shareholding has been given of all shareholders irrespective of holding more than 5% shares due to held on behalf of Government of India.*

b. Reconciliation of the paid up shares outstanding at the beginning and end of the reporting year

₹ in Lakhs

Particluars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	Number	Amount	Number	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
Add: - Shares Issued/ (buy back) during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

c. Rights, Preference and Restriction attached to equity shares

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

d. Over the period of five years immediately preceding March 31, 2023, neither any bonus shares were issued nor any shares were allotted for consideration other than cash. Further, no shares were brought back during the said period.

e. Shareholding of promoters

Promoter name	Shares held at March 31, 2023		Percentage change during the year ended March 31, 2023
	No. of shares	% of total shares	
President of India through DG, NIC and Others	2,00,000	100	-

Note – 17 - Other Equity

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Surplus as per Income and Expenditure Account		
Opening balance	73,986.10	69,368.67
Prior Period Adjustment for Lease Assets (Refer Note No. 36)	505.23	-
Prior Period Adjustment for Lease Liabliity (Refer Note No. 36)	(444.85)	-
Add: - Surplus/(Deficiency) for the year	14,977.40	4,617.43
Total	**89,023.88**	**73,986.10**

** Refer Note no. 45*

Note – 18 - Other Financial Liabilities (Non-Current)

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Security Deposits Payable	64.76	59.46
Total	**64.76**	**59.46**

Note – 19 - Trade Payables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Trade Payables		
- Due to Micro and Small Enterprises*	6,847.30	8,491.68
- Other than Micro and Small Enterprises	41,289.99	35,590.04
Total	**48,137.29**	**44,081.72**

** Refer Note No. 46*

Ageing Schedule of Trade Payable

₹ in Lakhs

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Not Due	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
As at March 31, 2023						
Micro, small and medium enterprises	-	5,032.81	944.84	344.19	525.46	6,847.30
Others	-	16,109.86	3,827.06	2,232.82	6,662.51	28,832.25
Disputed dues Micro, small and medium enterprises	-	-	-	-	-	-
Disputed dues Others	-	819.76	-	61.80	31.69	913.25
Unbilled Trade Payable	11,544.49	-	-	-	-	11,544.49
	11,544.49	**21,962.43**	**4,771.90**	**2,638.81**	**7,219.66**	**48,137.29**
As at March 31, 2022		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Micro, small and medium enterprises	-	8,419.36	70.85	1.10	0.37	8,491.68
Others	-	18,785.73	357.29	650.88	3,234.18	23,028.07
Disputed dues Micro, small and medium enterprises	-	-	-	-	-	-
Disputed dues Others	-	2,623.21	61.39	11.58	407.13	3,103.30
Unbilled Trade Payable	9,458.67	-	-	-	-	9,458.67
	9,458.67	**29,828.30**	**489.53**	**663.56**	**3,641.68**	**44,081.72**

Note No. - 20 - Other Financial Liabilities (Current)

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Earnest Money Deposit Payable	635.36	675.36
Employee Benefits Payable	270.24	251.10
Expenses Payable	34.47	85.33
Retention Money *	248.40	249.37
Project Liabliity for CNA Account	238.25	-
Total	**1,426.72**	**1,261.16**

* Retention from vendor against performance bank guarantee.

Note No. - 21 - Other Current Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Advances received from customers	1,91,704.27	1,65,660.32
Others		
Grants-in-Aid received from customers	5,633.22	26,791.68
Statutory Dues and Taxes	1,739.02	2,645.26
Corporate Social Responsibilities	250.00	112.00
Total	**1,99,326.51**	**1,95,209.26**

Note No. - 22 - Provisions

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Provision for Stamp Duty (Note No. 45)	27.97	74.52
Total	**27.97**	**74.52**

Note No. - 23 - Revenue From Operations

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Revenue from operations		
Sale of Traded Goods	19,396.53	17,420.15
Service Income*	1,40,212.26	1,22,143.31
Total (A)	**1,59,608.79**	**1,39,563.46**
Other Operating Revenue		
Administrative Charges	809.30	650.01
Total (B)	**809.30**	**650.01**
Total Revenue from operations (A)+(B)	**1,60,418.09**	**1,40,213.47**

*Provison for Unbilled Revenue amounting to Rs. 9439.13 lakh of FY 2021-22 has been reversed during FY 2022-23 provision for Unbilled Revenue has been made for Rs.11790.45 Lakh under the head Service income.

Note No. - 24 - Other Income

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Interest Income*	8,898.44	6,023.66
Less: -		
Interest on Grants-in-Aid Projects (other than NKN)	236.82	267.10
Interest on NKN Projects (Grants-in-Aid)	8.72	8.97
Interest on Non- GIA Projects	335.01	-
Other non-operating income	1,404.93	1,720.58
Provision for Stamp Duty (Refer Note No.45)	46.55	-
Advances to Suppliers (not adjusted/settled) (Refer Note No. 54)	**-**	**82.90**
	9,769.37	**7,551.07**

Note No. - 25 - Purchases

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Purchases: -		
Hardware	15,827.91	7,376.73
Software	3,202.18	10,579.66
Total	**19,030.09**	**17,956.39**

Note No. - 26 - Employee Benefits Expense

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
Salaries and incentives	1,260.17	942.69
Staff Welfare	34.99	21.53
Total	**1,295.16**	**964.22**

Note No. - 27 - Finance Cost

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Interest Expenses on Unbinding of Lease Liability	821.71	899.26
Total	**821.71**	**899.26**

Note No. - 28 - Depreciation and amortization Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Property, plant and equipment (Refer Note No. 3)	1,269.03	769.18
Right of use assets (Refer Note No. 5)	2,626.50	2,273.37
Other Intangible assets (Refer Note No. 6)	3,397.37	3,554.74
Total	**7,292.90**	**6,597.29**

Note No. - 29 Other Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
Auditor Remuneration (Reference Note No. 40)	9.76	10.04
Bank Charges	6.69	4.57
Books & Periodicals	1.05	2.95
Business Promotion	2.27	0.92
GST (Non-Cenvatable)	49.03	47.79
Conference Seminar W/Shop Expenses	235.24	19.46
Consumable Stores	49.59	43.03
Conveyance Expenses	3.65	8.07
Corporate Social Responsibilities Expenses	250.00	112.00
Diesel for D.G. Set	39.18	1.60
Provision for Doubtful Debts (Refer Note No. 53)	1,233.75	741.00
Advances to Suppliers (not adjusted/settled) (Refer Note No. 54)	37.66	-
Electricity & Water Charges	996.56	948.99
Hire Charges	4.86	5.25
House Keeping & Cleaning Charges	318.00	394.02
House Lease Charges	-	0.94
Membership & Subscription Charges	1.09	1.09
Miscelleneous Expenses	46.21	70.58
Office Expenses	2,034.93	2,761.16
Office Rent	122.42	374.38
Printing & Stationery	4.67	2.06
Professional & Consultancy Charges	487.42	475.73
Rent Rates & Taxes	9.78	9.99
Repairs & Maintenance	493.12	445.70
Taxi Hire Charges	263.89	283.34
Telephone Expenses	43.26	51.06
Travelling Expenses	195.17	65.88
Vehicle - Expenses	2.00	2.16
Total	**6,941.25**	**6,883.76**

Note No. - 30 - Earning per Share

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
Earning per share		
Surplus attributable to Equity shareholders	14,977.40	4,617.43
Weighted average number of equity shares	2,00,000.00	2,00,000.00
Basic earning per share (A/B) (in ₹)	**7,488.70**	**2,308.72**
Diluted earning per share (A/B) (in ₹)	**7,488.70**	**2,308.72**
Face value per share	100.00	100.00

Note No. - 31 - Fair values measurements

(i) Financial instruments by category

₹ in Lakhs

Particulars	As at 31 March 2023		As at 31 March 2022	
	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost
Financial assets				
Trade receivables	-	46,561.48	-	34,429.17
Cash and cash equivalents	-	76,321.22	-	93,139.05
Other bank balances	-	1,35,651.57	-	1,14,759.60
Interest Accrued (current)	-	4,623.05	-	2,832.51
Security deposits	-	108.09	-	500.60
Fixed deposits	-	-	-	291.60
Interest Accrued (non-current)	-	-	-	285.12
Total financial assets	**-**	**2,63,265.41**	**-**	**2,46,237.65**
Financial liabilities				
Trade payables	-	48,137.29	-	44,081.72
Other financial liabilities (current)	-	4,269.83	-	4,480.90
Other financial liabilities (non-current)	-	14,729.63	-	14,683.08
Total financial liabilities	**-**	**67,136.75**	**-**	**63,245.70**

(ii) Fair value hierarchy

All financial instruments for which fair value is recognised or disclosed are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is insignificant to the fair value measurements as a whole.

Level 1 : quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : valuation techniques for which the lowest level inputs that has a significant effect on the fair value measurement are observable, either directly or indirectly.

Level 3 : valuation techniques for which the lowest level input which has a significant effect on fair value measurement is not based on observable market data.

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities, other than those whose fair values are close approximations of their carrying values.

There have been no transfers between Level 1, Level 2 and Level 3 during the year.

For cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables and other financial liabilities the management assessed that their fair value is approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

The fair values of the Company's long-term interest free security deposits are determined by applying discounted cash flows ('DCF') method, using discount rate that reflects the market borrowing rate as at the end of the reporting period. They are classified as level 3 fair values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk. .

Note No. -32 - Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise trade payables, security deposits, earnest money deposits and employee liabilities. The Company's principal financial assets include trade receivables, security deposits, fixed deposits, cash and bank balances that derive directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's management oversees the management of these risks. The Company's senior management is supported by the Board of Directors that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. The board provides assurance to the Company's management that the Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below..

I. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk. Financial instruments affected by market risk include fixed deposits..

A. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's investment in fixed deposits with banks. The company's fixed deposits are carried at fixed rate. Therefore not subject to interest rate risk as defined in Ind AS 107, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

B. Foreign currency sensitivity

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in exchange rates. Foreign currency risk senstivity is the impact on the Company's profit before tax is due to changes in the fair value of monetary assets and liabilities. The company is not exposed to foreign currency risk as it does not have any foreign currency monetary assets and liabilities.

II. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty fails to discharge its obligation to the Company. The Company's exposure to credit risk is influenced mainly by cash and cash equivalents, trade receivables and financial assets measured at amortised cost. The Company continuously monitors defaults of customers and other counterparties and incorporates this information into its credit risk controls.

Credit risk management

The Company provides for expected credit loss based on the following:

Credit risk	Basis of categorisation	Provision for expected credit loss
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank balances	12 month expected credit loss
Moderate credit risk	Trade receivables and other financial assets	Life time expected credit loss or 12 month expected credit loss

Based on business environment in which the Company operates, a default on a financial asset is considered when the counter party fails to make payments within the agreed time period as per contract. Loss rates reflecting defaults are based on actual credit loss experience and considering differences between current and historical economic conditions. Assets are written off when there is no reasonable expectation of recovery, such as a debtor declaring bankruptcy or a litigation decided against the Company. The Company continues to engage with parties whose balances are written off and attempts to enforce repayment. Recoveries made are recognised in the Income and Expenditure Accounts.

₹ in Lakhs

Credit rating	Particulars	As at 31 March 2023	As at 31 March 2022
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank balances	2,16,595.83	2,11,307.89
Moderate credit risk	Trade receivables, Loan and other financial assets	46,669.57	34,929.77

Concentration of trade receivables

Trade receivables consist of a large number of customers spread across various states in India with no significant concentration of credit risk.

Credit risk exposure Provision for expected credit losses The Company provides for 12 month expected credit losses for following financial assets –

₹ in Lakhs

Particulars	Gross carrying amount	Expected credit losses	Credit losses
As at 31 March 2023			
Trade Receivables	57,044.98	(10,483.50)	46,561.48
As at 31 March 2022			
Trade Receivables	43,678.92	(9,249.75)	34,429.17

Reconciliation of loss provision – lifetime expected credit losses

₹ in Lakhs

Reconciliation of loss allowance	Trade Receivables
Loss allowance As at March 31, 2021	**8,435.35**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	814.40
Amounts written off	
Loss allowance As at March 31, 2022	**9,249.75**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	1,233.75
Amounts written off	
Loss allowance As at March 31, 2023	**10,483.50**

III. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due. Management monitors rolling forecasts of the Company's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. The Company takes into account the liquidity of the market in which the entity operates.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

₹ in Lakhs

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Year ended						
As at March 31, 2023						
Trade payables	48,137.29	-	-	-	-	48,137.29
Other financial liabilities	**1,426.72**	**676.75**	**2,166.35**	**5,139.41**	**9,590.22**	**18,999.45**
Total	**49,564.01**	**676.75**	**2,166.35**	**5,139.41**	**9,590.22**	**67,136.74**
Year ended						
As at March 31, 2022						
Trade payables	**44,081.72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44,081.72**
Other financial liabilities	**1,261.16**	**813.10**	**2,406.64**	**3,166.00**	**11,517.07**	**19,163.97**
Total	**45,342.88**	**813.10**	**2,406.64**	**3,166.00**	**11,517.07**	**63,245.69**

Note No. - 33 - Capital Management

The objective of the Company's capital management structure is to ensure that there remains sufficient liquidity within the Company to carry out committed work programme requirements. The Company monitors the long term cash flow requirements of the business in order to assess the requirement for changes to the capital structure to meet that objective and to maintain flexibility.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes to economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital, issue new shares for cash, repay debt, put in place new debt facilities or undertake other such restructuring activities as appropriate.

No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 March 2023.

₹ in Lakhs

Particulars	**As at 31 March 2023**	**As at 31 March 2022**
Borrowings		
Trade payables	48,137.29	44,081.72
Other payables	2,18,353.94	2,14,447.75
Less: Cash & cash equivalents	(76,321.22)	(93,139.05)
Net Debt	**1,90,170.01**	**1,65,390.42**
Total equity	**89,223.88**	**74,186.10**
Capital and Net debt	**2,79,393.89**	**2,39,576.52**
Gearing ratio (%)	**68.07%**	**69.03%**

Note No. - 34 - Financial ratios

The ratios for the years ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are as follows :

Ratio / Measure	Measured In	Numerator	Denominator	For the year ended		Variance (in %)
				March 31, 2023	March 31, 2022	
Current ratio	Times	Current assets	Current liabilities	1.26	1.21	4.14%
Debt – Equity ratio	Times	Total Debt*	Shareholder's equity	0.20	0.24	-18.42%
Debt service coverage ratio	Times	EBIT	Total Debt*	1.19	0.40	200.28%
Return on Equity (ROE)	%	Net profits after taxes	Average shareholder's equity	18.33%	6.43%	184.95%
Inventory turnover ratio	%	Average Inventory	Revenue	0.00%	0.00%	0.00%
Trade receivables turnover ratio	Times	Revenue	Average trade receivable	3.96	4.61	-14.13%
Trade payables turnover ratio	Times	Purchases of services and other expenses	Average trade payables	2.90	3.38	-14.20%
Net capital turnover ratio	Times	Revenue	shareholder's equity	1.80	1.89	-4.87%
Net profit ratio	%	Net profit	Revenue	9.34%	3.29%	183.51%
Return on Capital Employed (ROCE)	%	Earning before interest and taxes	Capital employed*	19.54%	7.69%	154.05%
Return on Investment (ROI)	%	Interest Income	Fixed Deposit	6.07%	3.74%	-62.24%

*Total Debt represents only lease liabilities

EBIT - Earnings before interest and taxes.

Capital employed refers to total shareholders' equity and debt.

Explanation for variances exceeding 25%

Revenue for Higher Operating margin has been increases along with increase in other operating sales.

Note No. - 35 - Leases

As Lessee

(A) Additions to right of use assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Right-of-use assets, except for investment property	1,528.02	1,081.98

(B) Carrying value of right of use assets at the end of the reporting period by class

₹ in Lakhs

Particulars	Class 1	Class 2	Total
Balance at 1 April 2021		17,227.19	17,227.19
Additions		1,081.98	1,081.98
Modification of Rights		-	-
Depreciation charge for the year		2,273.37	2,273.37
Balance at 1 April 2022		16,035.80	16,035.80
Restatment of earlier Year (Refer Note No. 36)		505.23	505.23
Additions		1,528.02	1,528.02
Modification of Rights		-	-
Depreciation charge for the year		2,626.50	2,626.50
Balance at 31 March 2023		15,442.55	15,442.55

(C) Maturity analysis of lease liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Opeing Balance	17,843.35	18,060.91
Restatment of earlier Year (Refer Note No. 36)	444.85	
Additions	1,528.02	1,081.98
Interest	821.71	899.26
Modification of Rights	-	-
Payment of Liabilities	(3,129.97)	(2,198.80)
Closing Balance	17,507.96	17,843.35

₹ in Lakhs

Maturity analysis – contractual undiscounted cash flows	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Less than one year	2,843.11	3,219.74
One to five years	11,437.30	10,497.20
More than five years	9,590.22	11,517.07
Total undiscounted lease liabilities	**23,870.63**	**25,234.01**

₹ in Lakhs

Lease liabilities included in Balance Sheet	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Current	2,843.11	3,219.74
Non-Current	14,664.87	14,623.62
Total	**17,507.98**	**17,843.36**

(D) Amounts recognised in profit or loss ₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Interest on lease liabilities	821.71	899.26
Variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities	-	-
Income from sub-leasing right-of-use assets	-	-
Expenses relating to short-term leases (Office Rent)	122.42	374.38
Expenses relating to leases of low-value assets, excluding short-term leases of low value assets	-	-

(E) Amounts recognised in the statement of cash flows ₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Total cash outflow for leases	3,129.97	2,198.80

Note No. - 36 - Effect of Recalculation in Lease Assest and Lease Lailibity as per IND AS 116.

During the year, the company has recalculated the calculation of lease Assets and Liabilites of earlier years as per IND AS 116, ,the impact and detailed calculation is as follows:

Impact of Prior Period Adjustment on for Leases Assets and Liablity: - ₹ in Lakhs

Particulars	As at 31 March 2023
Impact on Lease Assets	
Decrease of Lease Assets	5.23
Increase of Right of Assets for Amortisation Effect	500.00
Net Increase on Right of Use Assets	**505.23**
Impact on Lease Liability	
Increase in Lease Liablity for Prior Period	444.85
Net Increase in Lease Liablity	444.85
Net Increase on Other Equity (Reserve & Surplus	**60.38**

Impact of Prior Period Adjustment on Earlier Year and Opening Balance Sheet

₹ in Lakhs

Particulars	As at 01.04.2021			As at 31.03.2022				
	Prior to Adjust-ment	Adjust-ment	After Adjust-ment	Prior to Adjust-ment	Opening Adjust-ment	During the Year Adj	Net Adjust-ment	After Adjust-ment
NON-CURRENT ASSETS								
Other Assets	17,186.38		17,186.38	21,912.49				21,912.49
Right of use assets	17,227.19	341.55	17,568.75	16,035.80	341.55	163.68	505.23	16,541.03
Current assets	2,51,622.83	-	2,51,622.83	2,94,767.29				2,94,767.29
Total Assets	**2,86,036.40**	**341.55**	**2,86,377.95**	**3,32,715.58**	**341.55**	**163.68**	**505.23**	**3,33,220.81**
EQUITY AND LIABILITIES								
Equity	69,568.66	(38.55)	69,530.11	74,186.10	(38.55)	98.93	60.38	74,246.48
Liabilities								
Non-current Liablity Lease	15,741.75	380.10	16,121.85	14,623.62	380.10	237.90	618.00	15,241.62
Non-current liabilities Other	39.46		39.46	59.46				59.46
Current Liablity Lease	2,319.17	-	2,319.17	2,843.11		(173.15)	(173.15)	2,669.96
Current liabilities Other	1,98,367.36		1,98,367.36	2,41,003.29				2,41,003.29
Total Equity and Liabilities	**2,86,036.40**	**341.55**	**2,86,377.95**	**3,32,715.58**	**341.55**	**163.68**	**505.23**	**3,33,220.81**

Impact on Profit and Loss Account for the Year 2021-22

₹ in Lakhs

Particulars	For the Year 2021-22		
	Prior to Adjustment	Adjustment	After Adjustment
INCOME			
Revenue From Operations	1,40,213.47	-	1,40,213.47
Other Income	7,551.07	-	7,551.07
Total Income (I+II)	**1,47,764.54**	**-**	**1,47,764.54**
EXPENSES			
Purchases of Stock-in-Trade	17,956.39	-	17,956.39
Services Support Expenses	1,08,283.71	-	1,08,283.71
Employee benefits expenses	964.22	-	964.22
Finance Cost	899.26	25.17	924.43
Depreciation and amortization expenses	6,597.29	(58.37)	6,538.92
Other expenses	6,883.76	(65.73)	6,818.03
Total Expenses (IV)	**1,41,584.63**	**(98.93)**	**1,41,485.70**

Income/(loss) before tax (III-IV)	6,179.91	98.93	6,278.84
Tax expense:	1,562.48		1,562.48
Income/ (Loss) for the year from continuing operations (V-VI)	**4,617.43**	**98.93**	**4,716.36**
Other Comprehensive Income	-	-	-
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Income/(Loss) and Other Comprehensive Income for the year)	**4,617.43**	**98.93**	**4,716.36**
Earnings per equity share (Nominal value per share Rs.100):			
(1) Basic	2,308.72	49.46	2,358.18
(2) Diluted	2,308.72	49.46	2,358.18

Note No. 37 - Contingent Liabilities

As at Balance Sheet date, the contingent liability in respect of offsite warranty provided by the company to the users is not considered since all the equipments supplied towards projects are covered under AMC from the vendors/suppliers from time to time, after warranty period.

Contingent liabilities, other than the above, not provided for are as under: - **₹ in Lakhs**

Particulars	**As at 31 March 2023**	**As at 31 March 2022**
Claim against the Company not acknowledged as debts*	382.66	164.78
Demand Raised by DoT for Interest and Penalty	341.75	0.00
Guarantees	1638.65	1275.47
Delhi VAT Demand (September 2005 to November 2008)	678.00	678.00
Income Tax Demand (Assessment Year 2014-15)	206.29	206.29
Income Tax Demand (Assessment Year 2015-16)	0	350.60
Income Tax Demand (Assessment Year 2018-19)**	2434.58	2434.58
Income Tax Demand (Assessment Year 2019-20)	42.50	0.00
Interest due and payable for the period of delay in making payment under MSME Act***	687.25	0.00
Interest under section 16 (2)(d) for delay in payment to vendors under GST Act (subject to utilization of credit balance in Electronic Credit and Cash Ledger)***	910.87	0.00
Total	**7322.55**	**5109.72**

* The above contingent liabilities do not include the 26 cases against the company as the management view that there is no financial impact on the company.

** The above demand is net off after the adjustment of refund claimed in ITR of Rs.5139.45 Lakh.

*** MSMS Interest and GST Interest are disclosed as contingent liability as the same will be recoverable from user department in case where the fund are not available in the project for making payment to vendors. However no demand is outstanding against the MSME and GST interest as on date.

Note No. 38 - Commitments

The Company has made commitment to procure the trading goods and to avail the services in the subsequent period based on the purchase orders and agreements made with suppliers. Those commitments can be amended as per the agreed terms. However, the amount of such revenue commitments towards internal projects of the company is Rs.1356.40 Lakh (PY Rs.532.05 Lakh) as at March 31, 2023. In addition, Commitment towards capital expenditure out of "Reserves" is as follows:-

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at 31 March 2023	As at 31 March 2022
1.	National Data Centre, Bhubaneswar	16862.11	20543.48
2.	Enhancement of NIC Cloud Services	0.00	1600.02
3.	District 2.0-Augmentation of Digital India Initiative	0.00	1380.21
4.	2nd Floor in Block-1, Shastri Park, Delhi on Lease Rent from DMRC - CPWD (Interior Furnishing for Data Centre- Rs. NIL (PY 3621.63)	0.00	3621.63
5.	2nd Floor in Block-1, Shastri Park, Delhi on Lease Rent from DMRC development of Sheet Work Rs.725.67 (Less Advance 99.67 and Capitlised during the Year for Rs. 451.01) (PY Advance of Rs. 451.68/- released till 2021-22)	174.98	273.98
6.	Renovation works for 4 No. Toilets Civil & Electric work at 2nd Floor Shastri Park (Less transfer to capital work in progress by Rs. 34.19 lakhs (In PY Less Advance For Rs. 30.49 Released till 2021-22)	11.26	14.91
7.	Purchase of Office space at World Trade Tower, Nauroji Nagar, New Delhi (Unit No. A-300) (Total Cost 11937.69 less 1105.61 paid in 2020-21 & 5852.07 in 2021-22, both excluding taxes and statutory charges)	4980.01	4980.01
	Total	**22028.36**	**32414.24**

Note No. 39 - Information pursuant to Para 5 (viii) of the General Instructions for preparation to the Income & Expenditure Account given under schedule III of Companies Act, 2013.

i. Value of Imports on C.I.F Basis: NIL (PY Rs. NIL)

ii. Expenditure in foreign currency (on accrual basis):

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
Travelling - Staff (Foreign)	NIL	NIL
Total	**NIL**	**NIL**

iii. Earnings in foreign currency (on accrual basis): Rs. Nil (PY Rs. Nil)

Note No. 40 - Auditor Remuneration*

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
Statutory Audit Fees	7.01	7.01
Income Tax Audit	0.93	0.93
For Reimbursement of expenses	1.82	2.10
Total	**9.76**	**10.04**

* Exclusive of applicable taxes. Further, Rs. 2.20 Lakh (PY Rs.2.10 Lakh) plus GST as applicable have been paid for certification work for various projects which are directly debited in the respective projects.

Note No. 41 - Disclosure pursuant to Ind-As 19 - 'Employee Benefits'

i. Contribution to Provident Fund

The company is not having any Provident Fund scheme as the employees of the company are on deputation from NIC, along-with their posts, as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998. The Provident Fund is deducted from their salary every month as per the rates prescribed for the purpose and government guidelines thereon subsequently, passed on to NIC as its entire account is maintained by them. There is thus, no liability of the company towards any payment to the employees on Provident Fund Account.

ii. Leave Salary

Since the employees are on deputation from NIC as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the leave salary contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of leave salary/encashment.

iii. Pension Contribution

Since the employee are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the pension contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of Pensionery benefits.

iv. Gratuity

Since the employees are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the company is not liable to pay any Gratuity, as the same shall entirely be borne by NIC.

Note No. 42 - Related Party disclosures

a) List of Related Parties –

List of Directors from 01-04-2022 to 31-03-2023

S.No	Name & Designation of Director	Status on Board	Appointment Date	Relinquishment Date
1	Dr. Rajendra Kumar IAS, Additional Secretary, MeitY	Chairman	28/Jul/20	25-Nov-22
2	Shri Anil Kumar Nayak, IAS SS & FA, MeitY	Director	25/Jan/22	16/Jun/22
3	Dr. Jaideep Mishra, JS, MeitY	Director	10/Dec/19	25-Nov-22

S.No	Name & Designation of Director	Status on Board	Appointment Date	Relinquishment Date
4	Shri S. K. Marwaha, Scientist G and Group Coordinator	Director	31/Dec/21	Continue
5	Shri Sunil Kumar, Scientist-G, NIC	Director	1/Oct/21	30/Sep/22
6	Shri Inder Pal Sethi, Scienist-G, NIC (Additional Charge of MD from 04-Jun-2022 to 12-Aug-2022)	Director	1/Oct/21	30/Sep/22
7	Shri Rajiv Rathi, Scientist G, NIC	Director	1/Oct/21	Continue
8	Ms. Alka Misra, Scientist G, NIC	Director	1/Oct/21	Continue
9	Dr. Ms. Suchitra Pyarelal, Scientist G, NIC	Director	1/Oct/21	Continue
10	Shri Ajay Singh Chahal Scientist-G & SIO (HP), NIC	Director	1/Feb/21	30/Sep/22
11	Shri Prashant Kumar Mittal, MD, NICSI	Managing Director	14-Feb-20	3/Jun/22
12	Shri Rajesh Singh JS & FA MeitY	Director	16-Jun-22	Continue
13	Smt. Sunita Verma, Scientist G and Group Coordinator	Director	16-Jun-22	Continue
14	Dr. Vinay Thakur Scientist-G, NIC	Managing Director	13-Aug-22	Continue
15	Shri Amit Agrawal IAS, Additional Secretary, MeitY	Chairman	25-Nov-22	Continue
16	Shri Sushil Pal, Joint Secretary, MeitY	Director	25-Nov-22	Continue
17	Shri V.T.V. Ramana, Scientist G, NIC	Director	01-Oct-22	Continue
18	Dr. Shubhag Chand Scientist G, NIC	Director	01-Oct-22	Continue
19	Shri Pramod Kumar Singh Scientist G & SIO (Gujarat), NIC	Director	01-Oct-22	Continue

List of Key Managerial Person

S.No	Name & Designation of Key Managerial Person	Status on Board	Appointment Date	Relinquishment Date
1	Shri Prashant Kumar Mittal	Managing Director	14-Feb-22	03-Jun-22
2	Shri IPS Sethi	Additional Charge of Managing Director	04-Jun-22	16-Jun-22
3	Shri Vinay Thakur	Managing Director	13-Aug-22	Continue
4	Shri Sunny Jain	Company Secretary	28-Jan-20	Continue

Transactions with Related Parties: -

₹ in Lakhs

Name of Party	Year ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
1. Managerial Remuneration		
Sh. Prashant Kumar Mittal	15.00	40.47
Shri IPS Sethi	00.00	00.00
Sh. Vinay Thakur	25.48	00.00
Sh. Sunny Jain	12.79	11.43
Total Managerial Remuneration	**53.27**	**51.90**
2. Sitting Fees to Director	-	-
3. Remuneration to relative of Director	-	-
4. Loans and Advance	-	-
5. Investment in Joint venture	-	-
6. Payable as on Balance Sheet Date		
Sh. Vinay Thakur	3.06	-
Sh. Sunny Jain	1.25	1.02
Sh. Prashant Kumar Mittal	-	2.83

a) Entities under the control of same government:

The company is a Central Public Sector Enterprises (CPSE) controlled by National Informatics Centre, Ministry of Electronics & Information Technology (Government of India) by holding majority of the shares. Pursuant to paragraph 25 and 26 of Ind AS 24, entities over which the same government has control or joint control of, or significant influence, then the reporting entity and other entities shall be regarded as related parties. Transactions with these parties are carried out at market terms at arm length basis. The Company has applied the exemption available for government related entities and have made limited disclosures in the financial statements.

Note No. 43 - Disclosure pursuant to Ind AS– 108 'Operating Segments'

The company is providing services in 'Information Technology' segment only from a centralized office in Delhi. Considering the same as one segment only, no disclosure according to Ind AS– 108 'Operating Segments' have been made in the financial statements.

Note No. 44 - Balance Confirmation

The Company has a system of obtaining confirmation of balances from banks and other parties. There are no unconfirmed balances in respect of bank accounts. So far as trade/other payables and advances are concerned, the balance confirmation letters/emails with the negative assertion as referred in the Standard on Auditing (SA) 505 (Revised) 'External Confirmations', were sent to the parties. Some of such balances are subject to confirmation/reconciliation. Adjustments, if any will be accounted for on confirmation/reconciliation of the same, which in the opinion of the management will not have a material impact.

Note No. 45 - Non-execution of Conveyance/Title Deed

The Company had purchased Hall No's 2&3 at 6th Floor, NBCC Towers, Bhikaiji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deeds / Title Deeds towards the same had got registered on

July 18, 2023 by NBCC in the name of NICSI. Hence, the provision of Rs 27.97 lakh (PY Rs 74.52 lakh) towards amount of Stamp Duty has been provided in the financial..

Further company was also allotted unit No. A-300 Tower A, 3rd floor world trade centre Nauroji Nagar. The execution of the tile deed in the name of NICSI is pending as building is under construction.

Note No. 46 - In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances & trade receivable have a value on realization in ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

Disclosure u/s 22 of the MSMED Act, 2006

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
1	The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier*.	6847.30	8491.68
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

*The above however, does not include the interest payable if any on the mentioned amount.

Note No. 47 - Disclosure pursuant to IND AS – 36 'Impairment of Assets'

As per IND AS – 36 'Impairment of Assets', the assessment of impairment of Assets has been carried out during the FY 2022-23 in respect of Data Centre at Laxmi Nagar, National Data Centre at Shastri Park towards investment on "Enhancement of NIC Cloud Services" and Development Centre at Shastri Park locations, which are cash generating units of the company and no impairment loss has been identified thereon. In the opinion of Management there is no indication of any significant impairment of assets during the year as per Ind-AS 36.

Note No. 48 - Revenue Generation (GR/ AGR) towards VSAT Projects against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20.11.2009 (surrendered by NICSI on 31.03.2017 and accepted by DoT) and payment of License Fee and Spectrum Charges to DOT thereon.

NICSI had surrendered the DoT License on 31.03.2017 and accepted by DoT. As per the mandate given by DoT, NICSI has since paid entire amount towards License Fee / Spectrum Charges till 31.03.2017 on the revenue related to this activity only. Also, the amounts from MHA/NDRF are received. However, the O/o the Pr. CCA Office, DoT has levied interest / penalty on NICSI by taking revenue of entire company, for which MeitY had taken up the matter with DoT.

O/o the Pr. CCA DoT, vide letter dated 17.07.2020, has withdrawn all Demand Notices against NICSI towards License Fee and Spectrum Usage Charges (based on Hon'ble Supreme Court of India Judgement dated 11.06.2020 and DoT OM No. 12-25/2019-LFP dated 17.07.2020. The F&C Audit Office had accordingly, been informed by NICSI, vide letter no. NICSI / Fin/ Insp. F&C Adt./2018-19/289 dated 20.07.2020 & accordingly, that office had admitted / closed the para, vide letter no. AMG-II/ NICSI/F-2516/2019-20/323 dated 23.09.2020.

However, NICSI had deposited 4 Bank Guarantees (BG's) to DoT towards the above totaling to Rs. 92 lakh which had been renewed from time to time. NICSI had taken up the matter with DoT to return all these BG's, vide its letter dated 10.08.2020, with reminder dated 09.11.2020. In response there-to, O/o Pr.CCA, DoT, vide letter no. 50-4/2018-Clarification & Rulings / Pr.CCA /Delhi /1413 dated 05.02.2021, had requested DoT (LFP Divison) to issue the guidelines for re-assessment of LF / SUC in respect to Non-Telecom PSU's, as the demand raised by the DoT had been withdrawn, vide its order no. 12-25 / 2019-LFP dated 13.07.2020. NICSI has further issued reminders to DoT, vide letters dated 11.03.2021, 27.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 09.08.2021, 13.09.2021, 22.11.2021, 08.03.2022 & 21.04.2022 but no progress so far and the BG's are still with DoT.

Further, O/o the Pr.CCA vide letter dated 03.01.2023 intimated that the revised assessment has been carried out and the the amount of Rs.341.75 lakh are outstanding against NICSI. The additional demand for interest and penalty is still pending.

Note No. 49 - Income/Expenditure on National Data Centre Projects

National Data Centre, Shastri Park, Delhi had been set up with financial assistance from MeitY and NIC and had become operational in July, 2011. As per approval by the Standing Finance Committee, NICSI was to bear Operational Expenditure thereon @ Rs.800 Lakh per annum for initial 2 years. To meet its Operational Expenditure, NICSI was to get income from 60 Racks allotted to it. While NICSI continued to meet Operational Expenditure thereon even after 2 years, MeitY had approved that from 01-04-2014 onwards, NICSI would be incurring operational expenditure head-wise on the National Data Centre, Shastri Park, Delhi upto Rs.800 Lakh on the heads Rent & Maintenance/ Basic Infrastructure Maintenance/ Basic Infrastructure O & M Manpower and NIC would reimburse the expenditure from its Budgetary Provision to NICSI towards Electricity & Diesel Charges/ Physical Security & Housekeeping Charges/ Water Charges/ Logistics Support/ Contingency Charges upto 3% of all these charges, after these expenditure are initially incurred by NICSI. With the setting-up of National Data Centre at Bhubaneswar, NICSI and NIC had worked out an arrangement for operation and management of the same and also, for National Data Centre at Shastri Park, Delhi. NICSI Board of Directors, in its 108th meeting held on 27.12.2018, had considered the same and approved as under with retrospective effect from 01 April 2018: -

- NICSI may create a separate project pool account for Shastri Park and Bhubaneswar Data Centers
- Income generated through Co-location Services at both these Data Centers shall be pooled under the proposed project heads.
- Income shall be used for meeting the O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure at both these Data Centers.
- In addition to existing 60 Racks being used for co-location service at Shastri Park by NICSI, NIC may add more Racks to generate enough funds to meet O&M expenses for years to come and also for upgrading the basic infrastructure.
- NICSI would not incur Rs.800 Lakh per annum towards O&M Expenditure at Shastri park from F.Y.2018-19 and onwards. Revenue generated per annum through said 60 Racks and more Racks to be added by NIC, would be utilized for meeting O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure.
- NICSI would charge its 7% Operating Margin and Taxes thereon as per Board approval from F.Y.2018-19 and onwards on the said O&M Expenditure.

NICSI has accordingly booked its Income & Expenditure in F.Y.2022-23 at National NDC-SP & Bhubaneswar.

NICSI Board of Directors, in its 114th meeting held on 29.07.2020, had requested a Director from NIC to look into and advise on the item related to meeting of deficit between expenditure & income (excluding on Cloud) towards NDC-SP & Bhubaneswar. The matter is still under consideration.

Note No. 50 - Interest on Un-utilized fund of Grant in Aid projects.

NICSI has worked out the interest in GIA Projects in FY 2022-23 on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the year and in F.Y.2022-23 as per below:

₹ in Lakhs

Period	NKN Project	Other GIA Projects	Total
For F.Y.2021-22	8.97	267.10	276.07
For F.Y.2022-23	8.72	236.82	245.54

NICSI has worked out the interest in GIA Projects in FY 2022-23 on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the year and in F.Y.2022-23 as per below:

₹ in Lakhs

Period	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
For F.Y.2022-23	335.01	NIL

Note No. 51 - Draft Audit Para from P&T Audit Office on Refund of Interest in GIA Projects.

Till F.Y. 2011-2012, the Company was treating the amount received from Grantor Institution for execution of projects as 'Advances received from customer' instead of treating them as Grant in Aid receipt and accordingly, no interest was provided on un-utilized fund to Grantor Institution.

Board of Directors, vide meeting dated 21-12-2011, had approved to calculate and refund the interest earned on un-utilized fund available in Grant in Aid Projects from time to time as per the rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks. Accordingly, the Company had calculated and refunded the amount of interest to the Grantor institution i.e. rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks, whereas as per terms and conditions laid down by the Grantor Institution, the actual interest earned on un-utilized balance of Grant in Aid projects is to be refunded. The grantor departments have accepted the interest as credited to the individual project till F.Y.2016-17 and most of these projects are since completed and their accounts settled. However, a para is continuing from the C&AG Office towards less refund of interest in GIA Projects by the company to the Government. NICSI had provided the reply on the para and it is still under consideration of the C&AG Office.

In the meantime, the Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017, had re-considered the matter and advised NICSI to refund the interest on Grants-in-Aid Projects on actual basis.

Accordingly, in F. Y. 2018-19, NICSI has worked out the interest in GIA Projects on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the past and based on that, has provided the differential interest in each ledger of the respective project for the period upto 31.03.2018 Totaling to Rs.4766.01 Lakh (i.e. Rs.1414.74 Lakh in NKN Project and Rs.3351.27 Lakh in other GIA Projects).

F&C Audit Office, vide letter no. AMG-II / Rep PSU / DAP / 9993 /NICSI / D-2024 dated 14.01.2020, has provided a Draft Audit Para (DAP) to NICSI on "Loss of Rs.26.36 crore and understatement of liability by Rs.78.38 crore due to non-compliance of terms & conditions governing grants in aid projects". The Audit observation is that NICSI has deducted the Corporate Tax paid on its GIA Interest Income during past years and while refunding the differential interest, it has deducted the Corporate Tax already paid and thus, it should take-up the matter with CBDT / Income Tax Department regarding refund of Corporate Tax paid previously. NICSI, vide reply dated 09.12.2019 to their Audit Memo No. 12 dated 04.12.2019 and also, vide letter dated 12.06.2020 has informed the F&C Audit office that since the Corporate Tax is paid to the Government of India i.e. Income Tax Department continuously since F.Y.2012-13, it has not taken up the matter with the Income Tax Department, since even after refund of the Corporate Tax to NICSI, it would have to refund again to the Government of India (i.e. Grantor Departments).

Note No. 52 - Trade Receivables

NICSI implements a large number of new projects every year from various Ministries/ Departments / Organizations of the Government of India and States / UTs. As per the provisions in the General Financial Rules (GFRs), they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so, whereas in many cases mainly related to procurement of ICT Hardware, NICSI has to release the work orders to full extent and after delivery / installation of those items, NICSI has to release the payments to the vendors as per the payment terms in the work orders. This, on many occasions resulted in Trade Receivables, amount of Rs.57044.98 Lakh (PY Rs.43678.92 Lakh) as at March 31, 2023 (disclosed in note no. 10 of the financial statements), which is followed up by NICSI from time to time with the concerned Departments /Organizations to recover the same.

Note No. 53 - Provision for Doubtful Debt amounts un-likely to be recovered.

NICSI has been making a "Provision" towards Doubtful Debts in its Accounts continuously since F.Y. 2018-19 considering 100% for the period of more than 10 years, 50% between 5-10 years & 25% between 3-5 years.

A Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations towards making provision in the Accounts for F.Y.2022-23 for the doubtful amounts un-likely to be recovered.

Based on the Committee Recommendations as per the said Policy, the "Provision" has been made in NICSI Accounts for F. Y. 2022-23 towards doubtful amounts un-likely to be recovered as per below: -

₹ in Lakhs

Duration	Outstanding amount	Provision in %age	Provision in F.Y.2022-23	Provision in F.Y.2021-22
More than 10 years	8064.00	100	8064.00	7452.00
5 to 10 years	2048.00	50	1024.00	1426.00
3 to 5 years	5582.00	25	1395.00	371.75
Upto 3 years	41350.98	NIL	NIL	NIL
Total	**57044.98**		**10483.50**	**9249.75**

Note No. 54 - Provision for Advances to Suppliers.

F&C Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "Advances to Suppliers amounting to Rs.984.16 Lakh were more than 3 years old. Being more than 3 years old provisioning should have been created in this respect. Non-provision had resulted into overstatement of current assets and understatement of provisions leading to overstatement of profit".

Considering the above observation of F&C Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations to consider and recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers un-likely to be settled. The Committee had recommended to make "Provision" in Accounts for amounts towards Advances to Suppliers outstanding for more than 3 years. Accordingly, the Provision had been made in Accounts for F.Y. 2018-19 to 2021-22.

On the above basis, a Committee had been set-up to recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers in Accounts for F.Y. 2022-23. On Committee's Recommendations, the Provision amounting to Rs 931.98 Lakh has been made in F. Y. 2022-23 towards amounts outstanding for more than 3 years as on 31.03.2023 and un-likely to be settled (as against Rs.894.32 lakh in PY 2021-22), except for NKN Project.

Note No. 55 - Expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR)

As per the Companies Act, 2013, the company is required to spend at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years, in pursuance of its Corporate Social Responsibility Policy. During the year an amount of Rs. 250.00 lakh [(2% of Average Profit Before Tax of immediately previous three years is Rs. 220.00 Lakh. (P.Y Rs. 112.00 lakh, 2% of Average Profit Before Tax of immediately previous three years)] to be spent on CSR during the year. The details of the utilization are as below:

₹ in Lakhs

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2023	March 31, 2022
Total of previous years shortfall	112.00	-
Amount required to be spent by the Company during the year and provision made	250.00	112.00
Amount of Payment out of total shortfall for Financial Year 2021-22	112.00	-
Amount of Payment out of total shortfall for Financial Year 2022-23 *	-	-
Excess spend of prior years set off during the year	-	-
Shortfall at the end of the year [(d)=(a)-(b)-(c)]	250.00	112.00
Reason for shortfall*	Amount Transfer to CSR Bank Account	Amount Transfer to CSR Bank Account
Nature of CSR activities	For Health and Education purpose Rs.220.00 Lakhs PM CARES Fund Rs. 30.00 Lakhs	Contribution in PM CARES Fund Rs. 112.00 Lakhs

* NICSI has made provision of Rs. 250.00 Lakh (PY 112.00 Lakh contributed in PMCARES Fund) in the accounts for FY 2022-23 towards expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR). As per direction of the Board of Directors in its 126th meeting held on 29.03.2023, NICSI had transferred the amount of Rs.250.00 Lakh to unspent CSR Bank A/c as prescribed under the Companies Act 2013 after that the same has been contribution to (i) Gram Vikas Trust, Gujrat (ii) Sant Ravidass Educational Society, New Delhi (iii) Rural Education & Welfare Society, New Delhi (iv) I-Hub Foundation for COBOTICS, IIT Delhi (v) Foundation for Innovation & Research in Science & Technology (FIRST), IIT, Kanpur and (vi) PM CARES Fund.

Note No. 56 - Provision towards Income Tax & Sales Tax etc.

FF&C Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "an amount of Rs. 2,281.03 Lakh on account of TDS/ Income Tax recoverable pertaining to FY 2007-08 to 2014-15 is pending from Income Tax Department. The above amount being relating to more than 3 years old, provision in this regard should have been created by the company. However, no provision has been created. Non provision of this amount has resulted into overstatement of current assets and understatement of provision leading to overstatement of income".

Considering the above observation of F&C Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give recommendations on the provision to be made in Accounts for F.Y.2018-19 for the amounts towards Income Tax refund, Sales Tax recoverable and TDS on Work Contract un-likely to be recovered. The provision has been made in NICSI accounts as per detail below: -

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
Income Tax	1835.88	1835.88
Sales Tax/VAT/DVAT	117.91	117.91
TDS on Works Contract	2.54	2.54
Total	**1956.33**	**1956.33**

Matter has been taken up with the concerned Tax Authorities regarding refund of Tax and the matter is still under discussion at higher level with their authorities, the refund of the said amount is still awaited.

Note No. 57 - Movement of Provision

In reference to compliance for Ind As 37 movement in provision has been disclosed as below :-

₹ in Lakhs

Particulars	Provision for Supplier Advance	Provision for doubtful debts	Provisions for Stamp Duty	Provision towards Income Tax & Sales Tax etc	Provision for Income Tax	Total
As at April 1, 2021	977.22	8508.75	74.52	1956.33	6973.97	18490.79
Additions	894.32	9249.75	0.00	0.00	1966.91	12110.98
Write-back/ Transfer	977.22	8508.75	0.00	0.00	0.00	9485.97
Balance March 31, 2022	**894.32**	**9249.75**	**74.52**	**1956.33**	**8940.88**	**21115.80**
Additions	931.98	10483.50	0.00	0.00	5525.80	16941.28
Write-back/ Transfer	894.32	9249.75	46.55	0.00	8940.88	19131.50
Balance March 31, 2023	**931.98**	**10483.50**	**27.97**	**1956.33**	**5525.80**	**18925.58**

Note No. 58 - Obsolete Items

While conducting review on NICSI Accounts for F.Y.2017-18, the F&C Audit team had observed that the provision was not made in Accounts for that year towards difference between Depreciated Value of the Obsolete items as on 31st March and Estimated Sale Value against the same. Accordingly, a Committee had been set up in NICSI to examine and recommend the "Provision" to be made in NICSI Accounts for F.Y.2018-19 towards obsolete items as on 31.03.2019 between the Depreciated Value and the Estimated Sale Value. The Committee had recommended that the Depreciated Value of the Obsolete Asset items as on 31.03.2019 be taken as the Estimated Sale value and therefore, no Provision on this account was required to be made in the Accounts for that year. Similarly, no 'Provision' had been thereafter in NICSI Accounts for F.Y. 2019-20 and 2020-21 and also in F.Y. 2022-23. However, based on the physical verification of assets, the estimated value of obsolete asset items as on 31.03.2023 has been worked out at Rs. 10.94 Lakh (PY 0.90 Lakh).

Note No. 59 - Provision of Year-end expense and unbilled Revenue

While reviewing the Financial Statement for 2019-20 & 2020-21, P&T Audit (CAG) observed that no provision was being made in books of accounts for invoices pertaining to the expenditure incurred for the preceding previous year for which invoices had been received after the end of the financial year but prior to the date of finalisation of the annual financial statements. The P&T audit had suggested making an appropriate provision against these expenses. Accordingly, from the financial year 2021-22 provision has been made for invoices pertaining to previous financial year and corresponding income from FY 2021-22 has also been be recorded in respective financial year. Based on above unbilled provision has been made in nicsi accounts as per below in financial Year 2022-23 also

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2023	Year Ended March 31, 2022
Provision for Expenses	12039.63	9997.54
Unbilled Revenue	11790.45	9439.13

Note No. 60 - Appeal before GST authorities

In November, 2017 the GST of Rs. 4,73,37,107/- was deposited in excess by NICSI on the assumption that many invoices of vendors would be booked in that year but owing to receipt of less invoices, it is resulted in non-settlement of GST to that extent. The claim was rejected by the Assessing officer on 25.09.2020 being time-barred. NICSI had filed an Appeal before the Commissioner (Appeal-II), CGST, Delhi on 18.12.2020 for refund of excess tax deposited but the concerned Commissionrate had rejected the same. NICSI is in process of filing a fresh Appeal with the GST Tribunal but it is held up, as the Tribunal is yet to be constituted by the Government.

Note No. 61 - The Company did not have any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of the Companies Act. 1956 during the FY 2021-22.

Note No. 62 - COVID-19 Impact

The Company has assessed the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 on the carrying amounts of Receivables, Fixed Deposits and other assets / liabilities. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial statements has used internal and external sources of information. As on current date, the Company has concluded that the impact of COVID – 19 is not material based on these estimates. Due to the nature of the pandemic, the Company will continue to monitor developments to identify significant uncertainties in future periods, if any.

Note No. 63 - Previous year figure reclassification

The company has Re-classified/Re-group/Re-arrange previous year figures to make it comparable with current year classification.

As per our report of even date
For **J N Mital & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003587N

Sd/-
CA Rajendra Mittal
Partner
Membership No. 084470
UDIN : 23084470BGXTUA4623

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-	**Sd/-**
Dr. Vinay Thakur	**Bhuvnesh Kumar**
Managing Director	Chairman
DIN: 09710675	DIN: 02780311
Sd/-	**Sd/-**
Sunny Jain	**Mahendra Pal**
Company Secretary	FA&CA
ACS: 31700	

Place: New Delhi
Date: 15.09.2023

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, and Income and Expenditure account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013 ("the Act") as amended from time to time., in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2023 and its excess of income over expenditure, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. Balances relating to Trade Payables (Note 19), Trade Receivables (Note 10), Advances received from customers (Note 21), Security deposits Payable (Note 18), and Advances to Suppliers (Note 9 & 15) Current Tax Assets and provision (note 14), GST on advances Sales tax/ DVAT and TDS on work contract as well as provision on above (Note 15), are subject to confirmation and/ or reconciliation as at the year end. The management is in the process of reconciling the same and is of the opinion that the impact, if any, would not be material. Impact on the income/ expenses and/ or assets/ liabilities consequent to such confirmations being obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up is presently not ascertainable at the year-end.

2. Reference is invited to Note No. 21 of the financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 191704.27 lakhs. A review of individual accounts reveals numerous customers wherein balances have remained outstanding for more than 3 years as at the year-end. These advances, received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries, have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles.

   In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilized and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same to the customer based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being made available is presently not ascertainable.)

3. Revenue on Sales of services being erroneously recognized at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii) and Note 2(xii)) instead of recognizing the same at the time of transfer of "control" i.e., on transfer of the promised service. Impact of the same together with the default under Rule 47 of the CGST Act on account of non-raising of the invoice within 30 days of completion of service on the reported income/ expense and Assets/ Liabilities of the Company is presently not ascertainable.

4. The company has intimated that they have approximate 1900 vendors, out of which only 45 Vendors have been identified as MSME vendors. Due to above the Interest on MSME calculated only on identified MSME Vendors. Further the same has been shown as Contingent liabilities amounting to Rs. 687.25 lakh, (instead of debiting expenditure and creating liabilities), as management is of the view that same will be recoverable from user department in case where fund is not available in the project for making payment to vendors. This has resulted in understatement of Expenditure as well as liabilities by Rs. 687.25 lakhs.

5. The impact of matters referred to in the above paragraphs (1) to (3) on the assets/liabilities and/or income/expenditure for the year is not ascertainable and Impact of point no. 4 resulted in understatement of Expenditure as well as liabilities by Rs. 687.25 lakhs.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion..

Emphasis of Matter

We draw attention to note No. 3,4 & 45 whereby the conveyance/ title deed in respect of the building at Bhikaji Cama place, New Delhi (Rs. 931.50 lakhs)7812 & unit no. A 300 Naauroji Nagar (Rs. 7812.05 Lakhs) is pending for registration as at the year-end. Title Deed for Building at Bhikaji Cama place, New Delhi was registered on July 18th 2023.

Our opinion is not modified in respect of the matters reported in the paragraphs above.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance,changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation, and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance

is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: -

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. Matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 have not been commented upon since the said order is not applicable to the Company in view of the exemption available to a company licensed to operate under Section 8 of the Companies Act, 2013.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

    a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

    b) Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

c) Except for the effects of the matters described in the Basis of Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, the Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

e) The matter(s) described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the company;

f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the CompaniesAct,2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

g) The qualifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above;

h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses a qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

i) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company being a Government company, the provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the Government company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

j) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial Position in its financial statements (Refer Note no. 36 to the financial statements);

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:

- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or
- provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall:

- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the funding party or
- provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause(iv) (a) and (iv) (b) contain any material mis-statement.

(d) Since the Company has been incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 and it cannot declare dividend, reporting under clause 143 (11) (e) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable to the Company.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of Companies act, 2013 is attached as Annexure B.

For J.N. Mital & Co
Chartered Accountants
(FRN003587N)

Sd/-
CA. Rajendra Mittal
(Partner)
Membership No.: 084470
UDIN:- 23084470BGXTUA4623

Place: New Delhi
Date: 15/09/2023

Annexure 'A' to the independent auditor's report on the Ind AS financial statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended 31st March 2023

(Referred to in paragraph under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act 2013,as amended from time to time.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IND AS financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of IND AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the IND AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have qualified our audit opinion on the financial statements for the year ended March 31, 2023, in respect of the System relating to reconciliation/confirmation Trade Payables (Note 19), Trade Receivables (Note 10), Advances received from customers (Note 21), Security deposits Payable (Note 18), and Advances to Suppliers (Note 9 & 15) Current Tax Assets and provision (note 14), GST on advances Sales tax/ DVAT and TDS on work contract as well as provision on above (Note 15)as at the year end. as the same could potentially result in a material misstatement of the outstanding balances. (Refer to para 1 under Basis for Qualified Opinion of our Independent Auditors Report of even date) wherein the existing internal controls need to be strengthened.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described in the report on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2023, Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the financial statements of the Company.

Other Matters

a. The Company needs to strengthen the existing controls relating to the Keeping the Record relating to Property Plant & Equipment, Its Physical Verification, Location, Written down value and its disposal, if any. Mapping of individual item, introducing controls whereby the individual items physically verified are mapped through their specific identification numbers with the corresponding PPE records.

b. Although the Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017, certain control weaknesses relating to the mapping of individual party balances and carry forward of opening balances, ageing schedule, getting statement of account directly from ERP, tracking of changes made in Statement of Accounts, Sales Register is not maintained properly as Goods and Services bifurcation is not proper because the figure in the financials for the respective goods and services is not matching with the sales register figures bifurcation wise (sales register is matched with financials on gross basis i.e., without bifurcation). GST on advance on goods is standing as such in balance sheet due to Pre-GST regime which is not adjusted till now. ERP need to be strengthened and identified based on the existing controls being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency.

c. EMD for more than 3 years are outstanding. Company is not reviewing the EMD/ Security Deposit etc.

d. Company is required to Prepared Audit and Accounts Manuals and review its accounting policies accordingly.

e. GST has not been charged on sale of Car & Computer. GST TDS receivable balances are pending pertaining to previous financial years. Tax recoverable balances pending under the various heads of sales tax, TDS and income tax.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

For J.N. Mital & Co
Chartered Accountants
(FRN003587N)

Sd/-
CA. Rajendra Mittal
(Partner)
Membership No.: 084470
UDIN:- 23084470BGXTUA4623

Place: New Delhi
Date: 15/09/2023

Annexure "B" to the independent Auditor's Report on the IND As financial statement of National Informatics Centre Services Inc for the year ended March 2023

Report on direction issued by the comptroller and auditor general of India under section 143(5) of the Companies Act 2013

1. **Whether the company has system in place to process all accounting transaction through IT system? If yes, the implication of processing of accounting transaction outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated..**

   The Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017. The ERP system implemented without being validated by the system Audit being carried out by an external independent agency. There are certain control weaknesses relating to the mapping of individual party balances and carry forward of opening balances, ageing schedule, getting statement of account directly from ERP, tracking of changes made in Statement of Accounts etc. Impact, ifany, on the Assets/ Liabilities and /or income /Expenditure as disclosed in the financial statement on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.

   Furthermore, Fixed Assets accounting with respect to addition/ deletion/ depreciation is currently being done manually and thereafter has been uploaded into ERP system as no automation module is available in the ERP.

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts/ loans/ interest etc. made by lender to the company due to company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

   Not applicable as the company did not have outstanding loan during the year 2022-23. Accordingly, there was no case of waiver / write off of debts/loans/interest etc. made by lender to the company due to company's inability to repay the loan.

3. **Whether funds received /receivable as per or specific schemes from Central/ state agencies were properly accounted for utilized as per its terms and conditions? list the cases of deviation.**

   During the F. year 2022-23 / Rs. 82503.72 Lakhs Sanctioned / Received on account of grant – in – Aid project from Central/ state agencies including Withdrawal from RBI and the same were properly accounted for utilized as per its terms and conditions. Unutilized amount has been returned to the agencies.

For J.N. Mital & Co
Chartered Accountants
(FRN003587N)

Sd/-
CA. Rajendra Mittal
(Partner)
Membership No.: 084470
UDIN:- 23084470BGXTUA4623

Place: New Delhi
Date: 15/09/2023

COMMENTS OF THE COMPTROLLIR AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICSI) FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2023

The preparation of Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor/Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are/is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(I 0) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15.09.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of NICS I for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some ofthe accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section143 (6) (b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Comment is on Profitability
Income and Expenditure Account-Expenses
Other Expenses Rs. 6941.25 lakh (Note 29)

The above head is understated by an amount of Rs. 341.75 lakh due to non-provision of demand raised by DoT In January 2023, in terms of License Fee agreement for interest and penalty for provision of VSAT services.

This also resulted in overstatement of Income by the same amount.

General Comment

NICSI has not disclosed the change in accounting policies which was approved by the Board of Directors.

Commitments

Capital Commitments: Rs. 22028.36 Lakh (Note No. 38)

The above head is understated by an amount of Rs. 639.77 lakh as it does not include NICSI's commitments towards renovation expenses, procurement of software licenses and procurement of cloud services.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor general of India

(Roli Shukla Malge)
Principal Director of Audit
(Finance & Communication)

Date: 03.11.2023
Place: Delhi

Reply OF OBSERVATIONS ISSUED DURING
THE ACCOUNTS OF NICSI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

OBS NO.	OSERVATION	Reply of management	Reply of statutory auditors
#1/OBS-993836	**Balance Sheet** **Assets** **Non-current Assets** **Property, Plant and equipment- ₹3878.61 Lakh (Note No. 3)** As per Mobile phone instrument reimbursement policy of NICSI approved in 121st Board meeting dated 04.05.2022 reimbursement of mobile set for officers/officials is available once in every 3 continuous years of service. It is observed that reimbursement of mobile set amounting to ₹4.35 lakh has been booked in expenses and has not been included in the Assets. Thus, this has resulted into overstatement of expenses by ₹2.90 lakh & understatement of assets to the same extent and understatement of depreciation to the extent of ₹1.45 lakh. Facts and figures may be confirmed and comments, if any may please be offered.	Currently NICSI is accounting the Mobile Phone as Current year Expense in income and expenditure statements however it is stated that the mobile handset given to employee are subject to continuous service of 3 years as approved by the board as per Government Guidelines. However as suggested by the CAG Audit It is Assured that the Same will be corrected in next Financial Year by transferring the Mobile Phone from Office expense to Fixed Assets. **In view of above, para may please be dropped.**	It is stated that the mobile handset given to employee are subject to continuous service of 3 years as approved by the Board of NICSI and debited to Expenditure Statement. However as suggested by the CAG Audit and assured by NICSI, Same will be corrected in next year. Taking into consideration of assurance and maternity concept Audit is requested to drop the para.
#2 / OBS-994030	**Balance Sheet** **Assets** **Non-current Assets** **Capital work-in-progress ₹8297.21 Lakh (Note No. 4)** Above includes advances of ₹7812.05 Lakh given to NBCC for purchase of office space at World Trade Centre Tower. As NICSI is not carrying out its construction on its own, therefore, same should have been shown as capital advances instead of CWIP. Thus, this has resulted overstatement of CWIP to the extent of ₹7812.05 Lakh and understatement of capital advances to the same extent. Facts and figures may be confirmed and comments, if any may please be offered.	NICSI applied for commercial space at NBCC tower at Narouji Nagar, same was allotted in the year 2020. upto Financial year 2021-22 the amount paid for the same has been shown as capital Advance in the Financial Statement. Further It is informed that in the Financial Year 2022-23 Sale Agreement has been executed in on 17th June 2022 in favour of NICSI with clear Marking of space. Facts were disclosed in note 4 also. Accordingly right of Assets had been established as per sale agreement and construction is going on. There for Capital Advance has been treated as Work in progress taking into view that NBCC is constructing on behalf of NICSI. However as suggested by the CAG the Same will be transferred to Capital Advance from CWIP in next Financial. **In view of above, para may please be dropped.**	Agreed with the reply submitted by Management. It is requested that para may kindly be dropped.

OBS NO.	OSERVATION	Reply of management	Reply of statutory auditors
#3 / OBS-994059	**Balance Sheet** **Assets** **Non-current Assets** **Capital work-in-progress- ₹8297.21 Lakh (Note No. 4)** This includes an amount of ₹34.15 Lakh towards renovation of 4 No.s of Toilets Civil. Since, NICSI has taken the premises on lease basis from DMRC, therefore, capitalization of the same under civil work is not in order and as per Ind AS 18 keeping the nature of work i.e. revenue the same should have been considered as revenue expenditure. Hence, this has resulted overstatement of Non-current Assets to the extent of ₹34.15 Lakh and understatement of expenses resulting into overstatement of Profit & Loss A/c to the same extent . Facts and figures may be confirmed and comments, if any may please be offered.	In reference to subject matter, the space is acquired on lease from the DMRC, and renovation of Toilet work allocated to vendor on the cost of NICSI. Work of Toilets renovation comprises the Civil work on the lease hold property, accounting of the same will be dealt under the Ind AS 116 LEASES which states that under the Para 24 : "The cost of the right-of-use asset shall comprise: (c) any initial direct costs incurred by the lessee; (d) an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories" Further para 25 States that "A lessee shall recognize the costs described in paragraph 24(d) as part of the cost of the right-of-use asset when it incurs an obligation for those costs" Therefore the expense incurred on renovation of toilets shown as Capital Work progress and will be accounted once completed as Right of use of assets over the balance life of Lease agreement as per Ind As 116. **In view of above, para may please be dropped.**	Agreed with the reply submitted by Management. It is requested that para may kindly be dropped.
#4 / OBS-996907	**Financial Statements** **Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2022** **Disclosure** As per Indian Accounting Standard 115 Revenue from Contracts with Customers (Ind As 115) establishes a framework for determining whether, how much and when revenue is recognized and requires disclosures about the nature, amount, timing and uncertainty of revenues and cash flows arising from customer contracts. Under Ind AS 115, revenue is Recognised through 5 Step Approach: - Identity the contracts (s) with customer. Identify separate performance obligations in the contract.	It is Assured that the suggested disclosures will be made in next Year Financial Statement by Disclosing the contract assets and Contract Liability along with segregation of revenue from Contract Assets. **In view of above, para may please be dropped.**	In view of Assurance given by Management, Audit is requested to drop the Para.

OBS NO.	OSERVATION	Reply of management	Reply of statutory auditors
	Determine the transaction price. Allocate the transaction price to the performance obligations; and Recognise revenue when a performance obligation is satisfied. NICSI carries out their activities for the Government of India and other govt departments against specific contracts/ orders and Rs. 191704127/- lakhs has been shown as advance from customer However, NICSI failed to disclose the information's in this regard i.e. (i) Revenue Recognised in relation to contract assets and contract liabilities (ii) Disaggregation of revenue and (iii) Assets and Liabilities related to contracts with customers. Hence the information in the Line of Ind As 115 is deficient to the above referred requirements.		
#5 / OBS-996926	**Financial Statements** **Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2022** **Commitments** **Capital Commitments: ₹ 22028.36 Lakh (Note No. 38)** The above does not include an amount of ₹641.77 lakh which is to be incurred towards award of following work: Renovation of 6th floor at NICSI Head quarters at Bhikaji Kama Place which was awarded to M/s WAPCOS Ltd at the cost of ₹138.73 Lakh. Procurement of software License (RHEL) of cloud services running at National Data Centre(NDC), Bhubaneswar at cost of ₹136.64 lakh Procurement of hardware items for Project of enhancement of NIC cloud services, Bhubaneswar at Cost of ₹364.40 lakh. Thus, this is resulted into understatement of Capital Commitments by ₹641.77 lakh. Facts and Figures may please be confirmed, comments, if any may please be provided to audit.	NICSI is Disclosing its Capital Commitments in Financial Statements every year, however in regards to these transactions, it is found that in all the cases no formal agreement have been executed with the vendors upto the date of Balance Sheet. However as suggested by CAG Commitment in these regards will also be disclosed in Next Year Financial Statements. **In view of above, para may please be dropped.**	Capital commitments are shown after deducted the amount of work done from the amount of Agreement/ amount of work order. There was no agreement upto 31st March 2023 against the said work hence amount is not duplicated in the Capital Commitment. However as agreed by Management, These will be taken care in next financial year. It is requested that Para may kindly be dropped.

OBS NO.	OSERVATION	Reply of management	Reply of statutory auditors
#6 / OBS-998216	**Disclosure** **Accounting policy** The NICSI Board in its 121nd Board meeting held on 26-03-2022 vide agenda item No 11 approved that Prior Period Bookings with reference to GST provisions & Income Tax Provisions, NICSI to book the invoices from the vendors as per cutoff date fixed by the Management and as per the invoice date/actual receipt date in view of type of business being executed by NICSI. NICSI has to ensure that prior booking should not exceed 0.25% of the total revenue generated in the respective financial year and NICSI has to give a disclosure towards the above in its Accounts every year. Advances outstanding for more than 3 years would be considered for making provision in accounts in each year. In case any advance is adjusted in a financial year out of the "Provision" made in previous year, the entire net amount and there-against, would be made to the total advances outstanding for more than 3 years at the end of the year. Similar exercise would be done by NICSI accounts every year. Despite NICSI Board approved above referred accounting policy, NICSI has failed to disclose the same in their notes to accounting policy. Further NICSI has also failed to disclose their accounting policy for purchase of Lap Tops and mobile phone for their executives and further accounting treatment with reference to depreciation and recovery etc.	It is Assured that both the Accounting policy will be disclosed in the next Year Financial statement. **In view of above, para may please be dropped.**	It is intimated that Note no. 56 is relate to "Provision towards Income Tax and sales tax etc. "Further Note 57 disclosed about the Movement of proven. Also. Attention is also drawn on Basis of qualified no. 1 "Balance relating to .... Advance to supplier ..... GST on advance Sales Tax /DVA Tand TDS on work contract as well as provision on above are subject to confirmation..... As Reply by Management Policy on Policy on both will be disclosed in next financial year, Audit is requested to drop the Para.
#7 / OBS-998855	**Income and Expenditure Account Expenses** **Employee Benefits Expenses (Note No. 26) ₹1295.16 lakhs** Above includes an amount of ₹143.77 lakhs towards leave salary and pension contribution payable to PAO, NIC. NICSI worked out ₹143.77 by adjusting excess payments of ₹99.87 lakhs made to PAO, NIC in the preceding years in compliance to the issue pointed out by the Govt Audit during transaction audit in Dec 2022. As per Ind As 8 Prior period items are included in determination of net profit or loss of the period in which the	It is Assured that the suggested compliance in regards to disclosing the prior period Income and expenditure, the care shall be taken as suggested by the CAG Audit in future year Financial Statements. **In view of above, para may please be dropped.**	Agreed by the Management, In view of assurance given by management, Audit is requested to Drop the Para.

OBS NO.	OSERVATION	Reply of management	Reply of statutory auditors
	error pertaining to a prior period is discovered and are separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that the impact on current profit or loss can be perceived. Instead of accounting ₹99.87 as prior period income disclosed it separately in the statement of income and expenditure account, NICSI has adjusted the same from the current year liability of employee benefits expenses. This has resulted understatement of prior period income to the extent of ₹99.87 lakhs and understatement of expenditure of employee benefits to the same extent.		
#8 / OBS-998878	**Cash Flow** **Cash Flow from Investing Activities** **Investment in FDR (₹20,891.96 Lakhs)** As per Ind As 7 in respect of investing activities, the separate disclosure of cash flow arising from investing activities is important because the cash flows represent the extent to which expenditure have been made for resources intended to generate future income and cash flows. Only expenditure that results in a recognized asset in the balance sheet are eligible for classification as investing activities. Accordingly cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets and cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets, needs to be disclosed. However NICSI instead of showing effect of gross investments in FDR and proceed from the same in the year separately has taken the net effect of given transactions. As a result the requirements as envisage in Ind As 7 is deficient to the required disclosures.	Current disclosure already made by Company has been consistently done in past year Accounts also. Further there is no impact of disclosing the net proceeds from the Fixed Deposit instead of disclosing the Gross Proceeds and Gross Investment separately as the same have no overall impact on the Cash Flow from Investment Activity. However for the better presentation of Cash flow statement suggested changes will be disclosed in Next Year Financial Statements as under : Proceeds From Fixed Deposits : XXX Investment in Fixed Deposit : XXX Cash flow from Investment : XXX Activity **In view of above, para may please be dropped.**	Agreed By the Management. Audit is requested to Drop the Para.

OBS NO.	OSERVATION	Reply of management	Reply of statutory auditors
#9 /OBS-1000495	**Noncurrent assets** **Property, Plant and Equipment ₹3878.61 lakhs (Note No. 3)** **Other Intangible assets ₹5329.49 lakhs (Note No. 6)** Above include an amount of ₹2069.21 lakhs and ₹1043.52 lakhs towards Software and Hardware for server requirements and NICSI is considering the shell life of given assets 6 years. On perusal of records it is observed that given assets are pertaining to server and both soft ware and hardware is integrated items and items being shown as ₹2069.21 lakhs as intangible assets is not having any distinct characteristic of soft ware. This has resulted in overstatement of Intangible assets to the extent ₹2069.21 lakhs and understatement of property, Plant and Equipment to the same extent. Further given servers with software support is subject to 5 years only however NICSI is charging depreciation on the same considering their shell life 6 years. This has also resulted understatement of depreciation to the extent of ₹149.26 lakhs and overstatement of Property, plant and Equipment to the same extent.	In regards to depreciation on the said assets was charged as per the Accounting policy approved by the board. The policy for depreciation had been disclosed in financial statements, which states as under : "Depreciation on the items of PPE has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013". Accordingly Depreciation had been provided as per policy of 6 Year Life as prescribed by the Comines Act. In reference to Warranty Agreement for 5 Year, the Warranty and useful life can be different; the management has estimated that the useful life of Server and hardware are 6 Years. Accordingly depreciation is charged. **In view of above, para may please be dropped.**	Agreed By the Management. Audit is requested to Drop the Para.
#10/OBS-1001747	**Balance Sheet** **Assets** **Non-current Assets** **Property, Plant and equipment- ₹ 3878.61 Lakh (Note No. 3)** The purchases of laptops (Annexure Enclosed) are being carried out by NICSI in line with M.o.F. OM dated 20.02.2018 which states that depreciation on the laptop to be charged at 25% on Straight line method. Further, Laptops are being allowed to be retained by user officer considering the remittances against leftover life or 10% value, whichever is higher. However, it is observed that instead of charging 25% depreciation on Straight line method the NICSI is considering shell life of given asset as 5 years and charging depreciation on written down value accordingly.	In regards to accounting of laptop and depreciation under the Financial Statement the same is accounted as per current Accounting Policy as approved by the Board and depreciation had been provided accordingly. As per Current Policy Depreciation had been provided on Laptop for 3 Year Life on WDV method however the recoveries are affected as per MoF OM. **In view of above, para may please be dropped.**	Agreed By the Management. Audit is reqested to Drop the Para.

OBS NO.	OSERVATION	Reply of management	Reply of statutory auditors
	Thus, this has resulted into understatement of depreciation and Profit & Loss Account to the extent of ₹ 11.38 Lakh and overstatement of asset to the same extent. Facts and figures may be confirmed and comments, if any may please be offered.		
#11/OBS-1002223	**Balance Sheet** **Current Liabilities** **Other Current Liabilities (Note No. 21) ₹199326.51 Lakh** Provision towards interest & liability ₹341.75 Lakh has been shown as contingent liability towards demand raised by DOT for Interest and penalty. As per license agreement between DOT & NICSI for provision of VSAT service using INSAT system, the given demand is a confirmed liability. However, instead of making necessary provision for the given liability NICSI is showing it as contingent liability. This has resulted in understatement of other current liability to the extent of ₹341.75 Lakh and overstatement of P&L Account to the same extant.	NICSI has requested to DOT to waive off the amount for penalty and interest. NICSI expects the waiver from DOT in Financial Year 2023-24, Accordingly the same has been disclosed as contingent liability under the Financial Statement. If in case any further developments takes place, the same will be disclosed accordingly in Next Financial Statements. **In view of above, para may please be dropped.**	Agreed By the Management. Audit is reqested to Drop the Para.

1.	Details of RTI matters disposed off during F.Y. 2022-23.	Total 112 Cases inclusive of RTI, Appeal and CIC cases.
2.	Details of RTI matters pending as on 31-03-2023.	4 cases which were disposed off after 31.03.2023 (within the stipulated time frame)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED

CIN : U74899DL1995NPL072045

Design & Printed by: VIBA PRESS PVT. LTD. - 9810049515